Annexure – XII

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

धिरौली कोल ब्लॉक, तहसील-सरई, जिला – सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

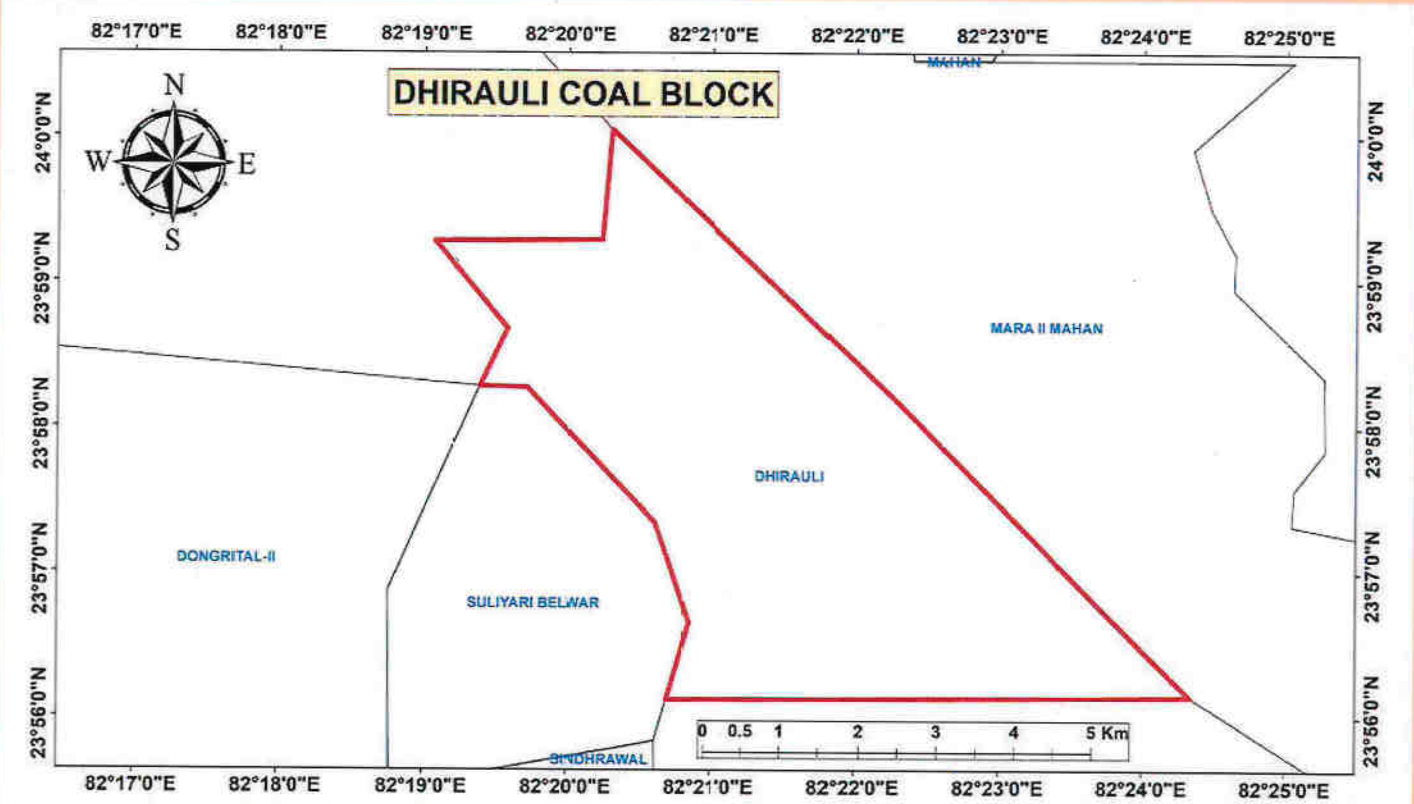

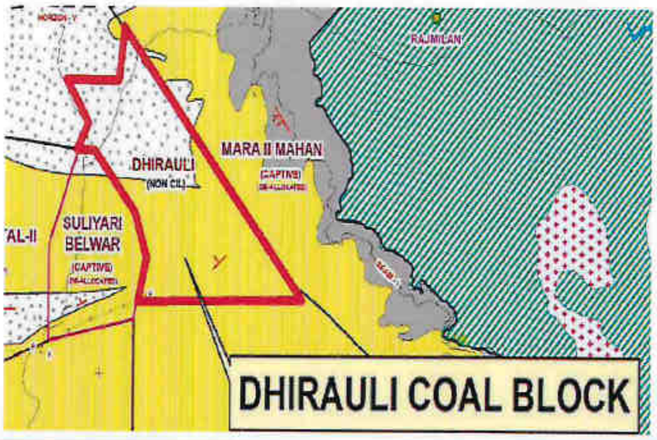

परियोजना संचालक

मैसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

पता – प्लॉट नंबर 06, सेक्टर 03, नवजीवन विहार, विंध्यनगर
जिला – सिंगरौली, म.प्र. - 486 885

विषयवस्तु सूची

क्रम संख्या	अध्याय के नाम	पृष्ठ संख्या
प्ररूप – ख		1-14
प्ररूप – ग		15-18
अध्याय 1 परिचय		
1.1	परिचय	1-1
1.2	परियोजना का विवरण	1-2
1.3	अध्ययन	1-2
1.3 .1	अध्ययन का उद्देश्य	1-3
1.3.2	अध्ययन का दायरा	1-3
1.4	कार्य प्रणाली	1-5
1.5	रिपोर्ट संरचना	1-15
अध्याय 2 कानूनी और मुआवजा ढ़ांचा		
2.1	प्रस्तावना	2-1
2.2	संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992	2-2
2.३	पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996	2-3
2.4	अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार	2-5
2.4.1	एलएआरआर अधिनियम 2013 का दायरा	2-5
2.4.2	विशेषताएं	2-6

2.4.3	पात्रता संरचना कार्य	2-8
2.4.4	प्रक्रिया प्रवाह	2-13
2.4.5	संस्थागत संरचना	2-14
2.4.6	समय सीमा	2-14
2.5	निष्कर्ष	2-15
अध्याय 3 अध्ययन क्षेत्र की आधारभूत सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा		
3.1	परिचय	3-1
3.2	परियोजना प्रभावित और बाह्य प्रभाव क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा	3-2
3.2.1	जनसांख्यिकी	3-2
3.2.2	लिंग अनुपात	3-4
3.2.3	बाल जनसंख्या	3-5
3.2.4	संवेदनशील समूह	3-6
3.2.5	साक्षरता दर	3-7
3.2.6	आर्थिक क्रियाकलाप	3-10
3.3	अवसंरचनात्मक सुविधा	3-13
3.3.1	शिक्षा	3-14
3.3.2	चिकित्सा सुविधाएं	3-16
3.3.3	पेयजल सुविधा	3-18
3.3.4	बैंक सुविधाएं	3-19
३.४	निष्कर्ष	3-20

अध्याय 4 पीएएचएस / पीडीएच की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

4.1	परिचय	4-1
4.2	जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	4-2
4. 3	बाल जनसंख्या	4-3
4.4	कमज़ोर वर्ग	4-4
4.5	साक्षरता दर	4-5
4.6	आर्थिक गतिविधियॉ	4-6
4.7	आवास प्रकार	4-10
4.8	सड़क की उपलब्धता	4-10
4.9	बिजली की उपलब्धता	4-11
4.10	सुरक्षित पेयजल उपलब्धता	4-12
4.11	शौचालय की सुविधा	4-13
4.12	स्वास्थ्य और पोषण	4-14
4. 13	शिक्षा शिक्षा	4-15
4. 14	भाषा	4-16
4. 15	बाजार सुविधाएं	4-17
4 .16	खाने की आदत	4-19
4.17	पहनने की शैली	4-20
4. 18	निष्कर्ष	4-21

अध्याय 5 सामुदायिक परामर्श		
5.1	परिचय	5-1
5.2	सामुदायिक परामर्श	5-2
5.2.1	सामुदायिक परामर्श के उद्देश्य	5-2
5.2.2	सामुदायिक परामर्श के लिए उपयोग की जानेवाली तकनीक	5-3
5.2.3	प्रक्रिया	5-4
5.3	परामर्श के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे	5-6
5.3.1	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा	5-6
5.3.2	स्वच्छता	5-7
5.3.3	आजीविका विकल्प	5-7
5.3.4	शिक्षा	5-8
5.3.5	कनेक्टिविटी / संपर्क	5-9
5.3.6	पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन	5-10
5.3.7	आजीविका	5-10
5.3.8	पर्यावरण सम्बंधी चिंताएं	5-11
5.4	सुझाव	5-11
5.5	निष्कर्ष	5-12
अध्याय 6 प्रत्याशित प्रभाव		
6.1	परियच0	6-1
6.1.1	प्रभाव की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण	6-1

6.2	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव का विवरण	6-3
6.2.1	निर्माण चरण के दौरान प्रभाव	6-3
6.2.2	परिचालन चरण के दौरान प्रभाव	6-5
६.३.	भूमि पर प्रभाव	6-5
6.4	आजीविका और आय पर प्रभाव	6-6
6.5	स्वास्थ्य पर प्रभाव	6-7
6.6	खतरों के संपर्क मे आने की संभावना	6-7
6.7	संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव	6-7
6.8	परियोजना के कथित सामाजिक प्रभाव सामुदायिक धारणाएं	6-7
6.9	जोखिम विश्लेषण	6-10
6.10	प्रभावित और विस्थापिता व्यक्तियों/परिवारों की आय बहाली	6-11
6.11	निष्कर्ष	6-12
अध्याय – 7 कार्यान्वयन व्यवस्था		
7 .1	परिचय	7 -1
7 .2	संस्थागत व्यवस्था	7 -1
7 .3	क्रिर्यान्वयन प्रकिया	7-3
7 .4	शिकायत निवारण तंत्र	7-5
7 .5	अंतर्वाह प्रबंधन	7-7
7 .6	सांस्कृतिक धरोहर की देख रेख	7-8
7 .7	महिला और संवेदनशील समूहों के लिए विशेष प्रावधान	7-8
7 .8	स्थानीय नागरीक प्रबंधन	7-10

7.9	क्रियान्वयन कार्यक्रम	7-11
अध्याय – 8 सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना		
8.1	समाधान के लिए दृष्टिकोण	8 -1
8.2	प्रभाव से बचने, और क्षतिपूर्ति कम करने के उपाय	8 -1
8.3	परियोजना प्रस्ताव में अपेक्षित निकाय द्वारा बताए गए उपाय	8-3
8 -4	संस्थागत संरचनाएं और प्रमुख व्यक्ति	8-10

प्ररूप– ख
(नियम 5 देखिये)
समाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम : मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना।

2. लोक प्रयोजन : कोयला खदान से निकलने वाले कोयले की आपूर्ति विभिन्न औधोगिक केन्द्रों की जायेगी जिसमे ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र भी शामिल है। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सतत आपूर्ति होने से देश के विद्युत उत्पादन मे वृद्धि होगी व उसका लाभ जन सामान्य को होगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के वृहद स्तर की होने के कारण स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ होगा । पूंजी का प्रवाह सिंगरौली क्षेत्र मे होने के कारण आसपास के क्षेत्र का विकास होगा। कम्पनी द्वारा अपने लाभांश का अंश सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम मे कोर व बफर जोन के विकास हेतु किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का विकास होगा।

मध्यप्रदेश शासन व केन्द्र शासन को राजस्व /टैक्स की प्राप्ति होगी, जिसका उपयोग विकास योजनाओं हेतु किया जायेगा।

3. स्थल : ग्राम – आमडांड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह, तहसील–सरई, जिला–सिंगरौली (मध्यप्रदेश)।
4. परियोजना का क्षेत्र :

धिरौली कोल ब्लॉक निजी भूमि, शासकीय राजस्व भूमि एवं राजस्व वन भूमि का ब्यौरा					
क्र. सं.	ग्राम का नाम	निजी भूमि (हे.मे)	शासकीय राजस्व भूमि (हे.मे.)	शासकीय राजस्व वन भूमि (हे.मे.)	कुल राजस्व भूमि (हे. मे.)
1	आमडॉड़	25.75	17.98	7.49	51.22
2	अमरईखोह	45.78	64.74	2.63	113.15
3	बासी बेरदाह	147.67	23.30	29.83	200.80
4	फाटपानी	31.60	31.28	0.00	62.88
5	बेलवार	30.83	10.66	0.00	41.49
6	धिरौली	195.01	504.14	60.89	760.04
7	झलरी	72.47	25.88	0.00	98.35
8	सिरसवाह	4.90	3.82	0.00	8.72
कुल राजस्व भूमि का रकवा हे0 में - A		**554.01**	**681.80**	**100.84**	**1336.65**

धिरौली कोल ब्लॉक : आरक्षित वन भूमि का ब्यौरा					
क्र.सं.	कक्ष क्र.	वन भूमि का प्रकार	पूर्ण/आंशिक	कुल रकवा (हे0 में)	प्रस्तावित रकवा (हे0 में)
1	337	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	227.34	12.18
2	353	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	249.72	21.90
3	354	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	310.42	53.33
4	356	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	235.67	37.83
5	357	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	192.35	4.34
6	360	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	222.4	210.06
7	361	आरक्षित वन भूमि	सम्पूर्ण	237.79	237.79
8	362	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	245.12	185.85
9	363	आरक्षित वन भूमि	सम्पूर्ण	232.8	232.80
10	364	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	180.77	124.90
11	370	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	165.35	52.99
12	371	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	181.42	110.48
13	372	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	265.72	11.26
14	373	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	217.1	26.59
15	377	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	322.2	12.58
16	534	आरक्षित वन भूमि	आंशिक	196.85	0.47
कुल आरक्षित वन भूमि का रकवा हे0 में - B					**1335.35**
खनिपट्टा क्षेत्र का कुल रकवा हे0 में (A+B)					**2672.00**

5. **विकल्प जिनपर विचार किया गया:** धिरौली कोल ब्लॉक का स्थल कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त कोऑर्डिनेट के कारण पुर्व निश्चित है परिणामस्वरूप अन्य स्थल पर परियोजना की स्थापना का विकल्प नही है।

6. **परियोजना की पृष्टभूमि, विकासकर्ता की पृष्टभूमि नियंत्रण सहित:** जून 2020 मे, भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 के माध्यम से

वाणिज्यिक कोयला की खनन की निलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। 02 से 09 नबंवर 2020 तक कुल 19 कोल ब्लॉकों की वाणिज्यिक उपयोग हेतु सफलता पूर्वक निलामी की गई जिसमे धिरौली कौल ब्लॉक भी सम्मिलित है। धिरौली कोल ब्लॉक सिंगरौली कोलफिल्ड्स, मध्यप्रदेश मे स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 2672 हे0 है ।

धिरौली कोल ब्लॉक मे 620.013 मि0 टन (एमटी) कोयले का सकल भू–वैज्ञानिक प्रमाणित भंडार है जिसमे से उत्खनन योग्य कोयले का भंडार 313.79 मि0 टन (एमटी) तथा निकालने योग्य कोयले का कुल भंडार 298.12 मि0 टन (एमटी) है जिसमे से ओपेन कॉस्ट माइनिंग के द्वारा निकालने योग्य कोयले का भंडार 186.06 मि0 टन तथा अंडर ग्राउंड माईनिंग के द्वारा निकालने योग्य भंडार 112.07 मि0 टन (एमटी) है। निकालने योग्य कोयले के भंडार के आधार पर विकास की अवधि को छोड़कर खदान की कुल आयु 87 वर्ष है जिसमे से (ओपन कास्ट माईनिंग 40 वर्ष तथा अंडरग्राउंड माईनिंग को मिलाकर 87) वर्ष है।

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने धिरौली कोल ब्लॉक के निलामी मे भाग लिया था और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 22.12.2020 को राजस्व बंटवारे के आधार पर सफलतम बोलीकर्ता के रूप मे घोषित किया गया। नामित प्राधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक NA-104/7/2020-NA दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को धिरौली कोल ब्लॉक के लिये सफल बोलीदाता के रूप मे घोषित किया गया।

7. परियोजना निर्माण के चरण:

(क) निजी भूमि का अर्जन, शासकीय भूमि का आवंटन तथा वन भूमि का व्यपवर्तन तथा खनि पट्टे की स्वीकृति ।

(ख) सड़को का व्यपवर्तन, टांसमिशन लाईन का व्यपवर्तन तथा प्रभावित क्षेत्र मे निवासरत परिवारो का विस्थापन तथा व्यवस्थापन।

(ग) अद्योसंरचनाओं का निर्माण ।

(घ) कोयला उत्खनन।

8. धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना के प्रभावित खेत्र का नक्शा:

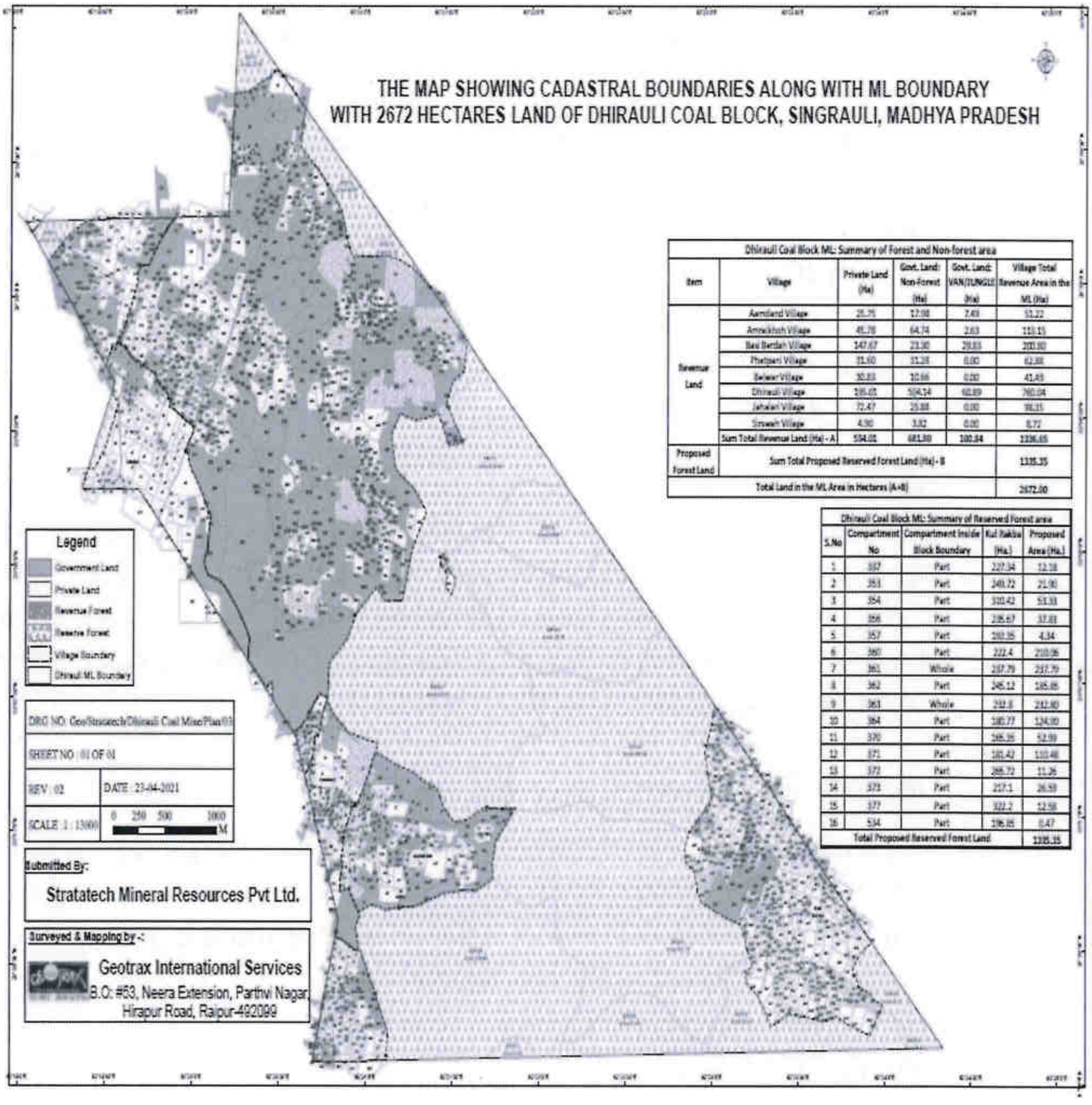

Dhirauli Coal Block ML: Summary of Forest and Non-forest area					
Item	Village	Private Land (Ha)	Govt. Land: Non-Forest (Ha)	Govt. Land: VAN/JUNGLE (Ha)	Village Total Revenue Area in the ML (Ha)
Revenue Land	Aamdand Village	25.75	17.98	7.49	51.22
	Amraikhoh Village	45.78	64.74	2.63	113.15
	Bad Berdah Village	147.67	23.30	29.83	200.80
	Phatpani Village	31.60	31.28	0.00	62.88
	Belwar Village	30.83	10.66	0.00	41.49
	Dhirauli Village	195.01	504.14	60.89	760.04
	Jahalari Village	72.47	25.88	0.00	98.35
	Siraweh Village	4.90	3.82	0.00	8.72
	Sum Total Revenue Land (Ha) - A	554.01	681.80	100.84	1336.65
Proposed Forest Land	Sum Total Proposed Reserved Forest Land (Ha) - B				1335.35
Total Land in the ML Area in Hectares (A+B)					2672.00

Dhirauli Coal Block ML: Summary of Reserved Forest area				
S.No	Compartment No	Compartment Inside Block Boundary	Kul Rakba (Ha.)	Proposed Area (Ha.)
1	337	Part	227.34	12.18
2	353	Part	240.72	21.90
3	354	Part	310.42	53.33
4	356	Part	235.67	37.83
5	357	Part	202.35	4.34
6	360	Part	222.4	210.06
7	361	Whole	237.79	237.79
8	362	Part	245.12	185.85
9	363	Whole	232.8	232.80
10	364	Part	180.77	124.00
11	370	Part	265.35	52.99
12	371	Part	181.42	110.48
13	372	Part	265.72	11.26
14	373	Part	217.1	26.59
15	377	Part	322.2	12.58
16	534	Part	236.85	0.47
Total Proposed Reserved Forest Land				1335.35

धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि का मानचित्र:

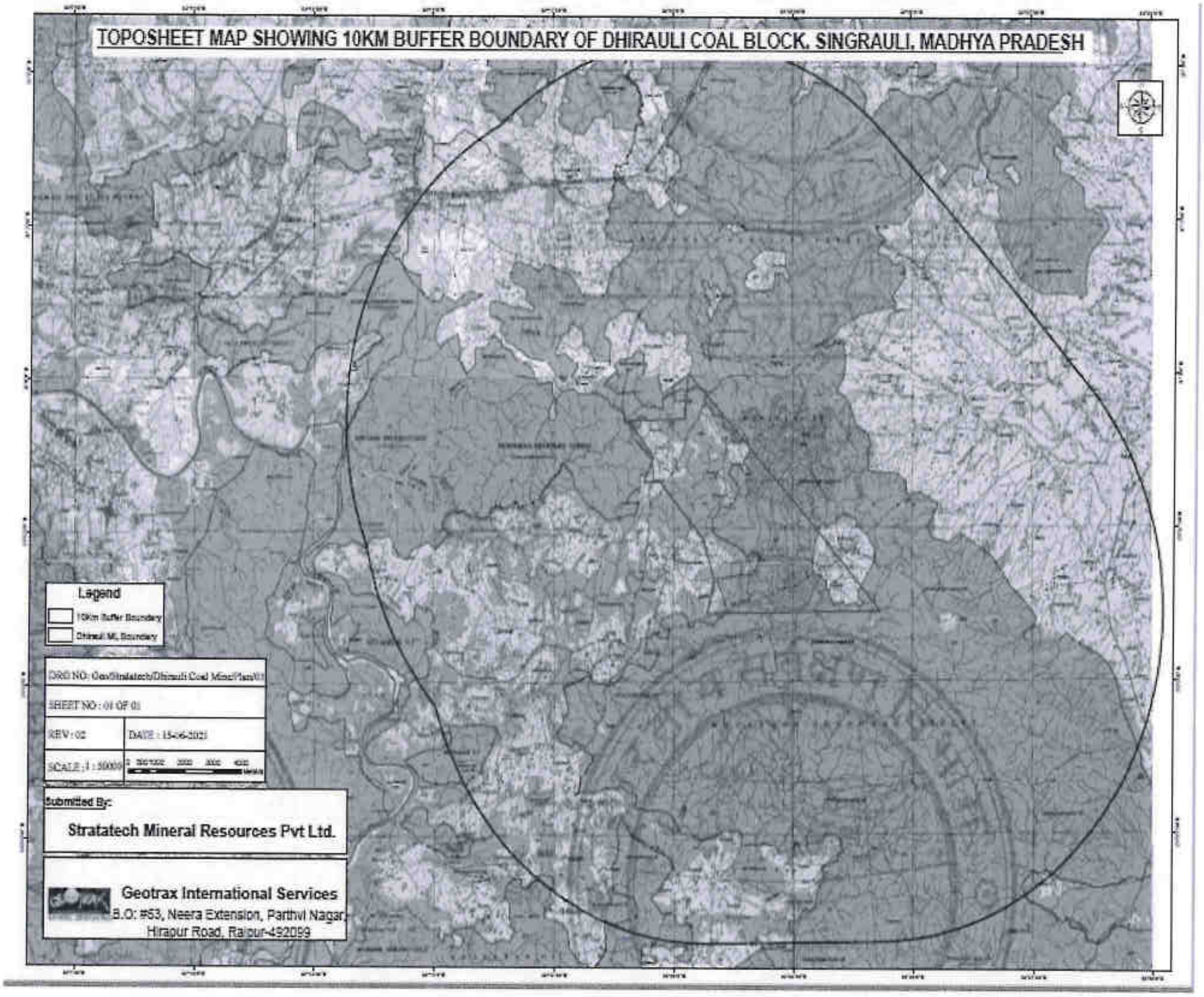

9. धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना हेतु आवश्यक कुल भूमि :

क्रमांक	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे0 मे)	प्रतिशत (लगभग)
1	निजी भूमि	554.01	21%
2	शासकीय भुमि	680.81	25%
3	आरक्षित वन एवं राजस्व वन भूमि	1436.19	54%
	योग	**2672.00**	**100%**

10. भूमि का मूल्य – ग्रामवार मध्य प्रदेश बाजार मूल्यांकन दर 2021–2022

क0सं0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	सिंचित दर हे0 में	असिंचित दर हे0 में
1	सिंगरौली	सरई	आमडांड	3192000	1680000
2	सिंगरौली	सरई	अमरईखोह	2774000	1460000
3	सिंगरौली	सरई	बासीबेरदाह	1900000	1000000
4	सिंगरौली	सरई	बेलवार	3192000	1680000
5	सिंगरौली	सरई	धिरौली	2705600	1424000
6	सिंगरौली	सरई	झलरी	3351600	1764000
7	सिंगरौली	सरई	फाटपानी	1778400	936000
8	सिंगरौली	सरई	सिरसवाह	2736000	1440000

क्र.स.	गाँव का नाम	विस्थापित परिवार			प्रभावित परिवार
		घर से बेदखल	भूमि एवं घर से बेदखल	कुल	भूमि से बेदखल
1	आमडाड़	28	38	66	4
2	अमईखोह	347	163	510	0
3	बासी बेरदाह	273	210	483	7
4	बेलवार	129	105	234	0
5	धिरौली	613	504	1117	6
6	झलरी	64	244	308	4
7	फाटपानी	127	129	256	9
8	सिरसवाह	0	6	6	27
कुल		**1581**	**1399**	**2980**	**57**

11. लोक संपत्ति :

ग्राम पंचायत मझौली पाठ की अधोसंरचना

परियोजना क्षेत्र मे ग्राम पंचायत मझौलीपाठ के चार ग्राम बासीबेरदाह, अमरईखोह, बेलवार तथा सिरसवाह प्रभावित है। इन चार ग्रामों मे से तीन ग्राम बासीबेरदाह, अमरईखोह, एवं सिरसवाह पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, जहॉ किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। ग्राम बेलवार को जोड़ने वाली सड़क आर सी सी की बनी हुई पक्की सड़कें हैं। ग्राम ग्राम पंचायत मझौलीपाठ के चारो ग्रामों में अधोसंरचना पूर्णरूप से विकसित है। ग्राम बासी बेरदाह मे 4 प्राथमिक व 1 माध्यमिक विद्यालय है। ग्राम बेलवार एवं अमरईखोह मे

प्राथमिक विद्यालय है। ग्राम बासी बेरदाह, बेलवार एवं अमरईखोह में आंगन बाडी भी संचालित है। ग्राम बासीबेरदाह मे उचित मूल्य की दुकान, सामुदायिक भवन,, शमसान घाट, तीन–चार मंदिर, 10 शासकीय तथा 1 निजी तालाब हैं।

ग्राम पंचायत झलरी की अधोसंरचना

ग्राम पंचायत झलरी के दो ग्राम झलरी तथा आमडाड़, धिरौली परियोजना से प्रभावित है। दोनो ग्राम पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, जहाँ किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। गाँव की अंदर की सड़के सीमेंट की पक्की सड़कें हैं। परियोजना क्षेत्र के सभी ग्रामों में अधोसंरचना पूर्णरूप से विकसित है। झलरी पंचायत मे 2 प्राथमिक विद्यालय एवं 1 माध्यमिक विद्यालय है। ग्राम झलरी मे सर्वसुविधा युक्त पंचायत भवन, 2 ऑगनबाड़ी केंद्र एक उचित मूल्य की दुकान, पटवारी भवन, शमसान घाट, 2 पक्के चबूतरे तथा 04 तालाव हैं। ग्राम आमडाड़ में एक आंगनवाड़ी तथा एक शासकीय तालाब है।

ग्राम पंचायत धिरौली की अधोसंरचना

ग्राम पांचयत धिरौली के दो ग्राम धिरौली एवं फाटपानी परियोजना से प्रभावित हे। दोनो ग्राम पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, जहॉ किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। गॉव की अंदर की सड़के सीमेंट की पक्की सड़कें हैं। परियोजना क्षेत्र के सभी ग्रामों में अधोसंरचना पूर्णरूप से विकसित है। धिरौली पंचायत मे 3 प्राथमिक विद्यालय एवं 1 माध्यमिक विद्यालय है। ग्राम धिरौली मे सर्वसुविधा युक्त पंचायत भवन, 3 ऑगनबाड़ी केंद्र उचित मूल्य की दुकान, पटवारी भवन, दो शमसान घाट (1धिरौली तथा 1फाटपानी) 2 पक्के चबूतरे तथा 06 तालाव हैं।

12. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

क. जिनकी भूमि अर्जित हुई :

क्र.	ग्राम	पीएएच का सामाजिक स्तरीकरण	पीएपी	प्रतिशत	परिवारों की संख्या
1	अमरईखोह	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	0	0.0%	0
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0.0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	0	0.0%	0
		सामान्य	0	0.0%	0
	उप योग		**0**	**0%**	**0**
2	आमडांड	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	17	100.0%	4
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	0	0.0%	0
		सामान्य	0	0.0%	0

	उप योग		17	100%	4
3	बासीबेरदाह	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	3	17%	3
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	10	56%	3
		सामान्य	5	28%	1
	उप योग		18	100%	7
4	बेलवार	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	0	0.0%	0
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0.0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	0	0.0%	0
		सामान्य	0	0.0%	0
	उप योग		0	0%	0
5	धिरौली	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	10	76.9%	5
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0.0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	3	23.1%	1
		सामान्य	0	0.0%	0
	उप योग		13	100%	6
6	झलरी	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	4	80.0%	3
		अनुसूचित जाति (एससी)		0.0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	1	20.0%	1
		सामान्य	0	0.0%	0
	उप योग		5	100%	4
7	फाटपानी	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	9	50%	7
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	9	50%	2
		सामान्य	0	0%	0
	उप योग		18	100%	9
8	सिरसवाह	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	37	47%	15
		अनुसूचित जाति (एससी)		0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	42	53%	12
		सामान्य		0%	0
	उप योग		79	100%	27

कुल योग	150		57

ख. जिनकी मकान अथवा मकान एवं भूमि अर्जित हुई :

क्र.	ग्राम	पीएएच का सामाजिक स्तरीकरण	पीएपी	प्रतिशत	परिवारों की संख्या
1	अमरईखोह	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	68	4.3%	18
		अनुसूचित जाति (एससी)	10	0.6%	3
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	1211	76.2%	388
		सामान्य	300	18.9%	101
	उप योग		**1589**	**100%**	**510**
2	आमडांड	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	5	2.2%	1
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0.0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	206	92.4%	61
		सामान्य	12	5.4%	4
	उप योग		**223**	**100%**	**66**
3	बासीबेरदाह	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	463	30%	139
		अनुसूचित जाति (एससी)	7	0%	4
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	916	59%	275
		सामान्य	172	11%	66
	उप योग		**1558**	**100%**	**484**
4	बेलवार	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	39	5.5%	12
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0.0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	528	75.0%	171
		सामान्य	137	19.5%	44
	उप योग		**704**	**100%**	**227**
5	धिरौली	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	1255	39.7%	422
		अनुसूचित जाति (एससी)	157	5.0%	59
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	1495	47.3%	522
		सामान्य	256	8.1%	114
	उप योग		**3163**	**100%**	**1117**

6	झलरी	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	407	46.1%	130
		अनुसूचित जाति (एससी)	32	3.6%	12
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	438	49.7%	164
		सामान्य	5	0.6%	2
	उप योग		**882**	**100%**	**308**
7	फाटपानी	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	238	33%	75
		अनुसूचित जाति (एससी)	171	24%	55
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	236	32%	83
		सामान्य	82	11%	43
	उप योग		**727**	**100%**	**256**
8	सिरसवाह	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	0	0%	0
		अनुसूचित जाति (एससी)	0	0%	0
		अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)	18	100%	6
		सामान्य		0%	
	उप योग		**18**	**100%**	**6**
कुल योग			**8864**		**2974**

13. सामाजिक समाघात

समाघातों का विवरण एवं समाघातों की संकेतक सूची : प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभावों से संबंधित है, हालांकि कई चिंहित प्रभाव इस चरण के बाद भी जारी रहेंगे। निर्माण चरण में निम्न अनुमानित प्रभावों को शामिल किया गया है –

सकारात्मक प्रभाव

निर्माण के दौरान रोजगार सृजन

प्रस्तुत आधारभूत सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल इंगित करती है कि स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्रों में कुछ समुदाय गरीबी और अल्प विकास की स्थिति में हैं। उल्लेखनीय सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- ❖ कृषि, लघु वनोपज संग्रहण, वनीकरण के कार्य तथा पंचायत से 100 दिवस का रोजगार के विकल्प के रूप में निर्माण के दौरान रोजगार के सृजन को देखा जा सकता है।

- दूसरा एक उच्च बेरोजगारी दर परियोजना अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का लगभग एक तिहाई बेरोजगार है तथा बहुत कम आय का स्तर, विशेष रूप से परियोजना क्षेत्र में अधिकांश परिवारों की आय रूपए 10000 प्रतिमाह या उससे कम है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र और परिधीय क्षेत्र महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उम्मीद और विश्वास है कि खनन परियोजनाएं स्थानीय रोजगार के अवसर लायेगी, यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि समुदाय ऐसी परियोजनाओं का स्वागत करते हैं। हालांकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसे अवसरों की अपेक्षा मांग हमेशा अधिक होती है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना का व्यय पूर्वानुमान और भौगोलिक स्थिति जो व्यय की कई मदों से लाभान्वित होगी तथा कुछ उचित धारणाएँ निम्नानुसार बनाई जा सकती हैं:

- कम से कम खान कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा तथा वहॉ जो लोग बाहर से व्यवसाय तथा अन्य रोजगार की तलाश में बाहर से आकर परियोजना क्षेत्र में बसेंगे, उन समुदायों के बीच भी राजस्व का अन्तः आदान–प्रदान होगा। जैसे कि बाजार से सामान की खरीदी, सेवा कार्यों में खर्च, आदि से यहॉ आस–पास के समुदायों के भीतर राजस्व का पर्याप्त प्रवाह पैदा होने की उम्मीद है, इस प्रकार इस तरह के परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- प्रभावित क्षेत्र एवं परिधीय क्षेत्रों के व्यवसाय कर्ता को पूर्व की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। यह स्थिति परियोजना के अंत तक रहने की उम्मीद की जा सकती है। यदि स्थानीय और परिधीय क्षेत्रों में उपयुक्त सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं उनको भी ऐसी परियोजनाओं से लाभ होगा। निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य से जुड़े उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापित हो सकते हैं, जिससे राजस्व स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निरंतर लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करता रहेगा।
- पी.आर.आई. को खनन प्रस्तावक पर लगाए गए दरों और करों से लाभ होगा। स्थानीय ग्राम पंचायत में इस तरह की व्यवस्था ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास में योगदान कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।
- अंततः ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सामुदायिक विकास और मानव संसाधन विकास स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रगति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनेंगी।

- उपरोक्त के अलावा, कुछ निर्माण कार्यबल को स्थानीय ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर मौजूदा बुनियादी ढांचे में समायोजित किया जा सकता है, जैसे अतिथि गृह, कार्यालय, भंडारण कक्ष, आदि। यह भी स्थानीय अर्थव्यवस्था की दिशा में सकारात्मक योगदान देगा।

स्थानीय उद्यमियों के लिए बढ़ा हुआ बाजार

प्रस्तावित परियोजना के कारण अध्ययन क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों का प्रवास होगा। यद्यपि जनसंख्या प्रवाह के सामाजिक परिणाम अधिकतर नकारात्मक होते हैं, किंतु स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं। स्थानीय स्तर पर बाजार बढ़ेगा एवं बाहर से भी व्यापारी आकर स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ अनुबंध करके स्थापित होने की कोशिश करेगें, स्थानीय लोगों को भी नए व्यवसायों का अनुभव होगा और वे लोग भी अपने आप को व्यवसायिक तौर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

इसके अलावा प्रवासी स्थानीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति ला सकते हैं तथा कुशल लोग जो पहले कहीं और काम की तलाश में पलायन कर चुके हैं, लेकिन जिनके परिवार स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं, वे घर पर रोजगार की उम्मीद में वापस आ सकते हैं।

इस प्रभाव का महत्व प्रवासियों की संख्या और कौशल के साथ–साथ उनकी पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्रस्तावित परियोजना के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में कुशल प्रवासियों का प्रवास होता है जिनके परिवार पहले से ही निवासी हैं, तो इस प्रभाव का महत्व बढ़ जाएगा।

नकारात्मक प्रभाव

भौतिक और आर्थिक विस्थापन

प्रस्तावित परियोजना के कारण क्षेत्र का भौतिक व आर्थिक विस्थापन होगा। लोगों को परियोजना के बुनियादी ढॉचें विकसित करने के लिये लोगों को अन्यत्र विस्थापित किया जावेगा। इसके अलावा लोगों का आर्थिक विस्थापन भी होगा जैसा कि परियोजना क्षेत्र में लोगों का आर्थिक आधार कृषि व वन हैं। परियोजना के कारण भूमि जाने से दोनों आधारों का नुकसान होगा। लोगों को आर्थिक रूप से पुनः स्थापित होने में समय लगेगा और संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

नवागंतुकों और मौजूदा आबादी के बीच संघर्ष/प्रतिस्पर्धा

परियोजना के आने से स्थानीय लोगों मे रोजगार के अवसर प्राप्त होने की आशा बढ बढ़ जाती हैं। किन्तु कुशलता मे कमी के कारण बाहरी लोंगों के प्रवेश से स्थानीय एवं नवांगतुकों के बीच संघर्ष स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनसंख्या प्रवाह से जुड़े प्रभावों की प्रकृति और परिमाण दोनों ही संख्या, कौशल, व्यवहार, रोजगार की उम्मीदों और प्रवासियों की पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करेंगे। यह स्थानीय अध्ययन क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होने की संभावना पर भी निर्भर करेगा।

निर्माण श्रमिकों और नौकरी चाहने वालों की आमद के कई नकारात्मक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक स्थानीय लोगों और नवागंतुकों के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा है, जनसंख्या प्रवाह से जुड़े अन्य प्रभावों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर बढ़ते दबाव, सामाजिक विकृति में वृद्धि (अपराध सहित) और अनौपचारिक बस्तियों की वृद्धि शामिल है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परियोजना के लिए कार्यबल का अनुपात स्थानीय क्षेत्र से होगा, जबकि शेष परिधीय गांवों से प्राप्त किया जाएगा। यह संभव है कि नए लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के संघर्ष का एक संभावित कारण स्थानीय लोगों के बीच यह धारणा होगी कि बाहरी लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो स्थानीय समुदाय के बेरोजगार सदस्यों के पास जा सकती थी।

इस अध्ययन के प्रयोजन के दौरान लिए साक्षात्कार में हितधारकों ने संकेत दिया कि स्थानीय आबादी, प्रवासी श्रमिकों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, खासकर यदि वे कार्यकर्ता उन पदों को भरते हैं जो स्थानीय परिधीय क्षेत्र के भीतर से भरे जा सकते थे

स्थानीय सेवाओं/संसाधनों पर दबाव

प्रस्तावित परियोजना के कारण लोग नौकरी व विभिन्न व्यवसायों के लिय परियोजना क्षेत्र में प्रवाह करेंगे। इसके अलावा काई कार्यबल स्थानीय रूप से लिए जावेगें जिसके कारण अप्रत्यासित भीड़ बढ़ने की संभावना होगी। इन प्रवाह के स्रोत के कारण, स्थानीय सेवाओं और संसाधनों, विशेष रूप से आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुलिस बल, शैक्षिक सुविधाओं, खेल सुविधाओं और जल आपूर्ति पर धीरे–धीरे अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।

बढ़ी हुई सामाजिक विकृति

नौकरी चाहने वालों की आमद से विभिन्न सामाजिक विकृति में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से चोरी, अपराध, लड़ाई–झगड़े, गुटबाजी, यौन अपराध, यौन संचारित रोगों (एसटीडी) और एचआईवी / एड्स में परिणामी वृद्धि हो सकती है। परियोजना क्षेत्र के आस–पास के खनन क्षेत्रों की समस्यायों को देखते हुए स्थानीय भूमि मालिकों के साथ–साथ

निवासियों के लिए चिंता का विषय है। चूंकि प्रस्तावित परियोजना अपने परिचालन चरण के दौरान 24 घंटे काम करेगी (जैसा कि क्षेत्र की अन्य खदानें करती हैं), उल्लिखित विकृति की संभावना बढ़ सकती है।

अनौपचारिक बस्तियों का विकास

प्रस्तावित परियोजना के कारण लोग परिवार सहित परियोजना क्षेत्र में प्रवास करेंगे जिससे क्षेत्र में अनौपचारिक आवासों का विकास हो सकता है। यह सिथिति ग्राम पंचायत द्वारा आवास पूर्ति में असमर्थता के कारण हो सकती है। यह अनौपचारिक बस्तियॉ पानी, स्वच्छता व बिजली जैसी सुविधाओं की उन तक पहुॅच न होने के कारण कई तरह की आसामाजिक, आर्थिक व स्वस्थ्य संबंधी समस्याओं का क्षेत्र में जन्म दे सकती हैं।

15. विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क) यदि हाँ– तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई

(ख) यदि नहीं–तो क्यों?

जिला सिंगरौली के तहसील सरई, स्थित धिरौली कोल ब्लाक जो कि स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है। कोल ब्लाक का स्थल कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत् कोआर्डिनेट के कारण पुर्व निश्चित है परिणामस्वरूप अन्य स्थलों पर परियोजना की स्थापना का विकल्प नही है।

16. **निष्कर्ष** : धिरौली कोल ब्लॉक, 2672.00 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तृत है, सिंगरौली कोलफील्ड्स, मध्य प्रदेश में स्थित है, धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट बावत् प्राथमिक एवं द्वितीयक ऑकड़ों के आधार पर विस्तृत अध्ययन किया गया परियोजना की स्थापना से सकारात्मक पहलुओं का प्रभाव नकारात्मत पहलुओं पर ज्यादा प्रभावी एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। अध्ययन के समस्त पहलुओं पर विचार कर उनके क्रियानवयन एवं नियंत्रण हेतु सार्थक पहल की अनुशंसा की जाती है।

प्ररूप–ग

म.प्र. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015, नियम 5

सामाजिक समाघात प्रवन्ध योजना

निम्नालिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :

1. प्रभावित परिवारों की जीविका :

प्रभावित व्यक्तियों की व्यावसायिक रूपरेखा के अध्ययन में पाया गया की अधिकांश लोग लगभग 68.49 प्रतिशत कृषक के रूप में, 8.63 प्रतिशत व्यवसाय में, 11.49 प्रतिशत वेतनभोगी सेवाए (शासकीय व प्रायवेट) तथा 6.98 प्रतिशत लोग अन्य कार्य (मजदूरी इत्यादि) से जिविकोपार्जन करते है। लगभग 4.41 प्रतिशत लोग वृद्धा पेंशन प्राप्त करते हैं।

(क) ऐसे परिवारों जो पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु योग्य हों (पी डी एफ) उन परिवारों के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं परियोजना की आवश्यकतानुसार कम्पनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ/ठेकेदार/सेवा प्रदाता के रोल पर योग्यतानुसार/अकुशल श्रमिक के रूप मे नौकरी/रोजगार में नियोजित किये जाने में प्राथमिकता देने उचित होगा।

(ख) यदि बिन्दु (क) मे वर्णित सदस्य को उपरोक्तानुसार नौकरी/रोजगार में नियोजित नहीं किया जाता या वह नौकरी नहीं करना चाहता है तो उसे स्व–रोजगार के लिये कम्पनी के पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति के अनुरूप एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाना उचित होगा।

(ग) यदि बिन्दु (क) मे वर्णित सदस्य को भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा हस्तांतरित करने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर किसी सदस्य को परियोजना में नियोजित नही किया जाता है या वह नौकरी के एवज में एकमुश्त राशि 5.00 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये) की रकम प्राप्त नहीं करता है तो उसे रूपये 2000.00 रुपये (दो हजार रूपये) प्रतिमाह वार्षिकी अनुदान 20 वर्ष तक दिया जाना उचित होगा।

स्वयं का रोजगार – कम्पनी के द्वारा विस्थापितों के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकसित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना चाहिए। कम्पनी के आवश्यकतानुसार, विस्थापितों के द्वारा क्रय किये गये वाहनों को कम्पनी के कार्य मे लगाये जाने मे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पुनर्वास ग्राम मे निर्मित की गई दुकानों का आवंटन विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. **लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ :**

सामुदायिक भवन – पुनर्वास कालोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए। जिसमें एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार ग्रह सम्मिलित होना आवश्यक है।

हाट बाजार परिसर – विस्थापितो के जीवन से जुडी आवश्यक सामाग्रियों के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए भूमि सुरक्षित रखी जानी होगी ।

मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना– पुनर्वास कालोनी मे विस्थापित परिवारों के परामर्श के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर का निर्माण कराया जाए।

3. **आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सडकें, लोक परिवहन**

पुर्नव्यवस्थापित ग्राम से पक्की सडक मार्ग तक जुडी बारहमासी सडक – विस्थापितो के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सडक योजना के मानको के अन्तर्गत सड़क का निर्माण किया जाये।

पुर्नव्यवस्थापित ग्राम के भीतर सडक एवं नालियां – पुनर्वास कालोनी मे सड़कों का निर्माण कराया जाए। इस के साथ–साथ जल निकासी हेतु सड़क के किनारे–किनारे नाली का भी निर्माण किया जाए।

सड़क विद्युत – विस्थापितों के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक एवं वाहृय सड़को को विद्युत से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

4. **जल मल निकासी एवं स्वच्छता**

शौंचालयों की व्यवस्था – पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो को आवंटित किये जाने वाले कम्पनी द्वारा निर्मित प्रत्येक मकानों में शौंचालयों की सुबिधा का प्रावधान रखा जाये तथा सभी पुनर्वास कालोनी में निर्मित सभी सार्वजनिक भवनों में जैसे विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, सामुदायिक भवन, आगनवाडी, हाट बजार परिसर इत्यादि में उचित संख्या में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सामुहिक शौंचालयों का निर्माण कराया जाये। जल निकासी हेतु सड़क के किनारे–किनारे नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

5. **पेयजल के स्त्रोत**

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था – विस्थापितो को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पाइप लाईन से जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाये अथवा हैण्डपम्प की व्यवस्था किया जाना उचित होगा।

6. **पशुओं के लिए जलस्त्रोत**

आवश्यकतानुसार पशुओं के लिए जल स्त्रोत की व्यवस्था किया जाना उचित होगा।

7. **सामुदायिक तालाब**

आवश्यकतानुसार सामुदायिक तालाब का निर्माण पुनर्वास कालोनी में किया जाना उचित होगा।

8. **जन सुविधाएँ (जैसे पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान)**

उचित मूल्य दूकान – विस्थापितो को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जाए।

ऑगन बाड़ी भवन का निर्माण – विस्थापित परिवारो के बच्चो, कुमारी कन्याओं एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में आँगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जाए।

विद्यालय भवन – कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम में विद्यालय स्थापित किया जाये।

सार्वजनिक खेल का मैदान – विस्थापितो के बच्चों को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान के लिए भूमि सुरक्षित रखी जाये । खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जाये। शौचालय एवं आर0ओ0 प्लांट लगाया जाये।

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र का निर्माण – कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाए जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान हो।

कब्रिस्तान या श्मशान का निर्माण – विस्थापितो के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में विस्थापितों की सहमति अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान का निर्माण कराया जाए साथ उक्त स्थल पर के पानी की व्यवस्था एवं पहुच मार्ग का निर्माण कराया जाए।

10. **अतिरिक्त उपाय, जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।**

विस्थापन की दशा में मकान/प्लाट की व्यवस्थाः– प्रत्येक विस्थापित परिवार जिसको रिहायसी मकान से वंचित किया जायेगा उसे निम्न सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए–

(क) प्रत्येक विस्थापित परिवार को 90X60 वर्ग फुट का एक प्लाट पुनर्वास कालोनी में दिया जाये।

(ख) पुनर्वास कालोनी में मकानों का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जाकर विस्थापित परिवारों को आवंटित किया जाए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निर्धारित मानदण्डों से कम नहीं हो।

(ग) यदि कोई विस्थापित परिवार मकान नहीं लेना चाहता तो मकान के बदले उसे एकमुश्त 5.00 लाख रू0 (पाँच लाख रुपये) देय हो।

(घ) यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी में प्लाट नहीं लेना चाहता तो उसे प्लॉट के बदले 2.00 लाख रू0 (दो लाख रुपये) का भुगतान किया जाए।

(ङ) यदि कोई भी विस्थापित परिवार प्लॉट एवं मकान दोनो नहीं लेना चाहता तो उसे एकमुश्त 7.00 लाख रुपये (सात लाख रुपये) का भुगतान किया जाये।

विस्थापित परिवार के लिए परिवहन खर्चः– प्रत्येक विस्थापित परिवार को भवन सामग्री घरेलू सामान, व परिवार तथा पशुओ के शिफ्टिंग के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक मुश्त रकम 50000.00 रू0 (पचास हजार रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाये।

पशुबाडा/छोटी दुकान खर्चः– पशुबाडा या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को ऐसी छोटी दुकान या पशुबाडा के निर्माण के लिए न्यूनतम 50000.00 रू0 (पचास हजार रुपये) एक बार वित्तीय सहायता दी जाये।

पुर्नव्यवस्थापन भत्ताः– प्रत्येक विस्थापित परिवारों को **मकान खाली कर भूमि पर कम्पनी को भौतिक अधिपत्य हस्तान्तरित करने के पश्चात** रू0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) अनुदान दिया जाए।

1. परिचय

1.1 परिचय

विकास की प्रक्रिया में, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बड़ी परियोजनाओं की स्थापना और बड़े पैमाने पर खनन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रदूषण, प्रवास, सांस्कृतिक संघर्ष आदि के कारण विकास का अपने मेजबान समुदाय पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है। मेजबान समुदाय पर बड़े पैमाने पर परियोजना के सामाजिक–आर्थिक

प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक ताने–बाने को समझने, प्रभाव का आंकलन करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय प्रदान करने के लिए एक विस्तृत सामाजिक सामाघात के अध्ययन की आवश्यकता होती है। साथ ही इस परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए संघर्षों को कम करने और आगे की रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है। वर्तमान अध्ययन परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित समुदाय पर नकारात्मक प्रभावों के आंकलन एवं उसके प्रबंधन पर केंद्रित है।

1.2 परियोजना का विवरण

वर्तमान परिदृश्य मे खनिज औद्योगीकरण के मुख्य स्रोत हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान चरण और राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारत 89 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें से 4 ईंधन खनिज, 11 धातु के 52 गैर–धातु के और 22 लघु खनिज हैं। धिरौली कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में स्थित है। प्रस्तावित खदान में 586.39 मिलियन टन का भूगर्भीय भंडार है जिसमें से निकालने योग्य कोयले का भडार 298.12 मिलियन. टन है। धिरौली कोल ब्लॉक की उत्पादन क्षमता खुली खदान के द्वारा 5.0 एमटीपीए तथा अंडरग्राउंड माइनिंग के द्वारा 1.5 मिलियन टन की है।

धिरौली कोल ब्लॉक का क्षेत्रफल 2672 हेक्टेयर है और यह सिंगरौली जिला के सरई तहसील के 8 गाँवों, **आमडाड़, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, सिरसवाह, झलरी, धिरौली** और **फाटपानी** में फैला हुआ है।

तालिका –1

भूमि सूची

क्रम संख्या	गाँव का नाम	निजी भूमि (हेक्टेयर)	शासकीय भूमि (हेक्टेयर)		कुल राजस्व क्षेत्र (हेक्टेयर)
			राजस्व	राजस्व वन भूमि	
1	आमडाड़	25.75	17.98	7.49	51.22
2	अमरईखोह	45.78	64.74	2.63	113.15
3	बासी बेरदाह	147.67	23.30	29.83	200.80
4	बेलवार	30.83	10.66	nil	41.49
5	सिरसवाह	4.90	3.82	nil	8.72
6	झलरी	72.47	25.88	Nil	98.35
7	धिरौली	195.01	504.14	60.89	760.04
8	फाटपानी	31.60	31.28	nil	62.88
		504.01	**681.80**	**100.84**	**1336.65**
कुल राजस्व भूमि (ए)					**1336.65**
कुल आरक्षित वन भूमि (बी)					**1335.35**
कुल भूमि (ए+बी)					**2672.00**

1.3 अध्ययन

वर्तमान अध्ययन इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को समझने और विस्थापन के कारण हाने वाले समाघात निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया है।

मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने धिरौली कोल ब्लॉक, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के लिए एक सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

- आयु–लिंग संरचना, साक्षरता का स्तर, वैवाहिक स्थिति, जोत का आकार, फसल उत्पादन की पद्धति एवं व्यवसाय की पद्धति सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी)/परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की आधार रेखा जनसांख्यिकीय और सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल स्थापित करना।
- भूमि अधिग्रहण और परियोजना की स्थापना के कारण होने वाले प्रभाव और परियोजना क्षेत्रों के भीतर संभावित सामाजिक आर्थिक प्रभावों अध्ययन एवं आंकलन करना।
- भविष्य में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के जीवन स्तर का पता लगाने के लिए विकास के संकेतकों की पहचान करना।
- भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, मध्य प्रदेश शासन के आदर्श पुनर्वास नीति 2002 तथा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार पात्रता ढ़ांचे का निर्धारण करना और आर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लागत का अनुमान लगाना।

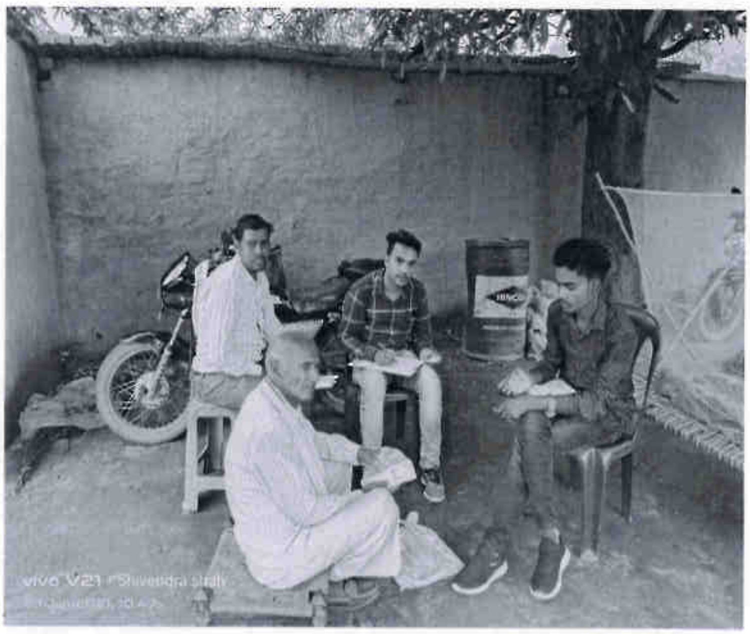

1.3.1 अध्ययन का दायरा

इस अध्ययन का दायरा अधिग्रहण की जाने वाली कुल भूमि, निजी एवं शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों का आकलन, आय और आजीविका के सम्बंध में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के आवश्यक विवरण प्राप्त करना शामिल है। इसमें साक्षात्कार के माध्यम से इस पूरे परियोजना से प्रभावित परिवारों के घर–घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी प्रभावित गाँवों के लिए गाँव की रूपरेखा और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक– आर्थिक स्थितियों और भूमि अधिग्रहण की

प्रक्रिया में उनमें से प्रत्येक को होने वाली क्षति की सीमा का आंकलन करने के लिए वृहद सूचकांक का अध्ययन किया गया है जो कि निम्नलिखित है :–

1.3.1.1 सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक मानंदंड

- परियोजना के क्षेत्र और परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) में जनसांख्यिकीय विवरण: आयु, लिंग, जाति, धर्म साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति आदि।
- पंचायत सदस्यों, स्कूल शिक्षकों और अन्य राय देने वाले नेताओं एवं समूदायों के साथ परामर्श करना।
- आर्थिक और सामाजिक भिन्नता, समानता की रूपरेखा, आदि सहित उनकी वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवारों (पीएफ) का सर्वेक्षण करना।
- प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का विवरण।
- स्थानीय आजीविका में योगदान देने वाले कारक जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच, सार्वजनिक संशाधनो, निजी संपत्ति, सिंचाई सुविधाएं आदि।
- बुनियादी सुविधा जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनवाड़ी केन्द्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि का विवरण देना।

1.3.1.2 प्रभाव वाले प्रमुख क्षेत्र

- भौतिक बुनियादी ढ़ाचे, भूमि, आजीविका, मकान, सामान्य संपत्ति के संदर्भ में निजी एवं शासकीय संपत्ति के नुकसान का आकलन करना:
- आजीविका और रोजगार की रूपरेखा, आय के स्तर आदि पर प्रभाव।
- कमजोर और सीमांत समूहों, लिंग और बच्चों की आबादी, आदि पर प्रभाव।
- पेड़, जंगल, जल के स्त्रोत और वायु की गुणवत्ता जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव।
- प्रवास के कारण स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य तथा बुजुर्गों पर होने वाले प्रभाव।
- सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक एकता और अंतर–समूह के संबंधों पर प्रभाव।

1.3.1.3 सभी प्रभावित हितधारकों के लिए पुनर्वास कार्य योजना

- सभी प्रभावित और विस्थापित परिवारों का जनगणना सर्वेक्षण करना और प्रत्येक प्रभावित परिवारों की संपत्ति का जायजा लेना।
- प्रचलित नीतियों एवं कानूनों के आधार पर परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ), परियोजना से विस्थापित परिवार (पीडीएफ) और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की गणना करना।

- व्यक्तिगत भूमि और संपत्ति का विवरण तैयार करना और नुकसान के आंकलन का अनुमान लगाना।
- सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची बनाना।
- सर्वेक्षण के निष्कर्षों और मौजूदा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कानूनों एवं नीतियों के आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की लागत का अनुमान लगाना।

1.4 कार्य प्रणाली

इस अध्ययन की प्रक्रिया में तीन चरण शामिल थे, पिछले दस्तावेजों, नीतियों और एकत्र किए गए सहायक डाटा की समीक्षा करना, सभी हितधारकों के साथ सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से गुणात्मक डाटा का संग्रह करना, और ग्राम सर्वेक्षण और नमूना घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मात्रात्मक डाटा का संग्रह करना।

- पहला कदम उपलब्ध सहायक डाटा एवं रिर्पोट, पिछले दस्तावेजों की कार्यप्रणाली की डेस्क सीमक्षा करना और विकास गतिविधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक संकेतकों को परिभाषित करना ।
- इन निष्कर्षों के आधार पर, सार्वजनिक परामर्श और घरेलू सर्वेक्षण के लिए उपाय विकसित किए गए। साथ हीं इस अध्ययन के उद्देश्य और मानव विकास के संकेतकों के आधार पर विकास संकेतकों की पहचान की गई।
- प्राथमिक डाटा, घरेलू सर्वेक्षण, सार्वजनिक परामर्श और राय देने वाले प्रतिनिधि,, स्थानीय शासकीय अधिकारियों और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि के साथ अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया;
- डाटा का मिलान, सारणीकरण, व्याख्या और विश्लेषण करना।

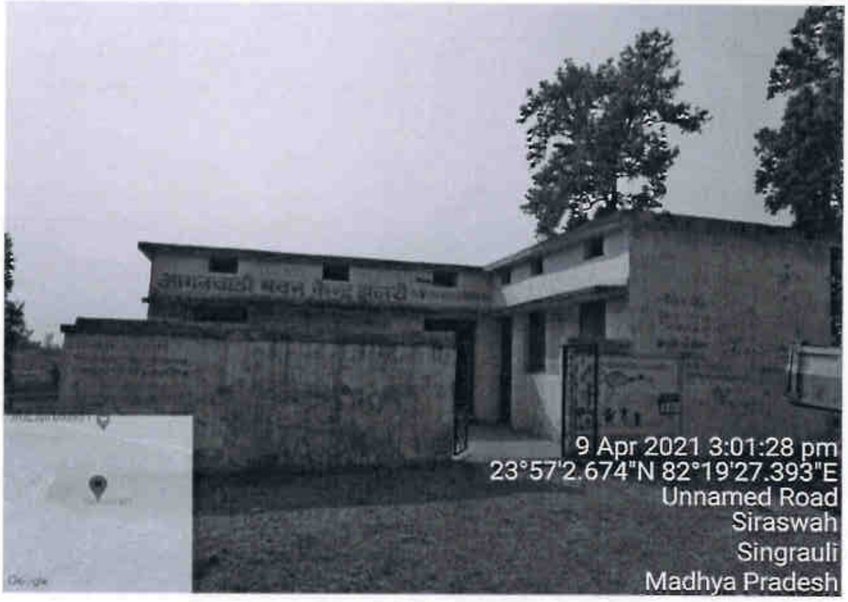

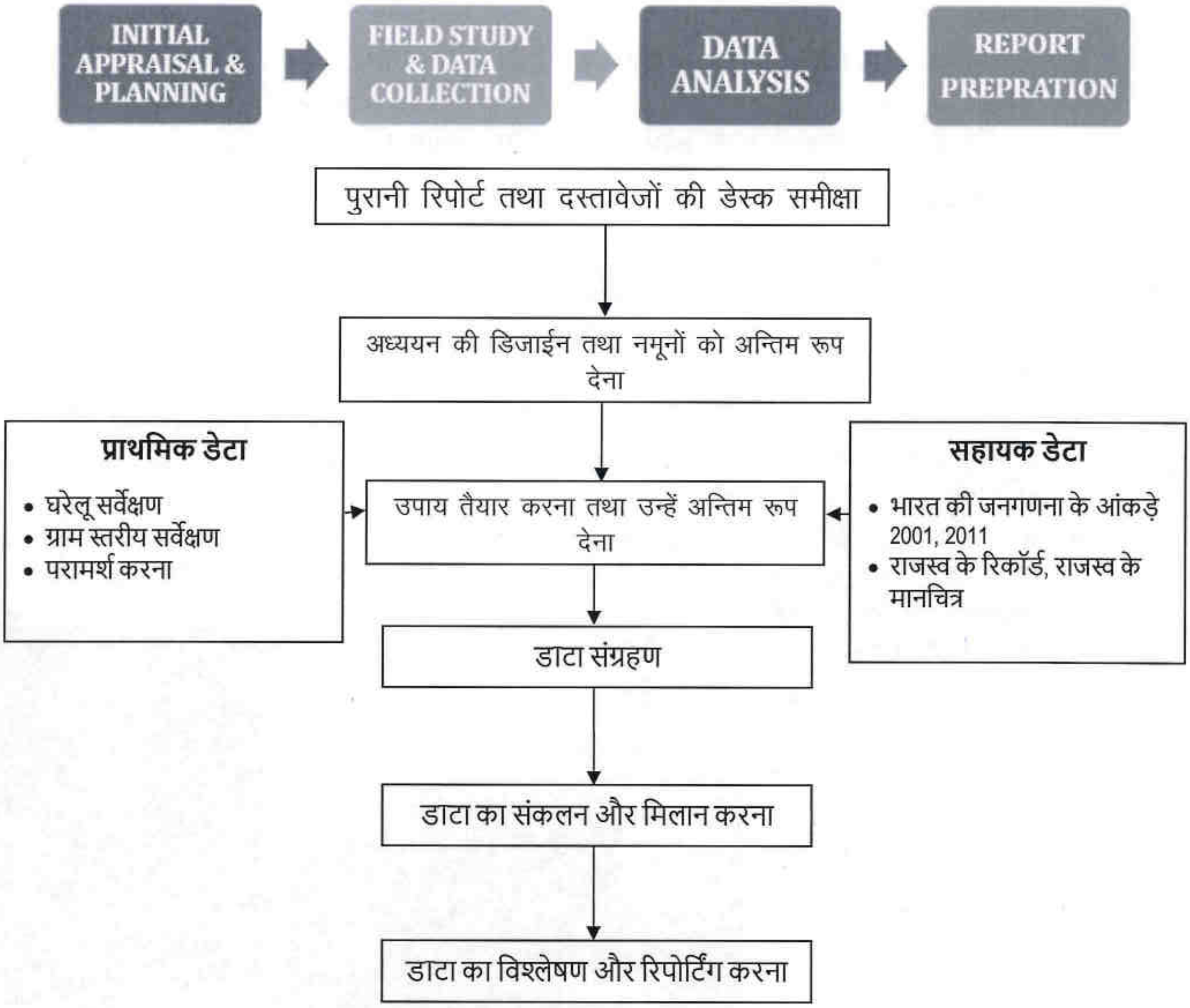

चित्र 1.1: अध्ययन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

प्रारंभिक मूल्यांकन और योजना बनाना

गतिविधि 1 : डेस्क समीक्षा

अध्ययन क्षेत्र के लिए उपलब्ध सभी प्रमुख अध्ययन रिपोर्टों और आंकड़ों की डेस्क समीक्षा की गई। पिछले अध्ययनों के निष्कर्षों/आंकड़ों को वर्तमान अध्ययन के संदर्भ के रूप में लिया गया। जहाँ भी संभव था, पिछले डाटा और वर्तमान अध्ययन के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए डाटा के बीच तुलना की गई।

गतिविधि 2: अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना

अध्ययन की संरचना, प्रणाली और प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले इस अध्ययन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों को समझा गया और इसके दायरे की पहचान की गई। जिस क्षेत्र का अध्ययन किया जाना था, उनकी पहचान की गई और चर्चा के दौरान संकेतकों को विकसित किया गया । घरेलू सर्वेक्षण साक्षात्कार कार्यक्रम, ग्राम सर्वेक्षण के प्रारूप और परामर्श के लिए प्रश्न सूची जैसे डाटा संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया।

गतिविधि 3: संकेतकों की पहचान करना

किसी भी सामाजिक विकास की गतिविधि के प्रभाव को समझने के लिए कुछ संकेतकों को विकसित करना जरूरी है, जिनका उपयोग पिछले आंकड़ों के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। इस अध्ययन के दौरान, इस क्षेत्र में विकास के स्तर का विश्लेषण करने के लिए कुछ संकेतकों का पता लगाने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन के दायरे के अनुसार पहचान किए गए संकेतक नीचे दिए गए हैं।

शिक्षा	• कुल और महिला साक्षरता दर • छात्र–शिक्षक अनुपात • स्कूल का बुनियादी ढ़ांचा
स्वास्थ्य	• संस्थागत वितरण • कुपोषित बच्चे • स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच
आधारभूत	• घर का प्रकार

संरचना	• सुरक्षित पेयजल • शौचायल की सुविधा • बिजली का कनेक्शन
रोजगार	• कार्य भागीदारी दर • मुख्य और सीमांत श्रमिकों का अनुपात • आय का स्तर
जनसांख्यिकी	• सामान्य और बाल लिंग अनुपात • जनसंख्या में वृद्धि • 6 साल से कम उम्र के बच्चे

गतिविधि 4: खनि पट्टा क्षेत्र का मानचित्रण और प्रभावित जनसंख्या की पहचान करना

इस गतिविधि में प्रभावित गाँवों के सभी राजस्व मानचित्रों का संग्रह और मिलान करना और उनका डिजिटलीकरण करना शामिल है। इसके बाद मिलान किए गए मैप पर खनि पट्टा क्षेत्र की सीमा का अध्यारोपण किया गया। इसके आधार पर तथा राजस्व /भूमि–स्वामित्व के विवरण के संदर्भ में, भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित स्वामित्व धारकों की कुल संख्या और मकानों के नुकसान के कारण प्रभावित मकान मालिक की पहचान की गई। सभी प्रभावित आबादी की ग्राम–वार सूची तैयार की गई।

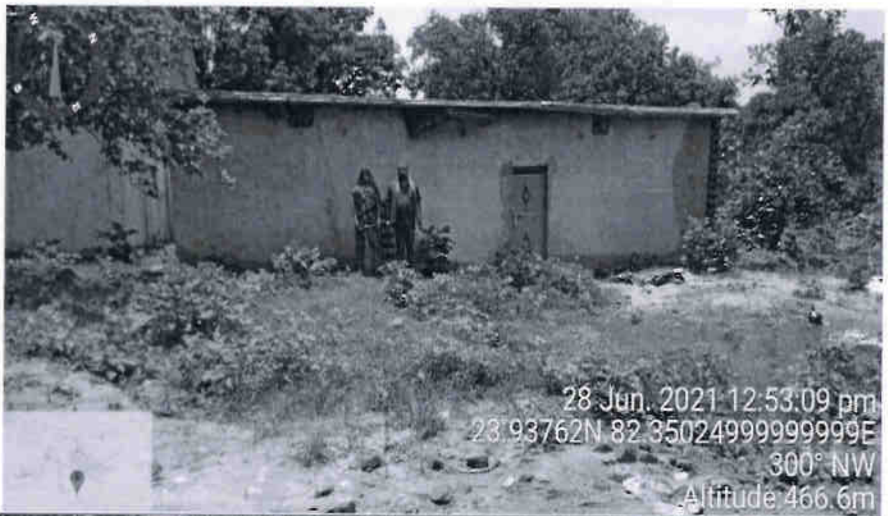

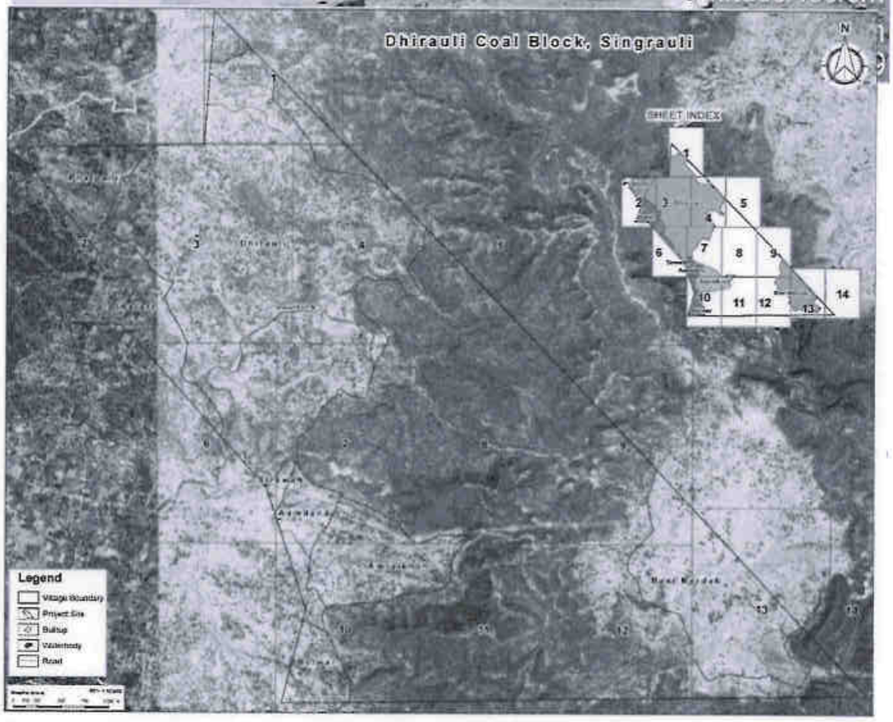

गतिविधि 5: ट्रांजेक्ट वॉक

तैयार किए गए नक्शों के आधार पर, 8 गाँवों के 2672 हेक्टेयर के पूरे परियोजना क्षेत्र की पहचान की गई और प्रारंभिक मौका स्थल का दौरा किया गया। यह दौरा अध्ययन दल द्वारा किया गया

और क्षेत्र सर्वेक्षण के कर्मचारियों ने खनि पट्टा क्षेत्र की सीमा के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया, ताकि इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं अर्थात् संरचनाओं, पेड़ों, सामाजिक बुनियादी ढांचे और वहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर तौर पर समझ सके।

गतिविधि 6: सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक

मुख्य दल ने शुरुआती कुछ दिनों में राजस्व विभाग के विभिन्न सरकारी अधिकारियों जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, सभी प्रभावित गाँव के पटवारियों के साथ बैठक किया और वन विभाग के अधिकारी जैसे कि वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी,, वन परिक्षेत्राधिकारी मानचित्रकार से भी संपर्क किया गया। भूमि अधिग्रहण हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के प्रकार, ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

गतिविधि 7: ग्रामीण एवं प्रतिनिधि के साथ बातचीत

प्रभावित क्षेत्र के लोगों का भरोषा और विश्वास हासिल करने के लिए उनके साथ तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण है। अध्ययन दल ने अध्ययन क्षेत्र में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, राय देने वाले समुहो और प्रशासनिक निर्णय लेने वालों सदस्यों के साथ बातचीत की गई। इन बातचीत की सहायता से मौजूदा सामाजिक समूहों की पहचान की गई। महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में महिलाओं, युवाओं और ग्राम स्तर के राय देने वाले प्रतिनिधियों की पहचान की गई। समुदाय तक पहुंचने के लिए सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को विश्वास में लिया गया और उन्हें इस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

1.4.1 डाटा संग्रहण

गतिविधि 1: सहायक डाटा का संग्रह करना

भारत की जनगणना 2001, 2011 प्राथमिक सार, राशन कार्ड तथा मतदाता सूची से जनसंख्या डाटा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति डाटा, आर्थिक सर्वेक्षण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से सहायक डाटा एकत्र किया गया। सहायक आँकड़ों का उद्देश्य बाद के चरण में सर्वेक्षणों से एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों के साथ इन आंकड़ों का मिलान करना है। इसके अलावा प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की पहचान के लिए पी.–II (खसरा) तथा बी–I (खतौनी) तथा अन्य राजस्व दस्तावेजों का विवरण तहसीलदार कार्यालय, सरई से एकत्र किए गए।

गतिविधि 2: डाटा संग्रह करने हेतु प्रणालि तैयार करना

तीन स्तरों पर डाटा एकत्र करने का निर्णय लिया गया, अर्थात ग्राम स्तर का सर्वेक्षण, घरेलू स्तर का सर्वेक्षण और सामुदायिक स्तर पर बातचीत करना। तद्नुसार, प्रारंभिक स्थल सर्वेक्षण के विश्लेषण,

एकत्र किए गए सहायक डाटा और भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता ाकि अधिकार अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के आधार पर, सभी प्रकार के सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रारूप तैयार किए गए।

गतिविधि 3:सर्वेयर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों का प्रशिक्षण

इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि वे प्रभावित गाँवों में मौजूद अंतर–समूह गतिशीलता की व्यापक समझ विकसित कर सकें। उन्हें इस परियोजना के विवरण, सर्वेक्षण की तकनीक, इस क्षेत्र से एकत्र की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता और रिपोर्टिंग के औपचारिकताओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में सर्वेक्षणकर्ताओं को नमूना सर्वेक्षण करने का अवसर दिया गया, जिससे डाटा संग्रह के उपकरणों के पूर्व–परीक्षण में भी मदद मिली।

गतिविधि 4: सर्वेक्षण एवं परामर्श

इस अध्ययन के लिए डाटा संग्रह इस परियोजना से सीधे प्रभावित होने वाले 8 गाँवों में आयोजित किया गया। ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण, सभी प्रभावित परिवारों का घर–घर सर्वेक्षण, अधिकारियों और राय देने वाले प्रतिनिधि के साथ सामुहिक चर्चा, सहभागी ग्रामीणों की सहभागिता एवं परामर्श आयोजित किए गए। घरेलू सर्वेक्षण के द्वारा सभी प्रभावित परिवारों के घर–घर जा कर सर्वेक्षण किया गया।

1.4.2 रिर्पोट तैयार करना

गतिविधि 1: डाटा संयोजन एवं सारणीकरण

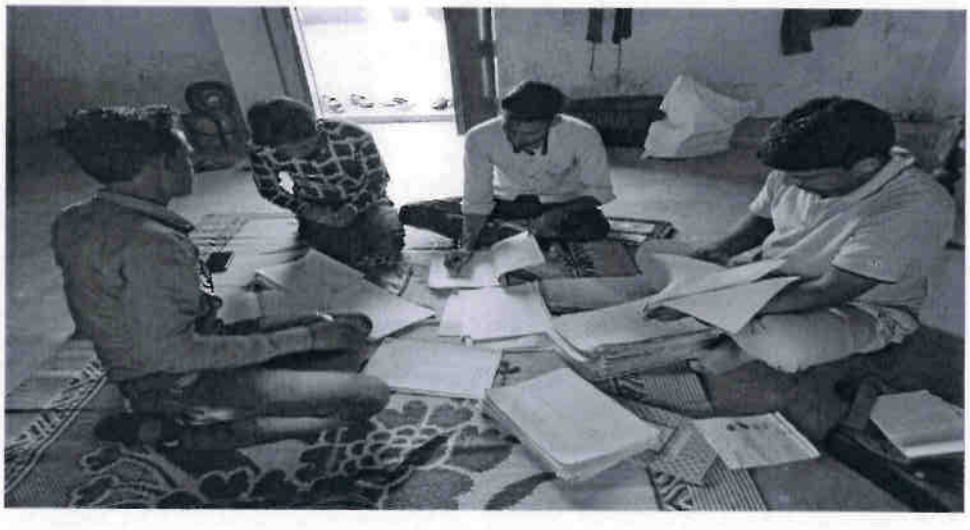

प्रभावित क्षेत्र से एकत्र किए गए डाटा/सूचना को व्यवस्थित और पद्धतिगत तरीके से विश्लेषण किया गया, इसकी प्राथमिक और छपी हुई सामग्री की जाँच की गई।

अलग करना : किसी विशेष प्रश्न के प्रत्युत्तरों को सभी मुक्त प्रश्नों के उत्तरों को सूचीबद्ध किया गया। एक विशिष्ट प्रश्न के तहत अप्रासंगिक मानी जाने वाली प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रश्न के तहत स्थानांतरित किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान, रिपोर्ट में संदर्भित सामग्री को उपयोग मे लाने के लिए महत्वपूर्ण विवरण निकाले गए।

जाँच करना : अंतिम जाँच में, प्रत्येक प्रश्न के लिए, डोमेन के अनुसार प्रतिक्रियाओं को कोडिंग किया गया। कुछ प्रतिक्रियाओं को एक से अधिक डोमेन के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि एक ही वाक्य में कई तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, अप्रासंगिक पाए गए उत्तरों को खारिज कर दिया गया।

सारांश तैयार करना : विश्वसनीयता और वैद्यता के दृष्टिकोण से भी अधिक सटीकता के साथ निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विभिन्न हितधारकों से मांगी गई जानकारी को विभाजित कर प्रत्येक मुद्दे के लिए अलग से सारांश तैयार किया गया।

गतिविधि 2: रिपोर्ट तैयार करना

एकत्रित और संकलित आंकड़ों के आधार पर लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और प्रभावित क्षेत्र के आबादी पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की हकदारी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, में प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गईं।

1.4.3 अध्ययन के लिए अपनाई गई तकनीक

इस अध्ययन के लिए डाटा विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक साधनों के माध्यम से एकत्र किया गया, ताकि जानकारी का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सके। विवरण नीचे दिया गया है।

1.4.3.1 *ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण*

प्रारंभ में सभी अध्ययन गाँवों में गाँवों के भौतिक अभिन्यास, सामाजिक–आर्थिक स्तरीकरण स्थान–वार, सार्वजनिक संसाधनों और सामान्य बुनियादी ढांचे को समझने के लिए प्रत्येक गाँव का भ्रमण किया गया। ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण प्रारूप तैयार किया गया और प्रत्येक गाँव के लिए आवास के प्रकार, धर्म और सामाजिक समूहों, उपलब्ध आजीविका विकल्प, कृषि प्रथाओं, सिंचाई के स्रोतों, आसपास के क्षेत्र में संभावित कमाई के अवसरों की उपलब्धता के संबंध में गाँव की समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थिति, सामुदायिक संस्थान (स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल, आदि), सार्वजनिक संसाधन जैसे चरागाह, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता आदि को समझने के लिए अध्ययन किया गया। गाँवों की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया उनमें सरपंच, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के सदस्य, स्कूल शिक्षक आदि शामिल थे। सभी 8 प्रभावित गाँवों में सर्वेक्षण किया गया।

1.4.3.2 *ग्राम अवसंरचना सर्वेक्षण*

दूसरे चरण में ग्राम स्तर का सर्वेक्षण करने के बाद सभी सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाडी केन्द्रों और गाँवों में उपलब्ध अन्य सामुदायिक संसाधनों और प्रभावित आबादी द्वारा गाँवों के बाहर भी उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का दौरा किया गया। उनके कामकाज, संचालन में आने वाली समस्याओं आदि के विवरण पर स्कूल के शिक्षकों, डॉक्टरों या संगठन के

किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति के साथ चर्चा की गई। यहाँ तक कि सामान्य मुद्दों जैसे कि शिक्षा की स्थिति, सामान्य बीमारियों, स्वास्थ्य प्रथाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक संबंधों आदि के बारे में सामान्य जानकारी भी इन बातचीत के माध्यम से एकत्र की गई।

1.4.3.3 परामर्श करना

संपूर्ण सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया में परामर्शी प्रक्रिया एक नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण चरण रही है। इस परियोजना की स्वीकार्यता और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय लोगों के समूहों तथा स्कूलों और पंचायत कार्यालय जैसे रणनीतिक स्थानों पर केंद्रित समूहों से चर्चा एवं विचार–विमर्श किया गया। इन परामर्शों एवं चर्चाओं के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि स्थानीय लोग इस परियोजना विशिष्ट अध्ययनों में भाग ले और उन्हे अपनी चिंताओं तथा विचारों से अवगत करावें। हितधारकों, स्थानीय लोगों और निकायों ने जो सुझाव/प्राथमिकताएँ साझा की उन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सभी गाँवों में विचार विमर्श किया गया।

1.4.3.4 घरेलू सर्वेक्षण

सभी प्रभावित परिवारों का नमूने के आधार पर सर्वेक्षण किया गया और प्रत्येक गाँव से नमूने लिए गए। एक संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें संभावित कमाई के अवसरों की उपलब्धता, आय, सामाजिक संपर्क, संपत्ति आदि जैसे पहलू शामिल थे। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की स्थिति में बदलाव साक्षात्कार कार्यक्रम में भी परिलक्षित हुआ। इस प्रारूप में क्लोज–एंडेड मात्रात्मक प्रश्न और साथ ही ओपन–एंडेड गुणात्मक प्रश्न दोनों थे। घरेलू सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त साक्षात्कार कार्यकर्म को अंतिम रूप देने के लिए, नमूने के 2% लोगों पर एक पूर्व परीक्षण किया गया था। निष्कर्षों के अनुसार, आगे के सर्वेक्षण के लिए प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

1.5 रिर्पोट की संरचना

सामाजिक समाघात निर्धारण पर यह व्यापक रिपोर्ट निम्नलिखित **अध्यायों में क्रमिक रूप से संरचित** किया गया है:

- अध्याय 1: परिचय
- अध्याय 2: कानूनी और मुआवजे का ढांचा
- अध्ययन 3: अध्ययन क्षेत्र की आधारभूत सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा
- अध्याय 4: पीएएच/पीडीएच की आधारभूत रूपरेखा
- अध्याय 5: सामुदायिक परामर्श
- अध्याय 6: प्रत्याशित प्रभाव
- अध्याय 7: कार्यान्वयन की व्यवस्था
- अध्याय 8: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

2. कानूनी और मुआवजा ढांचा

2.1 प्रस्तावना

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन ढांचे की योजना और कार्यान्वयन के लिए मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य विधानों और नीतियों की समझ महत्वपूर्ण है। विधान और नीतियां पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं जो प्रभावित गांवों में स्थायी आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, स्वच्छता और उपयुक्त आजीविका के अवसर प्रदान करेगी।

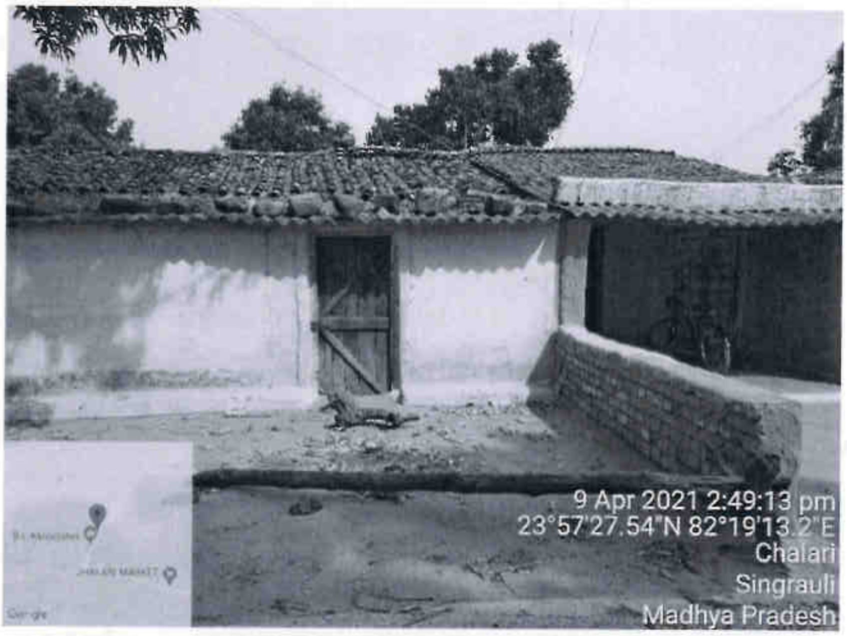

तालिका 2.1: भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रमुख कानून

नाम	दायरा और उद्देश्य	प्रयोज्यता	संस्तायें
संविधा (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992	• ग्राम पंचायत स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण ताकि सभी निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाएं। • जिला परिषद के परामर्श से ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास गतिविधियाँ	• गतिविधियों का विकास • गांव के विकास पर निर्णय • खनि पट्टा स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	जिला परिषद पंचायत समिति, ग्राम पंचायत
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में	• राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित नियम	• आवेदन के रूप में लागू होगा क्योंकि	संबंधित जिले के जिला

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	• इसमें अधिग्रहण, एंटाइटेलमेंट फ्रेमवर्क, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की तैयारी आदि की प्रक्रिया शामिल है	भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाएगी	प्रशासन
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासियों को उनके वन अधिकार प्रभावित होने पर हकदारता मिलती है	• वन क्षेत्र में रहने वाली जनजातीय आबादी जो वन एवं वनोपज पर निर्भर हैं	ग्राम सभा, अनुमण्डल स्तरीय समिति, तथा जिला स्तरीय समिति, और कलेक्टर

2.2 संविधान (73 वें संशोधन) अधिनियम, 1992

यद्यपि पंचायत भारत के सबसे पुरानी संस्था में से एक है, यह देखा गया कि ये संस्थान नियमित चुनावों की अनुपस्थिति, कमजोर वर्गों और महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त विघटन, बिजली और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण व्यवहार्य और उत्तरदायी लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पता करने में सक्षम नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ यह संविधान में कुछ सिद्धांतों और पंचायती राज संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं को शामिल करने के लिए आवश्यक पाया गया, ताकि निश्चित रूप से निश्चितता, निरंतरता और ताकत प्रदान की जा सके।

विधायी शक्ति के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से भारत में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए 1992 में 73 वें संशोधन के रूप में संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया। संविधान के (73 वें संशोधन) अधिनियम में शामिल मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थानों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं;
- पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हर 5 सालों में आयोजित किया जाएगा;
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
- महिला उम्मीदवारों के लिए एक तिहाई सीट आरक्षण;
- ग्राम सभा का गठन, जिसमें सभी परिवारों को शामिल किया जाएगा और पंचायत का सामान्य निकाय होगा

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना तैयार करने के संबंध में पंचायत पर राज्य विधायिका द्वारा बिजली और जिम्मेदारियों का विकास।

पंचायत पर निहित गतिविधियों और जिम्मेदारियों में आर्थिक विकास, स्कूल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, महिलाओं और बच्चों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

इस कानूनी प्रावधान ने पंचायत को अधिक वैधानिक शक्ति प्रदान की। पहली बार पंचायत को विशेष रूप से संरचना, संयोजन, शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में उच्च स्तर की एकरूपता देखी जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि उन्हें स्वशासन के प्रभावी संस्थान बनाने के लिए आवश्यक आवंटित मूल्यों, प्राथमिकताओं और नीतियों के साथ प्रकृति में लोकतांत्रिक (नियमित और अनिवार्य चुनावों के माध्यम से) होना चाहिए।

2.3 पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1962, 24 दिसंबर, 1996 को लागू हुआ। यह अधिनियम पंचायतों को आदिवासी बहुल राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों तक लागू होता है। इसका उद्देश्य जनजातीय समाजों को अपने भाग्य पर नियंत्रण करने और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों को रक्षित और संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। राज्य सरकारों को एक वर्ष के भीतर यानी 23 दिसंबर, 1997 तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने विधानों को अधिनियमित करना आवश्यक था। अधिकांश राज्यों ने अधिनियम 14, 1996 में निहित प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक राज्य कानून बनाए हैं।.

पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान की मुख्य विशेषताएं।

- प्रत्येक गांव में एक निर्वाचित ग्राम सभा होगी और यह लोगों की परंपराओं और रीति–रिवाजों की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी ।
- ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके कार्यान्वयन से पहले अनुमोदित करेगी।
- गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए ग्राम सभा जिम्मेदार होगी।
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण पंचायत में समुदायों की आबादी के अनुपात में होगा ।

- (i) खनन खनिजों के लिए लाइसेंस, और ii) अनुसूचित क्षेत्रों में नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायतें देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिशें अनिवार्य होंगी।

राज्य विधायिका द्वारा पंचायतों और ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्ति में अन्य बातों के अलावा लघु वन उपज का स्वामित्व, ग्राम बाजारों का प्रबंधन, स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण आदि शामिल हैं।

2.4 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को अनिवार्य रूप से एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हमेशा, प्रत्येक उदाहरण में, अनिवार्य रूप से भूमि के अधिग्रहण के बाद ही होना चाहिए। दोनों – पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और भूमि अधिग्रहण – को एक कानून के भीतर नहीं जोड़ने में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की उपेक्षा का जोखिम हो सकता है। यह अब तक का अनुभव रहा है क्योंकि दोनों के लिए अलग–अलग कानून नहीं थे। वास्तव में, केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीतियां थीं और भारत में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोई कानूनी अधिनियम नहीं था, जबकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पुरातन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा शासित थी। इस प्रकार वर्तमान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप प्रभावित और विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के विषय पर पहला राष्ट्रीय/केंद्रीय कानून है। अधिनियमन का उद्देश्य संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभा के संस्थानों के परामर्श से औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास और शहरीकरण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी हो। यह उन प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए भी है जिनकी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य अधिग्रहण का संचयी परिणाम यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने जिससे उनके अधिग्रहण के बाद की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

2.4.1 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 का दायरा

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रावधान दोनों तब लागू होंगे जब

- सरकार अपने उपयोग, नियंत्रण और संचालन के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है
- सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों के उपयोग के लिए इसे हस्तांतरित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ भूमि का अधिग्रहण करती है (सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं सहित लेकिन राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अलावा)
- सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी कंपनियों द्वारा तत्काल और घोषित उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है

केवल पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रावधान तब लागू होंगे जब निजी कंपनियां किसी परियोजना के

लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 एकड़ से अधिक या शहरी क्षेत्रों में 50 एकड़ से अधिक भूमि खरीदती हैं।

केवल भूमि अधिग्रहण प्रावधान अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र पर लागू होंगे लेकिन आर एंड आर प्रावधान पूरे परियोजना क्षेत्र पर लागू होंगे, भले ही निजी कंपनी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आंशिक अधिग्रहण के लिए सरकार से संपर्क करे।

2.4.2 मुख्य विशेषताएं

- मुआवज़ा : सर्किल दरों की गलत प्रकृति को देखते हुए, विधेयक मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से चार गुना तक और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से दोगुना है।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन : यह पहला कानून है जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के साथ जुड़े दायित्वों को जोड़ता है। पांच से अधिक अध्याय और दो संपूर्ण अनुसूचियां पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं (और अधिकार) को रेखांकित करने के लिए हैं। दूसरी अनुसूची विशेष रूप से उन लाभों (जैसे भूमि, आवास, रोजगार और वार्षिकी के लिए भूमि) की रूपरेखा तैयार करती है जो एकमुश्त नकद भुगतान के अतिरिक्त अर्जित होंगे।
- पूर्वव्यापी संचालनः ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए विधेयक उन मामलों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जहां कोई भूमि अधिग्रहण अधिनिर्णय नहीं दिया गया है। साथ ही उन मामलों में जहां पांच साल पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया है या कोई कब्जा नहीं हुआ है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी।
- एकाधिक चेक और शेष राशिः किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत से पहले एक व्यापक, सहभागी और सार्थक प्रक्रिया (स्थानीय पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी को शामिल करते हुए) को लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन दायित्वों को भी पूरा किया गया है।

- जनजातीय समुदायों और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष सुरक्षा उपायः अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी कानून प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानून के तहत गारंटीकृत सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इसके विशेष उन्नत लाभ हैं (एक समर्पित अध्याय में उल्लिखित)।
- विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा उपायः कानून में प्रावधान है कि जब तक सभी भुगतान नहीं किए जाते और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए वैकल्पिक स्थल तैयार नहीं किए जाते, तब तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। तीसरी अनुसूची में उन आधारभूत सुविधाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है जो विस्थापितों को प्रदान की जानी हैं।
- आजीविका खोने वालों के लिए मुआवजाः भूमि खोने वालों के अलावा, यह अधिनियम उन लोगों को मुआवजा प्रदान करता है जो अपनी आजीविका के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर हैं।
- सहमतिः ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल हैं या निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण हो रहा है, अधिनियम में उन लोगों की क्रमशः 70% और 80% से कम (दोनों मामलों में) सहमति की आवश्यकता नहीं है, जिनकी भूमि अधिग्रहण की मांग की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।
- बहुफसली और कृषि भूमि के अधिग्रहण पर उच्चतम सीमाः खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए और मनमाने अधिग्रहण को रोकने के लिए, अधिनियम राज्यों को कृषि खेती के तहत उस क्षेत्र पर सीमाएं लगाने का निर्देश देता है जिसे हासिल किया जा सकता है।
- अप्रयुक्त भूमि की वापसीः यदि अधिग्रहण के बाद भूमि अनुपयोगी रहती है, तो नया विधेयक राज्यों को भूमि मालिक को या स्टेट लैंड बैंक को वापस करने का अधिकार देता है।

- आयकर और स्टाम्प शुल्क से छूटः नए कानून के प्रावधानों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को अर्जित होने वाली किसी भी राशि पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा और कोई स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- सराहनीय भूमि मूल्य में हिस्साः जहां अधिग्रहीत भूमि किसी तीसरे पक्ष को अधिक कीमत पर बेची जाती है, वहां मूल्यांकित भूमि मूल्य (या लाभ) का 40% मूल मालिकों के साथ साझा किया जाएगा.
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करनाः सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाना आवश्यक है। सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत तैयार की गई रिपोर्ट को इन व्यक्तियों के साथ उनकी स्थानीय भाषा में सारांश के साथ साझा किया जाना है। विशेषज्ञ समूह में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित दो सदस्य होने चाहिए। यह एक शक्तिशाली निकाय है जो किसी परियोजना को अस्वीकार करने की शक्ति रखता है। यदि किसी प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत या नगर पालिका शामिल है, तो प्रत्येक ग्राम सभा में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी जहां उस ग्राम सभा की पच्चीस प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

2.4.3 पात्रता रूपरेखा

2.4.3.1 भूमि के लिए न्यूनतम मुआवजा (अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार)

भूमि का बाजार मूल्य

अ. उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो : या

ब. निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत : या

स. प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम

इनमें से जो भी अधिक हो :

परन्तु भूमि का मूल्य के अवधारण

भूमि पर स्थित संपत्ति का मूल्यः भवन/पेड़/कुएं/फसल आदि जैसा कि संबंधित सरकार द्वारा मूल्यांकित किया गया है। प्राधिकरण पर भी विचार किया जाएगा;

तोषण : भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 (1) के तहत संदत्त किये जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर अंतिम अधिनिर्णय पर पहुँचने के लिए और शतप्रतिशत प्रतिकर के रकम के समतुल्य "तोषण" की रकम अधिरोपित की जाएगी।

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के तहत धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि की बाबत् ऐसे बाजार मूल्य की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से हीं प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

2.4.3.2 न्यूनतम पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन पात्रता (अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार)

<u>भूमि के मालिकों के लिए :</u>

दूसरी अनुसूची

धारा 31 (1), 38(1) और 105(3) देखिए

ऐसे तत्वों के अतिरिक्त, जो पहली अनुसूची मे उपबंधित हैं सभी प्रभावित कुटुंबों (ऐसे भू–स्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व

क्रम संख्या	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व	हकदारी / उपबंध
(1)	(2)	(3)
1.	**विस्थापन की दशा में आवासन इकाइयों की व्यवस्था**	(1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो इंदिरा आवास योजना बिनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। (2) ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रुप से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा, परन्तु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुंब, जो प्रस्तावित मकान को न लेने का विकल्प चुनता है, मकान निर्माण के लिए एक लाख पचास हजार रुपये से कम की नहीं होगी, प्राप्त करेगा, परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुंब ऐसा चाहे तो उसे निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्चे प्रस्तावित किया जा सकेगा। परन्तु यह भी कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपक्रमों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण–शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिले भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरुप सीमांत कृशक या भूमिहीन की प्रास्थिति मे आ गया है, प्रभावित कुटुंब से संबंधित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड भूमि आबंटित की जाएगी परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में उन व्यक्तियों को जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे है और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के है अर्जित क्षेत्र के समतल्य या ढाई एकड भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	यदि भूमि को षहरीकरण के प्रयोजनों के लिए, अर्जित किया जाता है तो विकसित भूमि का बीस प्रतिषत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुंबों को उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर, प्रस्थापना की जाएगी:
4.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है :– (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां अपेक्षित क्षेत्रों में सुमचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदुरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब रूपये 5,00,000 / – (पाँच लाख रुपए) मात्र का एक बारगी संदाय:

		या (ग) वार्षिकी पालिसियाँ जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन–निर्वाह अनुदान	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंबों को, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपये प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा। इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) के समतुल्य रकम प्राप्त करेगें। अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की दशा में, यथा संभव प्रभावित कुटुंबों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातिय समुदायों के आर्थिक अवसरों को उनकी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सके।
6.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जो विस्थापित हुआ है, कुटुंब, भवन सामाग्री, घरेलू सामाग्री और पशुओं को दुसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रुप में रूपये 50,000/–(पचास हजार रुपए मात्र) की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
7.	पशुबाडा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार रुपए मात्र) की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

8.	कारीगारों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान	किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रुप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एकबारगी वित्तीय सहायता पाएगी जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार रुपए मात्र) की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
9.	मछली पकडने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल रूपये 50,000/– (पचास हजार रुपए मात्र) का एक बारगी ''पुनर्व्यवस्थापन भत्ता'' दिया जाएगा।
11	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा। (2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। (3) आबंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम से हो सकेगा।

2.4.3.3 पुर्नव्यवस्थापन के तहत ढांचागत सुविधाएं (अधिनियम की अनुसूची ।।। के अनुसार)

तीसरी अनुसूची

धारा 32 (2), 38 (1) एवं 105 (3) देखिए।

जन समुदाय के पुनव्यवर्स्थापन के लिये अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएँ यह सुनिश्चित करने के लिये उपलब्ध करवाई जाएं कि नए

गांव या कालोनी मे पुनर्व्यस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिये ऐसी न्यूनतम निम्नलिखित सहुलियतें और संसाधन, जो समुचित हो उपलब्ध कराना उचित होगा

क्र.सं.	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुख–सुविधाओं के संघटक
1	सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्थ सभी मौसमों मे उपयुक्त सड़क – लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
2	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन किया जाएगा।
3	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिये सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक आश्वासित स्त्रोत।
4	पशुओं के लिये पेय जल की व्यवस्था।
5	राज्य मे स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।
6	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
7	यथोचित पंचायत घर।
8	बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर यथोचित डाकघर।
9	बीज सह उर्वरक भंडारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
10	पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों को आबंटित कृषि भूमि के लिये मूलभूत सिंचाई सुविधाए, यदि सिंचाई परियोजना से संबंधित न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सरकारी स्कीम या विशेष सहायता द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

11	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए लिये स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
12	स्थल पर रहने वाले जाति–समूदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रस्तान या श्मशान घाट।
13	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।
14	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिये व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।
15	शिशु एवं माता को पूरक पोषनीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।
16	निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय।
17	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
18	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
19	बच्चों के लिए क्रीड़ास्थल।
20	प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।
21	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उसके आयाम से प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिये चौपाल / वृक्ष चबूतरा।
22	परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिये अलग भूमि का चिन्हित किया जाना।
23	वन मे रहने वाले कुटुंबो को, जहां संभव हो, गैर काष्ठ वनोत्पाद संबंधी उनके वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन, यदि ये व्यर्वस्थापन के नये स्थान के समीप उपलब्ध कराए जाएं और यदि ऐसे कोई कुटुंब बेदखली के ऐसे स्थान के समीप के क्षेत्र मे की ऐसे वन या सामान्य संपत्ति मे अपनी पहुँच या प्रवेश को जारी रख सकता है तो वे आजीविका के पूर्वोक्त स्त्रोतों के अपने पूर्व अधिकारों के उपभोग को जारी रख सकेंगें।
24	व्यर्वस्थापन के लिए सुचित सुरक्षा व्यवस्था का यदि आवश्यक हो, उपबंध किया जाना चाहिए।
25	सन्नियमो के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

2.4.4 प्रक्रिया प्रवाह

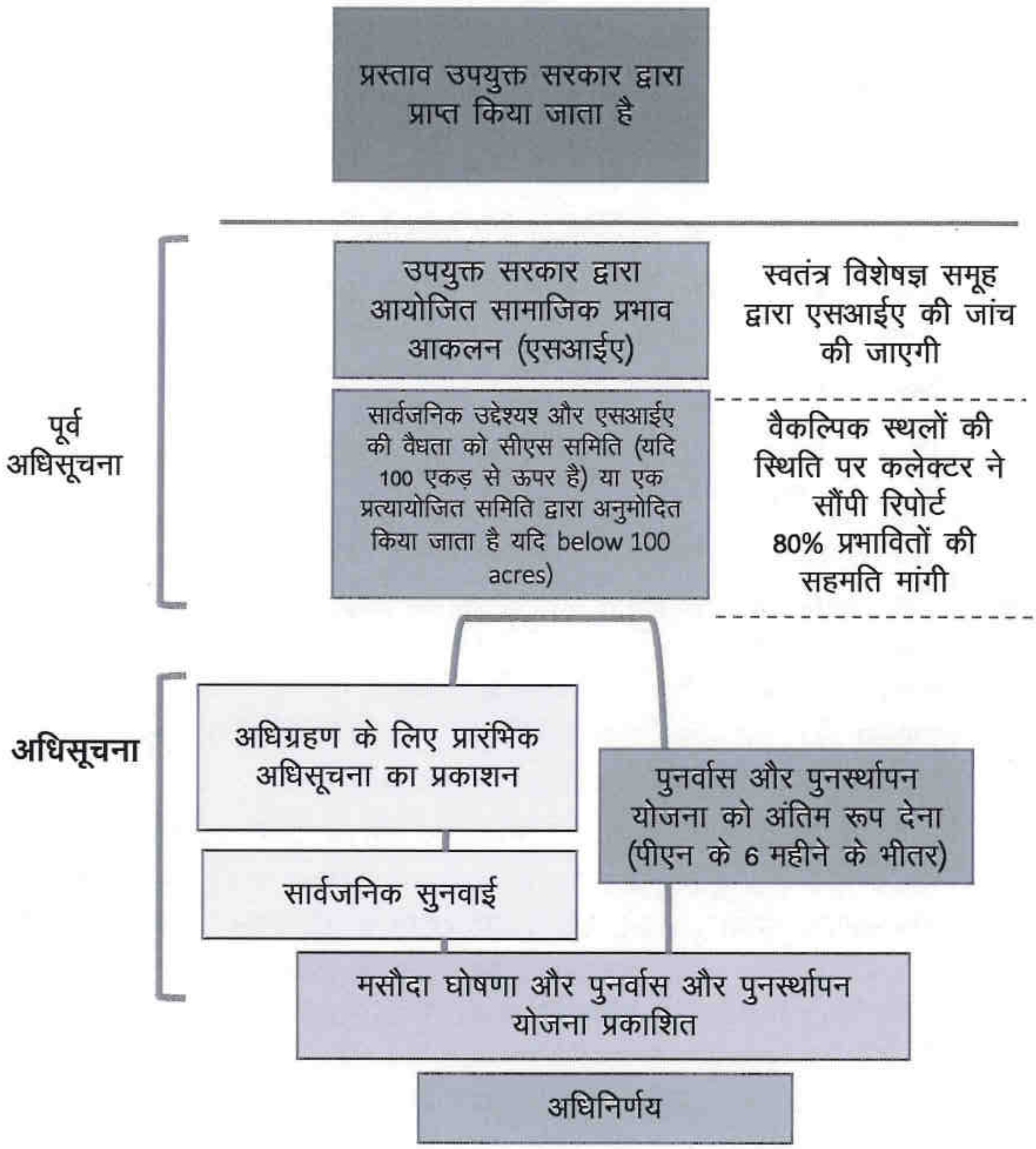

2.4.5 संस्थागत संरचना

केंद्र	राष्ट्रीय निगरानी समिति	सभी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय स्तर पर निरीक्षण
स्टेट	राज्य भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण	राज्य परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान
	मुख्य सचिव समिति	निर्धारित करें कि क्या परियोजनाएं सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हैं
	राज्य आयुक्त, आरआर	राज्य में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए समग्र प्रशासन
परियोजना स्तरीय	जिला कलेक्टर	समग्र समन्वय और कार्यान्वयन
	प्रशासक, आरआर	व्यवस्थापक परियोजना–स्तरीय आरआर
	आरआर समिति	निरीक्षण (निर्वाचित प्रतिनिधि, नागरिक समाज, लाइन एजेंसियां)

2.4.6 समयसीमा

1. अधिनिर्णय पुरस्कार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर मुआवजा दिया जाएगा;

2. अधिनिर्णय की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मौद्रिक पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन पात्रताएं प्रदान की जाएंगी।;
3. अधिनिर्णय की तारीख से अठारह महीने की अवधि के भीतर अवसंरचना पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन पात्रताएं प्रदान की जाएंगी।;
4. कोई भी अनैच्छिक विस्थापन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के पूर्ण किए बिना नहीं होगा;

2.5 निष्कर्ष

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करेगा और सुविधा स्थापना के प्रभाव में आने वाले लोगों को अधिकतम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए मानकों का पालन करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुमानित विस्थापन की कल्पना नहीं की गई है। हालांकि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड विस्थापन को कम करने के लिए गैर–विस्थापन या कम से कम–विस्थापन विकल्पों की पहचान करेगा लेकिन विस्थापन भूमि विक्रेताओं की इच्छा के अधीन लागू होगा। पेड़ों और जमीन की वास्तविक कीमत लोगों को दी जाएगी। वर्तमान मामले में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिकायतों के कार्यान्वयन, निगरानी और निवारण के लिए एक आंतरिक क्रियाविधि स्थापित किया जाएगा।

3. अध्ययन क्षेत्र की आधारभूत सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा

3.1 परिचय

प्रस्तावित धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के **अमरईखोह, आमडाड़, बासीबेरदहा, बेलवार, सिरसवाह, झलरी, धिरौली** और **फाटपानी** गाँवों में स्थित है। सभी आठ गाँवों से पूर्ण या आंशिक रूप से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस अध्याय में परियोजना प्रभावित क्षेत्र (साईट से 10 किमी के दायरे का क्षेत्रफल) और वास्तविक परियोजना स्थल का सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में, मौजूदा सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा से प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका के निर्वाह को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस परियोजना से प्रभावित लोगों, उनकी क्षमताओं और उनकी आकांक्षाओं की उचित समझ विकसित

करना आवश्यक है। उपर्युक्त पहलुओं का पता लगाने के लिए, प्राथमिक (समूह चर्चा, ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण, साक्षात्कार) और सेकेंडरी डाटा (भारत की जनगणना 2001 और 2011) दोनों स्रोतों से डाटा

एकत्र किया गया।

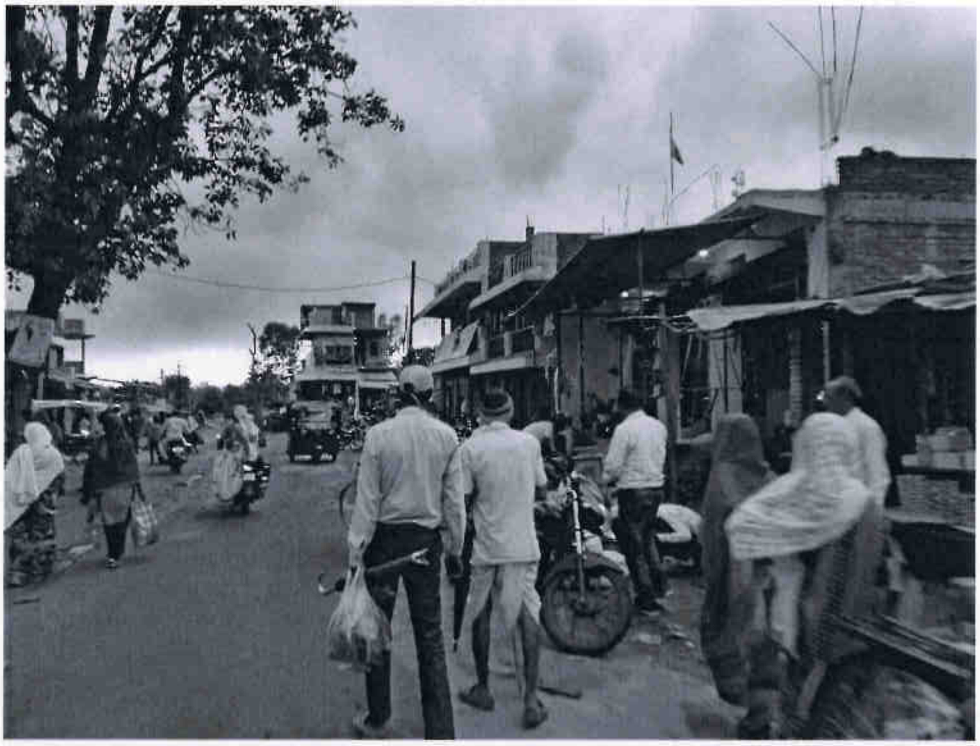

3.2 परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा

इस खंड में परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र एवं परियोजना प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। सामाजिक–आर्थिक मानदंड अर्थात जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य, कार्य भागीदारी दर, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता आदि, अध्ययन क्षेत्र की मानव आबादी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित गतिविधि के प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रभाव लाभकारी या हानिकारक हो सकते हैं। इस अध्याय में उपलब्ध कराए गए आंकड़े वास्तविक सर्वेक्षण और भारत की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं।

3.2.1 जनसांख्यिकी

परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र के 10 किमी के परिधि मे 67 गाँव हैं। परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2001 और 2011 के भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः 76,270 तथा 98,688 है। परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र का औसत घरेलू आकार 2001 में 5.53 से घटकर 2011 में 4.71 हो गया है।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 8 गाँवों की राजस्व सीमा यानी अमरईखोह, आमडाड़, बासीबेरदहा, बेलवार, सिरसवाह, झलरी, धिरौली एवं फाटपानी में विस्तृत है।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या 2001 में 4281 से बढकर 2011 में 5569 हो गई। परियोजना प्रभावित क्षेत्र का घरेलू आकार भी 2001 में 5.18 से घटकर 2011 में 4.73 रह गया है। (तालिका 3.1 देखें)।

तालिका 3.1 घरेलू आकार

मापदंड	कुल जनसंख्या		परिवारों की संख्या		एचएच आकार	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	91	111	19	25	4.79	4.44
आमडाड़	117	163	22	35	5.32	4.66
बासी बेरदाह	849	1049	160	218	5.31	4.81
बेलवार	326	385	58	86	5.62	4.48
सिरसवाह	57	82	8	15	7.13	5.47
झलरी	1376	1852	272	422	5.06	4.39
धिरौली	901	1186	171	236	5.27	5.03
फाटपानी	564	741	117	141	4.82	5.26
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**4281**	**5569**	**827**	**1178**	**5.18**	**4.73**
परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	**76270**	**98668**	**13793**	**20955**	**5.53**	**4.71**

तालिका 3.1 घरेलू आकार						
मापदंड	कुल जनसंख्या		परिवारों की संख्या		एचएच आकार	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अध्ययन क्षेत्र(ए+बी)	80551	104237	14620	22133	5.51	4.71

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

3.2.2 लिंग अनुपात[1]

तालिका 3.2, से क्षेत्र में लिंग–वार जनसंख्या वितरण का विवरण देखा जा सकता है। यह देखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र का लिंगानुपात 955 है, जो 2001 के 959 के लिंगानुपात मे कमी को दर्शाता है। लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है।

तालिका 3.2 लिंग अनुपात								
मापदंड	कुल जनसंख्या		पुरूष		स्त्री		लिंग अनुपात	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	91	111	43	63	48	48	1116	762
आमडाड़	117	163	65	91	52	72	800	791
बासी बेरदाह	849	1049	436	518	413	531	947	1025
बेलवार	326	385	170	192	156	193	918	1005
सिरसवाह	57	82	24	41	33	41	1375	1000
झलरी	1376	1852	694	940	682	912	983	970
धिरौली	901	1186	459	609	442	577	963	947
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**80551**	**104237**	**41104**	**53284**	**39447**	**50953**	**960**	**956**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

3.2.3 बाल जनसंख्या

अध्ययन क्षेत्र में 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 18,374 तथा 19,395 है। बाल लिंगानुपात में 2001 में 962 से 2011 में 906 तक भारी गिरावट देखी गई, जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विपरीत है।

[1] लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।

तालिका 3.3 बाल जनसंख्या लिंग अनुपात								
मापदंड	कुल पी_06		पुरुष_06		महिला_06		लिंग अनुपात_06	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	22	23	11	15	11	8	1000	533
आमडाड़	27	28	18	19	9	9	500	474
बासी बेरदाह	204	233	106	110	98	123	925	1118
बेलवार	71	74	39	39	32	35	821	897
सिरसवाह	14	13	6	9	8	4	1333	444
झलरी	334	369	169	185	165	184	976	995
धिरौली	220	250	105	129	115	121	1095	938
फाटपानी	141	171	59	84	82	87	1390	1036
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**1033**	**1161**	**513**	**590**	**520**	**571**	**1014**	**968**
परियोजना प्रभाव क्षेत्र(बी)	**17341**	**18234**	**8852**	**9587**	**8489**	**8647**	**959**	**902**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**18374**	**19395**	**9365**	**10177**	**9009**	**9218**	**962**	**906**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

3.2.4 संवेदनशील समूह

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना विकसित करते समय, सीमांत और कमजोर समूहों के अंतर्गत आने वाली आबादी की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये समूह आमतौर पर छोटे किसान या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित भूमिहीन व्यक्ति होते हैं, उनकी आजीविका सबसे बुरी तरह प्रभावित होती है और उन्हें मुआवजे के सबसे खराब सौदे मिलते हैं। इसलिए, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजनाएँ तैयार करते समय इन समूहों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं और यह देखा जाए कि उन्हें समय पर और बिना

अपनी आजीविका गंवाए उनका मुआवजा मिले। **तालिका 3.4** परियोजना प्रभावित और परियोजना प्रभाव क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के वितरण को दर्शाता है।

तालिका 3.4 संवेदनशील समूह

मापदंड	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	2001	2011	2001(%)	2011(%)	2001	2011	2001(%)	2011(%)
अमरईखोह	0	0	0.00	0.00	19	30	20.9	27.0
आमडाड़	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0
बासी बेरदाह	0	0	0.00	0.00	770	936	90.7	89.2
बेलवार	0	1	0.00	0.26	45	60	13.8	15.6
सिरसवाह	6	6	10.53	7.32	29	39	50.9	47.6

तालिका 3.4 संवेदनशील समूह

मापदंड	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	2001	2011	2001(%)	2011(%)	2001	2011	2001(%)	2011(%)
झलरी	201	244	14.61	13.17	554	751	40.3	40.6
धिरौली	20	24	2.22	2.02	615	801	68.3	67.5
फाटपानी	210	300	37.23	40.49	157	208	27.8	28.1
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**437**	**575**	**10.21**	**10.33**	**2189**	**2825**	**51.1**	**50.7**
परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	**11456**	**15734**	**15.02**	**15.95**	**29344**	**36666**	**38.5**	**37.2**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**11893**	**16309**	**14.76**	**15.65**	**31533**	**39491**	**39.1**	**37.9**

स्रोतः प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

3.2.5 साक्षरता दर

साक्षरता दर मानव और सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। यह न केवल जनसंख्या की शैक्षणिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि महिलाओं की स्थिति, जाति समीकरण और किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यह लोगों के कौशल स्तर और प्रशिक्षित होने और काम करने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है।

तालिका 3.5 प्रभावित क्षेत्र और बाह्य परिधि क्षेत्र में साक्षरता दर

मापदंड	कुल साक्षर		पुरुष साक्षर		महिला साक्षर	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	24	48	19	31	5	17
आमडाड़	48	76	33	48	15	28
बासी बेरदाह	168	333	134	215	34	118
बेलवार	149	180	103	108	46	72
सिरसवाह	19	50	15	25	4	25
झलरी	567	877	404	541	163	336
धिरौली	194	333	161	218	33	115
फाटपानी	173	306	118	175	55	131
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**1342**	**2203**	**987**	**1361**	**355**	**842**
परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	**24645**	**45492**	**18085**	**28347**	**6560**	**17145**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**25987**	**47695**	**19072**	**29708**	**6915**	**17987**

स्रोतः प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

तालिका 3.6 साक्षरता दर						
मापदंड	कुल साक्षरता		पुरुष साक्षरता		महिला साक्षरता	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	26.37	43.24	44.19	49.21	10.42	35.42
आमडाड़	41.03	46.63	50.77	52.75	28.85	38.89
बासी बेरदाह	19.79	31.74	30.73	41.51	8.23	22.22
बेलवार	45.71	46.75	60.59	56.25	29.49	37.31
सिरसवाह	33.33	60.98	62.50	60.98	12.12	60.98
झलरी	41.21	47.35	58.21	57.55	23.90	36.84
धिरौली	21.53	28.08	35.08	35.80	7.47	19.93
फाटपानी	30.67	41.30	43.54	48.88	18.77	34.20
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**31.35**	**39.56**	**45.65**	**48.40**	**16.75**	**30.54**
परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	**32.31**	**46.11**	**46.44**	**56.16**	**17.57**	**35.57**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**32.26**	**45.76**	**46.40**	**55.75**	**17.53**	**35.30**

तालिका 3.6 साक्षरता दर

मापदंड	कुल साक्षरता		पुरुष साक्षरता		महिला साक्षरता	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

परियोजना के बाह्य परिधि क्षेत्र में साक्षरता दर 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः **32.31%** तथा **46.11%** है। 2001 की जनगणना के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र की महिला साक्षरता दर पुरुष की तुलना में कम यानि **16.75%** है जबकि पुरुषों की **46.65%** है। 2011 में महिला साक्षरता दर में मामूली वृद्धि पाई गई **(तालिका 3.6 देखें)** हालांकि यह राज्य और राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

3.2.6 आर्थिक क्रियाकलाप

किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उस क्षेत्र के लोगों के व्यावसायिक पैटर्न और आय के स्तर से

परिभाषित किया जाता है। तालिका 3.7 परियोजना प्रभावित क्षेत्र और बाह्य प्रभाव क्षेत्र में श्रमिकों के वितरण को दर्शाता है। कुल कामगारों की तुलना में गैर–श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है अर्थात मुख्य और सीमांत कार्यकर्ता। कुल मुख्य श्रमिक कृषक हैं और शेष कृषि क्षेत्र में कृषि श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं, कुछ श्रमिक उद्योगों में ठेका श्रमिक के रूप में शामिल हैं। तालिका से यह देखा जा सकता है कि मुख्य श्रमिकों की कुल संख्या सीमांत श्रमिकों की तुलना में बहुत अधिक है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि अध्ययन क्षेत्र में रोजगार के कुछ स्थायी अवसर उपलब्ध हैं। एक अन्य पहलू जो देखा गया और चिंता का विषय है, वह 2001 में **47.1%** से 2011 में **45.5%** तक कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) में मामूली कमी है।

तालिका 3.7 प्रभावित क्षेत्र और बाह्य परिधि क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण

मापदंड	कुल कामगार		मुख्य कामगार		सीमांत कामगार		गैर कामगार	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	51	45	23	45	28	0	40	66
आमडाड़	61	79	34	78	27	1	56	84
बासी बेरदाह	403	553	369	28	34	525	446	496
बेलवार	153	165	104	164	49	1	173	220

तालिका 3.7 प्रभावित क्षेत्र और बाह्य परिधि क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण								
मापदंड	कुल कामगार		मुख्य कामगार		सीमांत कामगार		गैर कामगार	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
सिरसवाह	27	34	10	34	17	0	30	48
झलरी	683	792	586	565	97	227	693	1060
धिरौली	460	601	397	437	63	164	441	585
फाटपानी	287	361	241	255	46	106	277	380
परियोजना प्रभावित क्षेत्र (ए)	**2125**	**2630**	**1764**	**1606**	**361**	**1024**	**2156**	**2939**
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	35854	44815	26256	28984	9598	15831	40416	53853
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	37979	47445	28020	30590	9959	16855	42572	56792

स्रोतः प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

तालिका 3.8 कार्य भागीदारी दर								
मापदंड	कुल कामगार		मुख्य कामगार		सीमांत कामगार		गैर कामगार	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	56.0	40.5	45.1	100.0	54.9	0.0	44.0	59.5
आमडाड़	52.1	48.5	55.7	98.7	44.3	1.3	47.9	51.5
बासी बेरदाह	47.5	52.7	91.6	5. 1	8. 4	94.9	52.5	47.3
बेलवार	46.9	42.9	68.0	99.4	32.0	0. 6	53.1	57.1
सिरसवाह	47.4	41.5	37.0	100.0	63.0	0.0	52.6	58.5
झलरी	49.6	42.8	85.8	71.3	14.2	28.7	50.4	57.2
धिरौली	51.1	50.7	86.3	72.7	13.7	27.3	48.9	49.3
फाटपानी	50.9	48.7	84.0	70.6	16.0	29.4	49.1	51.3
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**49.6**	**47.2**	**83.0**	**61.1**	**17.0**	**38.9**	**50.4**	**52.8**
परियोजना प्रभाव क्षेत्र(बी)	**47.0**	**45.4**	**73.2**	**64.7**	**26.8**	**35.3**	**53.0**	**54.6**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**47.1**	**45.5**	**73.8**	**64.5**	**26.2**	**35.5**	**52.9**	**54.5**

स्रोतः प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

कृषि श्रमिकों, कृषकों, घरेलू उद्योगों के संदर्भ में श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण और अन्य कार्यकर्ता विश्लेषण भी किया गया। तालिका 3.9 श्रमिकों के क्षेत्रवार वितरण का विवरण दिखाता है।

तालिका 3.9 प्रभावित क्षेत्र और बाह्य परिधि क्षेत्र में कामगारों का क्षेत्रवार वितरण

मापदंड	कृषि मजदूर		किसान		घरेलू कामगार		अन्य	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	7	4	43	40	0	0	1	1
आमडाड़	2	12	59	65	0	0	0	2
बासी बेरदाह	239	482	155	55	4	11	5	5
बेलवार	6	33	144	115	0	3	3	14
सिरसवाह	4	3	23	31	0	0	0	0
झलरी	65	321	587	407	1	0	30	64
धिरौली	2	397	456	150	0	4	2	50
फाटपानी	3	207	284	153	0	0	0	1
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**328**	**1459**	**1751**	**1016**	**5**	**18**	**41**	**137**
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	**8098**	**20923**	**24968**	**18231**	**520**	**639**	**2268**	**5022**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**8426**	**22382**	**26719**	**19247**	**525**	**657**	**2309**	**5159**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

तालिका 3.10 प्रभावित क्षेत्र और बाह्य परिधि क्षेत्र में श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण

मापदंड	कृषि मजदूर		किसान		घरेलू कामगार		अन्य	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	13.73	8.89	84.31	88.89	0.00	0.00	1. 96	2.22
आमडाड़	3.28	15.19	96.72	82.28	0.00	0.00	0.00	2.53
बासी बेरदाह	59.31	87.16	38.46	9.95	0.99	1.99	1.24	0. 90
बेलवार	3.92	20.00	94.12	69.70	0.00	1. 82	1. 96	8.48
सिरसवाह	14.81	8.82	85.19	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
झलरी	9.52	40.53	85.94	51.39	0. 15	0.00	4.39	8.08
धिरौली	0.43	66.06	99.13	24.96	0.00	0.67	0.43	8.32
फाटपानी	1.05	57.34	98.95	42.38	0.00	0.00	0.00	0. 28
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	15.44	55.48	82.40	38.63	0.24	0. 68	1.93	5.21
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	22.59	46.69	69.64	40.68	1.45	1.43	6.33	11.21
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	22.19	47.17	70.35	40.57	1.38	1.38	6.08	10.87

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना में बदलाव आया है। अपनी जमीन पर खेती करने वाले लोग 2001 में 55.48% से घटकर 2011 में 38.63% प्रभावित क्षेत्र में आ गए हैं।

3.3 अवसंरचनात्मक सुविधा

परियोजना प्रभावित क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि शैक्षणिक और अन्य विकास के मामले में यह क्षेत्र मध्यम रूप से विकसित है। साक्षरता, कार्य भागीदारी दर, सुविधाओं तक पहुंच आदि के संदर्भ में लक्षित जनसंख्या की समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न है। अतः इस क्षेत्र मे शिक्षा संविधाओं पर जोर देने की आवश्यकता है तथा रोजगार सृजन पर भी अधिक

ध्यान दी जानी चाहिए ताकि प्रभावित आबादी को शिक्षा और विकास की आधुनिक सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सके।

3.3.1 शिक्षा

बच्चों की शिक्षा समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित बच्चे न केवल

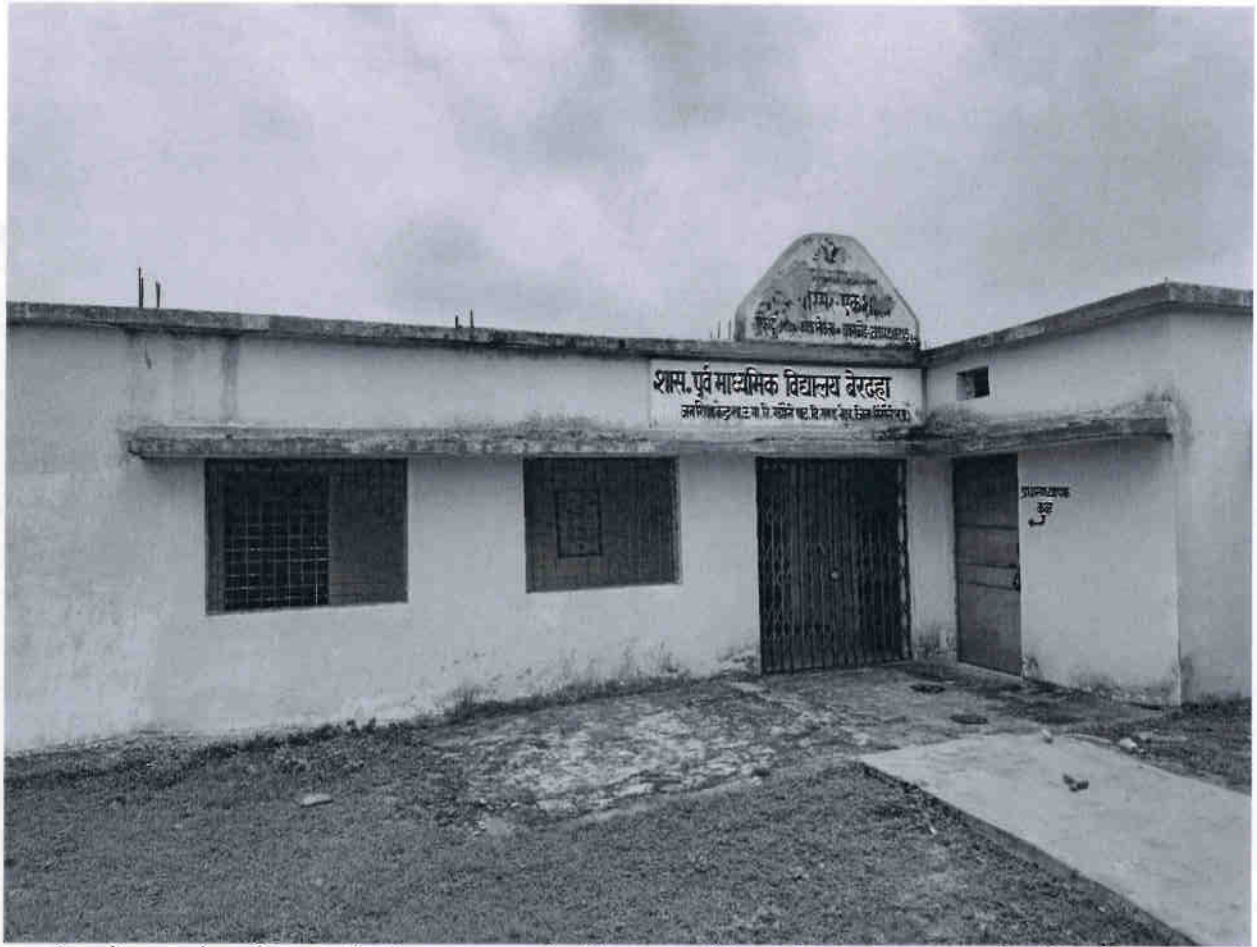

अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम होंगे, बल्कि प्रथागत वर्जनाओं को दूर करके सामाजिक परिवेश में भी बदलाव लाने में सक्षम होंगे जो वास्तव में समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र न केवल सुविधाओं की कमी के कारण बल्कि उपलब्ध सुविधाओं की अक्षमता के कारण शैक्षणिक स्थिति में पिछड़ गए हैं। कई कारक जैसे गरीबी, बच्चों का आजीविका कमाने या घर के कामों के लिए विभिन्न गतिविधियों में लगे रहना, लड़कियों का छोटे

भाई–बहनों की देखभाल में लगे रहना, शिक्षा के मूल्य के बारे में जागरूकता की कमी, बाल विवाह, शराब, सट्टेबाजी जैसी सामाजिक बुराइयाँ, आदि शिक्षा के प्रति उदासीनता के लिए जिम्मेदार हैं।

एनएफएचएस (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) से यह देखा गया है कि शिक्षित महिलाएं पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की तुलना में डॉक्टरों के पास जाना पसंद करती हैं। जो महिलाएं ज्यादातर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) के लिए जाती हैं, वे कम से कम कक्षा 8 तक शिक्षित होती हैं। अशिक्षित महिलाएं, विशेषकर आदिवासी महिलाएं, चेक–अप के लिए डॉक्टर के पास जाना अनावश्यक मानती हैं। जनजातीय महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली ऐसी प्रथागत वर्जनाओं और अन्य सभी गलत प्रथाओं को जागरूकता और शिक्षा लाकर दूर किया जा सकता है। उचित शिक्षा लोगों की बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, पोषण सेवन आदि में सुधार करने में मदद कर सकती है। शिक्षा सुविधाओं का विवरण नीचे तालिका 3.11 में वर्णित है।

तालिका 3.11: शिक्षा सुविधाएँ

गाँवों/क्षेत्र का नाम	प्राइमरी स्कूल		मिडिल स्कूल		माध्यमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	0	1	0	0	0	0	0	0
आमडाड़	0	0	0	0	0	0	0	0
बासी बेरदाह	1	1	0	0	0	0	0	0
बेलवार	0	1	0	0	0	0	0	0
सिरसवाह	0	0	0	0	0	0	0	0
झलरी	2	3	1	1	0	1	0	1
धिरौली	1	1	0	0	0	0	0	0
फाटपानी	1	1	0	0	0	0	0	0
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	**5**	**8**	**1**	**1**	**0**	1	**0**	**1**
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	**72**	**145**	**10**	**48**	**6**	13	**2**	**7**
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	**77**	**153**	**11**	**49**	**6**	**14**	**2**	**8**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

अध्ययन क्षेत्र में विद्यालय क्रियाशील एवं नियमित रूप से खुले पाए गए। तथापि, यह पाया गया कि विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, कमरे जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। हालांकि शौचालयों के लिए संरचनाएं मौजूद थीं, लेकिन पानी की कमी के कारण अनुपयोगी थीं। इसके अतिरिक्त अधिकांश

विद्यालयों में पेयजल स्रोत विद्यालयों के बाहर स्थित थे। स्कूलों में नियमित रूप से मध्याह्न भोजन दिया जाता है तथा उनके बारे में कोई शिकायत नहीं हैं। छात्र सामान्य रूप से यूनिफार्म में पाए गए और उनकी उपस्थिति अच्छी थी। औसत छात्र–शिक्षक अनुपात 55:1 पाया गया। हालाँकि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बाद ड्रॉप–आउट का चलन पाया गया। यह इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश गाँवों में केवल प्राथमिक विद्यालय हैं और औसतन छात्रों को स्कूली शिक्षा के लिए 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इसके कारण खासकर छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ती है।

3.3.2 चिकित्सा सुविधाएँ

स्वास्थ्य मानव विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है और मानव जाति की भलाई के लिए एक आवश्यक घटक है। किसी भी समुदाय की स्वास्थ्य समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहित विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया से प्रभावित होती हैं। स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित आम मान्यताएं, रीति–रिवाज, प्रथाएं बदले में समुदाय के स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को प्रभावित करती हैं। एक आम सहमति है कि कमजोर आबादी की स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है और जनजातियों के बीच सबसे खराब है क्योंकि उनके अलगाव, अदूरदर्शिता और

अध्ययन क्षेत्र में विकास प्रक्रियाओं से काफी हद तक अप्रभावित है। किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जनजातियों की अलग–अलग स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो मुख्य रूप से उनके आवास, कठिन इलाके, निरक्षरता, गरीबी, अलगाव और अंधविश्वास जैसे बहु–आयामी कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

अध्ययन क्षेत्र में रिपोर्ट की गई सामान्य बीमारियां पेट की बीमारियां, बुखार, मलेरिया, पेचिश, दस्त, एनीमिया (महिलाएं) और सांस लेने में समस्या हैं। तपेदिक के मामले भी सामने आते हैं, हालांकि इसकी आवृत्ति कम होती है। अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ निराशाजनक हैं।

तालिका 3.12: चिकित्सा सुविधाएँ

गाँवों/क्षेत्र का नाम	मातृ-बाल कल्याण केंद्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र		प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र		टीबी क्लिनिक	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	0	0	0	0	0	0	0	0
आमडाड़	0	0	0	0	0	0	0	0
बासी बेरदाह	0	0	0	0	0	0	0	0
बेलवार	0	0	0	0	0	0	0	0
सिरसवाह	0	0	0	0	0	0	0	0
झलरी	0	0	0	0	0	0	0	0
धिरौली	0	0	0	0	0	0	0	0
फाटपानी	0	0	0	0	0	0	0	0
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	0	0	0	0	0	0	0	0
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	2	3	1	2	6	11	0	1
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	2	3	1	2	6	11	0	1

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

उप–केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। डॉक्टर सप्ताह में एक या दो बार ही उपलब्ध होते हैं और यही हाल फार्मासिस्टों का है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पक्की संरचना है और वे विद्युतीकृत हैं। सभी भवनों की स्थिति संतोषजनक पाई गई, हालांकि इन सभी केंद्रों में स्वच्छता में सुधार की आवश्यकता है। शौचालय अच्छी स्थिति में नहीं हैं और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

आंगनबाडी केन्द्रों को क्रियाशील पाया गया और सभी आवश्यक सेवाएं जैसे पूरक पोषण, टीकाकरण, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गतिविधियाँ आदि प्रदान की गईं। हालांकि, पूरक पोषण की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें थीं और यह पाया गया कि अधिकांश बच्चे उन्हें नहीं खाते हैं।

3.3.3 पेयजल की सुविधा

एक बस्ती के उद्भव के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक पानी की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जल स्रोत जैसे कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, टैंक आदि उपलब्ध हैं। अध्यनाधीन गाँवों में पानी का मुख्य स्रोत कुआं है, जिसके बाद हैंडपंप है। हैंडपंप का पानी पीने, नहाने और घरेलू

कामों में इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र में कम तालाब हैं और मानसून के महीनों को छोड़कर ज्यादातर सूखे हैं। तालाबों का पानी आमतौर पर ग्रामीणों द्वारा जानवरों को नहलाने के अलावा उपयोग नहीं किया जाता है। यह बताया गया कि गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में कुएं सूख जाते हैं और खराब मौसम के दौरान गाँवों में पानी का प्रमुख स्रोत हैंडपंप और कुछ गहरे बोरिंग होते हैं। हालांकि, इन गाँवों में आधे से अधिक हैंडपंप काम नहीं कर रहे थे और मरम्मत की आवश्यकता थी। इसी तरह, अधिकांश कुएं खराब स्थिति में थे और मरम्मत की आवश्यकता थी। उन्हें नियमित रूप से सफाई और ब्लीचिंग की भी आवश्यकता होती है। कुओं के उचित तटबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें कवर किया जाना चाहिए। अध्ययन गाँवों में उपलब्ध जल स्रोतों की सूची **तालिका 3.13** में दी गई है।

तालिका 3.13: पेयजल सुविधाएँ

गाँवों/क्षेत्र का नाम	नल		कुँए		टैंक		हैंड पंप		ट्यूब-वेल	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
आमडाड़	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
बासी बेरदाह	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
बेलवार	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
सिरसवाह	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
झलरी	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
धिरौली	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
फाटपानी	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	0	0	5	8	0	2	6	8	0	0
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	1	0	66	64	6	35	61	65	2	14
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	1	0	71	72	6	37	67	73	2	14

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

3.3.4 बैंक सुविधाएँ

अध्ययन क्षेत्र के डाकघरों की संख्या 2001 में 6 से घटकर 2011 में 5 हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 5 वाणिज्यिक बैंक और 4 कृषि समितियां हैं।

तालिका 3.14: डाकघर और बैंक सुविधाएँ

गाँवों/क्षेत्र का नाम	डाकघर		वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		कृषि समितियां	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
अमरईखोह	0	0	0	0	0	0	0	0
आमडाड़	0	0	0	0	0	0	0	0
बासी बेरदाह	0	0	0	0	0	0	0	0
बेलवार	0	0	0	0	0	0	0	0
सिरसवाह	0	0	0	0	0	0	0	0
झलरी	0	0	0	0	0	0	0	0
धिरौली	0	0	0	0	0	0	0	0
फाटपानी	0	0	0	0	0	0	0	0
परियोजना प्रभावित क्षेत्र(ए)	0	0	0	0	0	0	0	0
परियोजना बाह्य प्रभाव क्षेत्र(बी)	6	5	2	2	3	4	4	4
अध्ययन क्षेत्र (ए+बी)	6	5	2	2	3	4	4	4

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, मध्य प्रदेश जनगणना 2001 और 2011

निष्कर्ष

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि शैक्षणिक और अन्य विकास के मामले में यह क्षेत्र मध्यम रूप से विकसित है। साक्षरता, कार्य भागीदारी दर, सुविधाओं तक पहुंच आदि के संदर्भ में लक्षित जनसंख्या की समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न है। आबादी की जरूरतों और मांगों पर अधिक ध्यान और देखभाल की जरूरत है ताकि इन परियोजना प्रभावित क्षेत्र और बाह्य प्रभाव क्षेत्र के लागों को शिक्षा और विकास की आधुनिक सुविधाओं के बारे मे और अधिक जानकारी मिल सके।

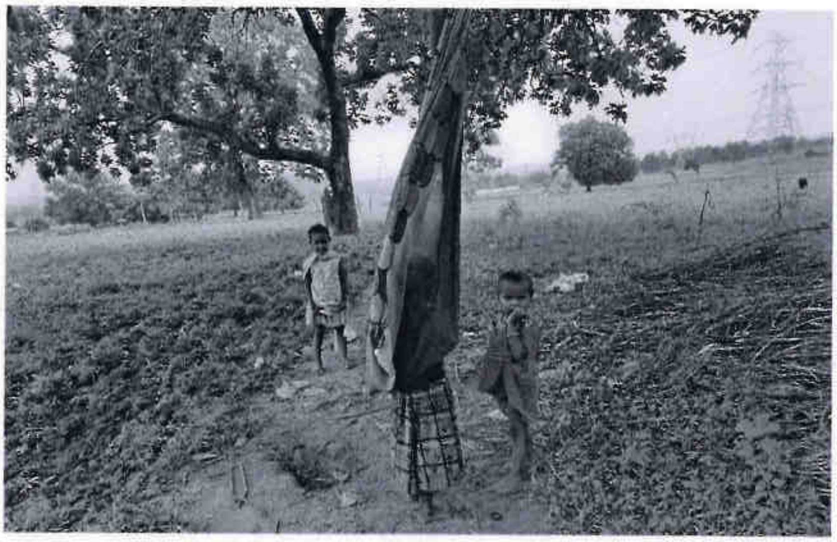

4. पीएएचएस/पीडीएचएस की आधारीय रूपरेखा

4.1 संक्षिप्त जानकारी

भूमि अधिग्रहण समेत पुनर्वास एवं स्थान–परिवर्तन, किसी भी परियोजना के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक होने कारण यह है कि विस्थापितों द्वारा अपनी संपूर्ण ज़मीन एवं साथ–साथ आजीविका खो दी जाती है। अतः राष्ट्रहित के इरादे से शुरु की गई परियोजना, उन लोगों को बहुत हानि पहुँचाती है जिन्होंने उस परियोजना में योगदान दिया है। जहाँ परियोजना के फायदे प्रत्यक्षतः प्रभावित लोगों तक नहीं पहुँच पातें हैं वहाँ अपनाने योग्य सबसे सामान्य दृष्टिकोण यह है कि उनके द्वारा खोई गई ज़मीन के बदले उन्हें नकद मुआवजा दिया जाए।

आठों गावों से प्रभावित प्रत्येक घर के परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। परियोजना से प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा गया है।

परियोजना विस्थापित परिवार

भूमि एवं घर से बेदखल : वे परिवार जिन्होंने परियोजना के लिए अपनी भूमि के साथ–साथ घर भी खो दिया है। इन परिवारों की आजीविका भी खत्म हो गई है। अतः इन्हें परियोजना विस्थापित परिवार की श्रेणी में रखा गया है।

घर से बेदखल : वे परिवार जिन्होंने परियोजना के लिए अपने घर को खोया है उन्हें भी परियोजना विस्थापित परिवार की श्रेणी में रखा गया है।

परियोजना से प्रभावित परिवार

- **भूमि से बेदखल :** वे परिवार जिन्होंने परियोजना के लिए सिर्फ अपनी जमीन खोई है और गाँवों में रह रहें हैं और जिन पर परियोजना का प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः, उनके घरों को स्थानांतरित नहीं किया गया है। इन एचएचएस को परियोजना से प्रभावित परिवारों की श्रेणी में रखा गया है।

क्र.स.	गाँव का नाम	विस्थापित परिवार			प्रभावित परिवार
		घर से बेदखल	भूमि एवं घर से बेदखल	कुल	भूमि से बेदखल
1	आमडाड़	28	38	66	4
2	अमईखोह	347	163	510	0
3	बासी बेरदाह	273	210	483	7
4	बेलवार	129	105	234	0
5	धिरौली	613	504	1117	6
6	झलरी	64	244	308	4
7	फाटपानी	127	129	256	9
8	सिरसवाह	0	6	6	27
कुल		**1581**	**1399**	**2980**	**57**

4.2 जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

पारिवारिक सदस्यों, सामाजिक मूल्यों, आर्थिक ढाँचों तथा वित्तीय भारों के बीच भावनात्मक जुड़ाव की बनावट को पारिवारिक स्थिति एवं पारिवारिक आकार दर्शाता है। **तालिका 4.2** में दर्शाए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार परियोजना प्रभावित तथा विस्थापित जनसंख्या एवं परिवार क्रमशः 9029 तथा 3037 हैं। प्रभावित जनसंख्या का अनुमानित पारिवारिक आकार क्रमशः 3.0 पाया गया है। लिंग अनुपात भी 943 के राष्ट्रीय औसत आंकड़ें से कम पाया गया। सभी प्रभावित परिवारों में पुरुष प्रधानता देखी गई।

तालिका 4.2 प्रभावित एवं विस्थापित जनसंख्या की भौगोलिक स्थिति

क्र.स.	गाँव	एचएच	जनसंख्या	पुरुष	महिला	एचएच आकार	लिंग अनुपात
1	आमडाड़	70	240	138	102	3.429	739
2	अमईखोह	510	1588	888	700	3.114	788
3	बासी बेरदाह	490	1575	858	717	3.214	836
4	बेलवार	234	726	390	336	3.103	862
5	धिरौली	1123	3168	1715	1453	2.821	847
6	झलरी	312	889	456	433	2.849	950
7	फाटपानी	265	746	399	347	2.815	870
8	सिरसवाह	33	97	51	46	2.939	902
कुल		**3037**	**9029**	**4895**	**4134**	**2.973**	**845**

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2021

4.3 बाल्य जनसंख्या

बाल्य जनसंख्या सर्वेक्षण के दौरान, पुरुष एवं महिला आबादी क्रमशः **53.24** प्रतिशत एवं **46.75** प्रतिशत पाई गई है। **तालिका 4.3** में बाल्य जनसंख्या का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 4.3 बाल्य जनसंख्या (0–6 वर्ष)

क्र.स.	नाम	कुल तनसंख्या	पुरूष	महिला	लिंग अनुपात
1	आमडाड़	29	15	14	933
2	अमरईखोह	201	113	88	779
3	बासीबेरदाह	223	114	109	956
4	बेलवार	66	37	29	784
5	धिरौली	459	238	221	929
6	झलरी	112	61	51	836
7	फाटपानी	73	41	32	780

8	सिरसवाह	9	5	4	800
कुल		**1172**	**624**	**548**	**878**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2021

4.4 पीडीपीएस/पीएपीएस के कमज़ोर वर्ग

समुदाय की सामाजिक संबद्धता उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत फायदों के संदर्भ में वर्गीकृत करती है। सामाजिक समूह, समाज,वरीयताओं एवं कमज़ोरियों के तहत श्रेणी को दर्शातें हैं। साधारणतः, भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत अनुसूचित जातियाँ (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी) सरकारी फायदों का ज्यादा लाभ उठातीं हैं क्योंकि इन समूहों में वे लोग शामिल होतें हैं जो परंपरागत तौर पर कमज़ोर होतें हैं। सामान्य वर्ग को छोड़कर, बाकी सभी समूहों की पिछड़ी हुई आर्थिक–सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान एवं संबोधन देने की आवश्यकता है। महिला, विधवा, निःशक्तजन व्यक्ति प्रधान परिवार, विस्थापन के संदर्भ में अन्य प्रकार की कमज़ोरियाँ हैं। **तालिका 4.4** में जाति अनुसार वर्गीकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 4.4 कमज़ोर वर्ग

क्र.स.	नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या		अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	
			जनसंख्या	अनुसूचित जाति प्रतिशत	जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
1	आमडाड़	240	0	0.00	22	9.2
2	अमरईखोह	1588	10	0.63	70	4.4
3	बासीबेरदाह	1575	7	0.44	466	29.6
4	बेलवार	726	0	0.00	47	6.5
5	धिरौली	3168	157	4.96	1265	39.9
6	झलरी	889	32	3.60	411	46.2
7	फाटपानी	746	171	22.92	247	33.1
8	सिरसवाह	97	0	0.00	37	38.1
कुल		**9029**	**377**	**4.18**	**2565**	**28.4**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2021

4.5 साक्षरता दर

शिक्षा वह साधन है जो समाज में विषम स्तरीय गतिशीलता लाती है। यह विकास एवं प्रगति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करती है। हालांकि, यह लोगों के बीच अंतर भी पैदा करती है और उन लोगों के बीच एक नये प्रकार की विषमता को जन्म देती है जो शिक्षित होतें हैं और जो शिक्षित नहीं होतें हैं। सभी मामलों में, शिक्षा एक बुनियादी जरुरत है और एक क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास का उत्कृष्ट संकेतक है। पीएपी के बीच 72.9 प्रतिशत साक्षरता दर पाई गई। आठ गाँवों में से, बेलवार में साक्षरता दर सबसे अधिक है अर्थात् 78.8 प्रतिशत। अधिकतर शिक्षित लोगों ने प्राथमिकी एवं माध्यमिकी विद्यालयों में पढ़ाई की है। ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है जिन्होंने स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है। तालिका 4.5 में गाँव अनुसार साक्षरता दर की विस्तृत जानकारी दी गई है।

तालिका 4.5 साक्षरता दर

क्र.स.	गाँव का नाम	कुल जनसंख्या	कुल साक्षर	कुल साक्षर प्रतिशत	पुरुष साक्षरता		महिला साक्षरता	
					कुल	साक्षरता दर प्रतिशत	कुल	साक्षरता दर प्रतिशत
1	आमडाड़	240	178	74.17	120	86.96	58	56.86
2	अमईखोह	1588	1229	77.39	749	84.35	480	68.57
3	बासी बेरदाह	1575	1144	72.63	677	78.90	467	65.13
4	बेलवार	726	572	78.79	333	85.38	239	71.13

5	धिरौली	3168	2216	69.95	1284	74.87	932	64.14
6	झलरी	889	598	67.27	333	73.03	265	61.20
7	फाटपानी	746	578	77.48	334	83.71	244	70.32
8	सिरसवाह	97	72	74.23	42	82.35	30	65.22
	कुल	**9029**	**6587**	**72.95**	**3872**	**79.10**	**2715**	**65.67**

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2021

4.6 आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरी, इस क्षेत्र के मुख्य कार्य है। आस–पास की कंपनियों में ठेका मजूदरों के तौर पर बहुत सारे लोग काम करने जातें हैं। ग्रामीणों को मनरेगा के तहत काम और पंचायत के अनुसार तनख़्वाह मिलती है। अधिकतर परिवारों की अपनी खेती योग्य जमीनें हैं और उनमें गेहूँ, चावल, अरहर, ज्वार और चना मुख्यतः उगाया जाता है और वे इसका इस्तेमाल पारिवारिक जरुरतों के लिए करतें हैं क्योंकि उपज इतनी नहीं होती है कि बिक सके। न्यूनतम उपज होने का मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। वे लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है या जो लोग उधार ले सकतें हैं, वे मोटर पंप खरीदकर कुऐं के पानी से सिंचाई करतें हैं। अन्य लोगों को बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः, आजीविका के स्त्रोत ना ही पर्याप्त या ना ही अच्छे हैं।

अमरईखोह गाँव में धान का खेत

सिरसवाह गाँव में कृषि गतिविधियाँ

बासी बेरदाह में फसल

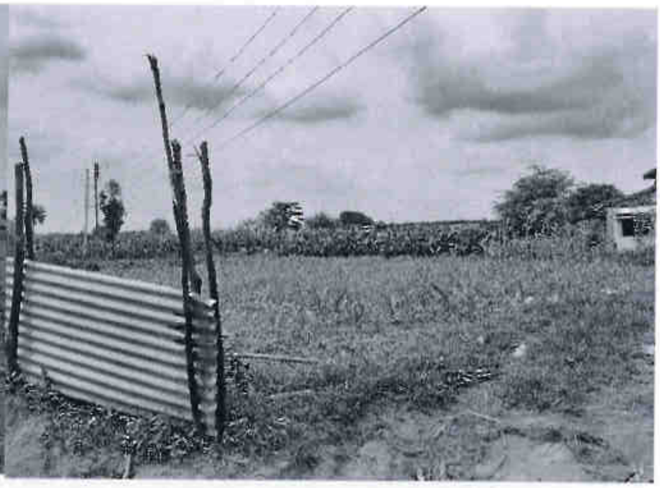
बेलवार में ज्वार फसल

अध्ययन क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत कामकाजी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भूमि एवं जल स्त्रोतों से कृषि का सीधा संबंध है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि गतिविधियाँ वर्षा पर निर्भर हैं और यह क्षेत्र जिले के गैर–सिंचाई भूभाग में आता है। इस क्षेत्र के अधिकतर परिवार सीमित स्त्रोतों वाले छोटे कृषक हैं और सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने से लोगों को वर्षा पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। कृषि के परंपरागत तरीकों और भूमि के टुकड़ों में बंटें होने के कारणवश उत्पादकों की उपज सीमित रहती है।

गाँव के अधिकतर वयस्क पुरुष कृषि गतिविधियों में लिप्त रहते थे। ये लोग अधिकतर अपने खेतों को जोतने में ही व्यस्त रहते थे। हालांकि, जिन गरीब लोगों के पास बेहद कम या कोई कृषि जमीन नहीं होती है वे कृषि मजदूर के तौर पर काम करते थे। अन्य मौसमों में, इनमें से बहुत सारे लोग अपने गाँव के आस–पास विविध प्रकार की गैर–कृषि श्रम गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। इस क्षेत्र में दो मौसमों में फसल उगाई जाती है, खरीफ और रबी। चूंकि यह क्षेत्र वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, अतः खेती के लिए खरीफ सबसे प्रमुख मौसम है। अध्ययन क्षेत्र की फसलें इस प्रकार हैं :–

अनाज – धान, ज्वार, गेहूँ

दालें – मूंग, अरहर, उड़द, काली उड़द, फलियां

तिलहन – सरसो, तिल

अध्ययन क्षेत्र में कृषि के बाद रोज़गार प्रदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी गतिविधि पशु पालन है। पशुपालन, कृषि समेत एक पूरक गतिविधि है तथा साथ–साथ इस क्षेत्र में कई जातियों एवं समुदायों द्वारा एकल गतिविधि के तौर पर अपनाई गई है। अध्ययन क्षेत्र के कई बंजारा आदिवासियों तथा चरवाहों के लिए पशुपालन आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है। परियोजना क्षेत्र के सभी गाँवों में गायों

एवं भैंसों को दुधारु पशुओं के तौर पर पाला जाता है, खासतौर से कृषक समुदायों द्वारा दूध से होने वाली अतिरिक्त आय के स्त्रोत के तौर पर। बकरी को बंजारा आदिवासियों द्वारा मुख्यतः पाला जाता है, बकरी को दूध और मांस उपभोग के लिए पाला जाता है।

सिरसवाह गाँव में भैंस

अमरईखोह गाँव में बकरी पालन

बेलवार गाँव में भैंसें

बेलवार में गाय एवं बकरी

बासी बेरदाह

4.7 घरों की बनावट

सभी गाँवों में, लगभग 60 प्रतिशत परिवार कच्चे घरों में तथा 20 प्रतिशत परिवार आधे–पक्के घरों में रहतें हैं। इस क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत घर पक्के पाए गए थे। ये कच्चे और आधे–पक्के घर मिट्टी, तिनके, लकड़ी और ईंटों के बने हुए थे। वे लोग जो अत्यधिक गरीबी में जीतें हैं और पक्के घर बनाने में असमर्थ होतें हैं उन्हें दुर्भाग्यवश आधे–पक्के और कच्चे घरों में रहकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

धिरौली गाँव में पक्का घर

आमडाड़ गाँव में परम्परागत कच्चा घर

बासी बेरदाह में परम्परागत कच्चा घर

धिरौली गाँव में कच्चा घर

4.8 पक्की सड़कों की उपलब्धता

अध्ययन क्षेत्र में, पक्की सड़कें उपलब्ध थी। बेलवार गाँव में पक्की सड़कें उपलब्ध नहीं थीं, और लोगों को बारिश के मौसम में आवाजाही के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के सभी गाँवों में पक्की सड़कों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। पक्की सड़कों से गाँव की पहुँच बाहरी क्षेत्रों से आसान होगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाऐं, बाज़ार तथा अन्य सेवाऐं भी शामिल हैं।

सिरसवाह गाँव के नजदीक पक्की सड़क

बेलवार गाँव में कच्ची सड़क

अमरईखोह में पक्की सड़क

बासी बेरदाह में पक्की सड़क

4.9 बिजली की उपलब्धता

अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर जगहों पर बिजली उपलब्ध थी। बिजली चलित गाँवों में, सभी घरों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे। सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने के प्रयास करने चाहिए। इस क्षेत्र में कोयला खनन कंपनी के स्थापित होने के साथ, कंपनी को सरकार के साथ बातचीत के प्रयास करने चाहिए ताकि इन सभी बिजली से वंचित गाँवों में विद्युतीकरण का काम प्राथमिकता आधार पर सुनिश्चित हो सके।

धिरौली गाँव में बिजली की लाईन

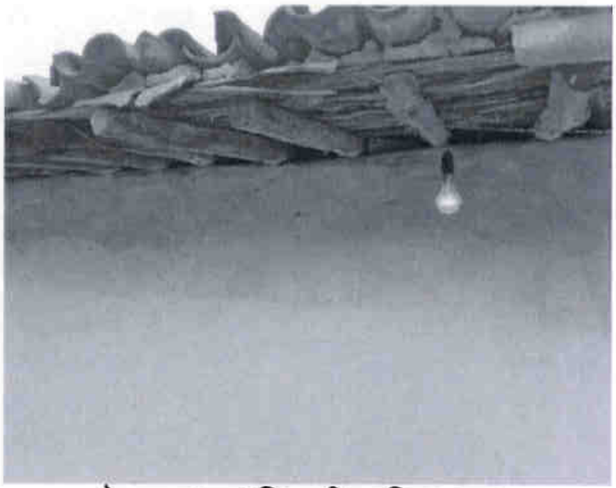

बेलवार का बिजली चलित घर

4.10 स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

सभी तीन मौसमों में (वर्षा, शीत और ग्रीष्म), सभी गाँवों का कुल मिलाकर मुख्य पेयजल स्त्रोत भूमिगत जल है। लोगों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पेयजल स्त्रोत कुऐं एवं हैंडपंप है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान, पानी के अधिकतर स्त्रोत सूख जातें हैं और गाँवों में केवल ट्यूबवेल ही एकमात्र पानी का मुख्य स्त्रोत रह जाता है। तालाबों को मीठा बनाना होता है और इनके लिए नये तथा पक्के तटबंध अपेक्षित हैं। गाँवों के कुओं को निरंतर साफ एवं विरंजित करने की आवश्यकता होती है। कुओं के उचित तटबंधन हेतु तथा उनके पानी को पीने योग्य एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें ढकने की व्यवस्थां करनी चाहिए।

बासी बेरदाह में पेयजल हेतु ट्यूबवेल सुविधायें

अमरईखोह गाँव में हैण्डपम्प

आमडाड़ गाँव

4.11 शौचालय सुविधा

लगभग 70 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा है। शेष 30 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा नहीं है। कुछ परिवार जिनके संदर्भ में शौचालय सुविधा होने की सूचना थी, उनमें से अधिकतर परिवार खुले में जाकर शौच करना पसंद करतें हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान तथा स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के बावजूद, सभी परिवारों को फायदा नही हुआ है। सभी परिवारों को स्वयं का शौचालय इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्याहित किया जाना चाहिए। लोगों को खुले में शौच करने से रोकने तथा शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व्यवहार परिवर्तन संवाद तथा अंतरा–निजी संवाद साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए।

फाटपानी गाँव में शौचालय

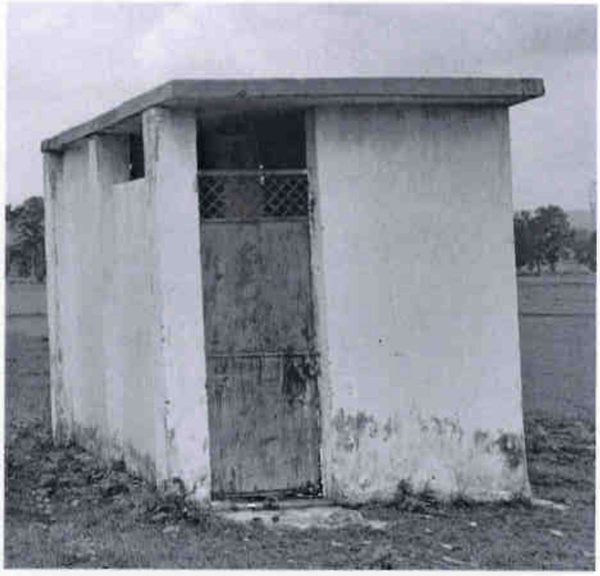

अमरईखोह गाँव में शौचालय

4.12 स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य, मानव विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण अंश है। यह जीवन की गुणवत्ता एवं आयुकाल दोनों को निर्धारित करता है। लोगों के अध्ययन निष्कर्षों, कार्यात्मकता क्षमता तथा आय क्षमता को भी प्रभावित करता है। पीएचसी,सीएचसी तथा जिला एवं जिला स्तरीय अस्पतालों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना पूरे जिले में कमज़ोर वर्गों को मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा सुविधाऐं प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पीएचसी/सीएचसी के माध्यम से सरकार मुख्य स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदाता है। खनुवा के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू है (10 किमी के दायरे में)। अध्ययन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने वाली यह मुख्य स्वास्थ्य सेवाऐं हैं। लोग, गंभीर बीमारियों के लिए वैढ़न जिला अस्पताल या एनसीएल अस्पताल नेहरु चिकित्सालय का दौरा करतें हैं।

मलेरिया इस क्षेत्र में संभवतः एक जानलेवा परजीवी रोग एवं प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, हालांकि अध्ययन क्षेत्र में डीडीटी का छिड़काव किए गए क्षेत्रों की व्याप्ति संतोषजनक नहीं है। साथ ही, सभी मलेरिया पीड़ित एवं बुखार से ग्रसित लोगों के लिए विलक्षण चिकित्सा को भी शुरु किया गया है।

बासी बेरदाह गाँव उप स्वास्थ्य केन्द्र

बैढ़न का जिला अस्पताल

4.13 शिक्षा

प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय हैं। धिरौली, बासी बेरदाह और मझौलीपाठ में माध्यमिक विद्यालय हैं। आठवीं कक्षा के बाद, बच्चों को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, माता–पिता को उन्हें मझौलीपाठ भेजना पड़ता है। कॉलेज, आईटीआई, पॉलीटेक्निक इत्यादि भी वैढ़न में है जो कि 70 किमी दूर है और विद्यार्थियों को वहाँ रहना पड़ता है और कमरे का किराया देना होता है तथा गजराबहरा एवं झलरी की बाहरी सड़कों से बसें मिल सकतीं हैं। बासी बेरदाह में शिक्षा से संबंधित समस्याऐं भी हैं। आठवीं कक्षा के बाद अधिकतर बच्चे स्कूल छोड़ देतें हैं, जिसके कारणों वे घर से स्कूल की दूरी, परिवहन साधन की अनुपलब्धता, घरेलू कार्यों, खेतों पर बच्चों की आवश्यकता या परिवार के लिए पैसे कमाना, अत्यधिक महंगी शिक्षा, पढ़ाई में रूचि न होना, शादी हो जाना और यहाँ तक कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याऐं शामिल हैं।

धिरौली माध्यमिक विद्यालय

अमरईखोह प्राथमिक विद्यालय

बासी बेरदाह प्राथमिक विद्यालय

झलरी प्राथमिक विद्यालय

फाटपानी प्राथमिक विद्यालय

4.14 भाषा

इस क्षेत्र में सबसे प्रचलित एवं ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के परंपरागत निवासी बघेली और भोजपुरी जैसी अन्य भाषाऐं भी बोलतें हैं। बाघेलखंड क्षेत्र में सिंगरौली स्थित है और यहाँ के परंपरागत निवासी बघेली बोलतें हैं, यह वो भाषा है जो शाब्दिक रूप से 72.91 प्रतिशत तक हिंदी से मिलती–जुलती है। भोजपुरी, भी कुछ निवासियों द्वारा बोली जाती है और यह भी शाब्दिक रूप से अवधी और हिंदी से मिलती–जुलती है तथा परंपरागत तरीके से कैथी की तरह लिखी जाती है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप, अंग्रेजी ने इस क्षेत्र में काफी बड़ी भूमिका बना ली है क्योंकि यह हर जगह इस्तेमाल होती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के जिला प्राधिकरणों में एकरूपता बनाये रखती है।

4.15 बाजारी सुविधायें

गज़राबहरा में सबसे बड़ा साप्ताहिक बाज़ार लगता है। यहाँ पर ग्रामीण अपनी उपज को बेचतें हैं तथा दैनिक जरुरतों की चीज़ों को भी खरीदतें हैं। इस क्षेत्र के लोग बड़ी खरीदारी करने के लिए सरई और वैढ़न भी जातें हैं।

गजराबहरा बाजार

धिरौली बाजार

धिरौली बाजार

झलरी बाजार

झलरी गाँव

4.16 खान पान की आदतें

परियोजना क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि और साल बीज, महुआ, गोंद, तेंदु पत्ते, आंवला, हरड़, बहेड़ा इत्यादि जैसे छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करना है। वर्षा ऋतु में वे कुछ जंगली जड़ों, पत्तियों और सब्जियों को इकट्ठा करतें हैं। मछली पालना और पकड़ना, व्यवसाय के तौर पर करने योग्य कार्य है। कुछ लोगों के पास मजदूर के तौर पर खेती करने के लिए कोई भूमि नहीं है। कुछ मौसमों में उन्हें खाने के लिए अनाज मिल जाता है जबकि बेमौसमों में उन्हें पत्तियाँ, फल, कंद (अर्थात् गेंठ, पिठारू, नकवा, कठारू, कुल्थी, कोंगे, चारहाट, बिलर) इत्यादि को खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ती है, अक्टूबर से मार्च के बीच उन्हें कुछ बेहतर भोजन मिलता है जिसमें मकई ज्वार अरुआ/मदुआ धान सतुरू की मिट्टी, कुटकी, अरहर, तथा अन्य दालें इत्यादि शामिल होतीं हैं। चावल एक ऐसा आहार है जिसे कई तरीके से बहुत लोगों द्वारा खाया जाता है। अधिकतर परंपरागत एवं आदिवासी भोजन चावल और चावल के आटे से बने होतें हैं जैसे पखलभात, कोसरा, अंगाकार रोटी और चावल के आटे की रोटी। आदिवासी और ग्रामीण लोग स्वादिष्ट स्थानीय मदिरा का लुत्फ उठातें हैं जो महुआ नामक स्थानीय पेड़ के छोटे, क्रीमयुक्त सफेद फूल से बनी होती है। इस क्षेत्र में महुआ अत्यधिक प्रसिद्ध है। अन्य भोजनों में राखियाबड़ी तथा जलेबी से बफोरी और पेठा शामिल है।

4.17 पहनावा

देश के किसी अन्य भाग की तरह, यहाँ की महिलाओं के लिए साड़ी परंपरागत वेशभूषा है तथा पुरुषों के लिए धोती और

बैगा आदिवासी

गोंड़ आदिवासी

कुर्त्ता–पायज़ामा है। एक परंपरागत समाज के तौर पर, यह आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाऐं साड़ी के पल्लू से अपने सिर को ढ़ककर रखती हैं जो कि सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। यह क्षेत्र अपने जटिल दस्तकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है और यह चीज़ इस क्षेत्र की दिनचर्या में झलकती है। आधुनिक प्रभाव के बढ़ते हुए प्रवाह के मद्देनजर, शहर के पहनावे में ध्यान देने योग्य बदलाव देखें जा सकतें हैं जिसमें स्थानीय महिलाऐं सुविधा और इस्तेमाल में आसान होने की वजह से सलवार और पश्चिमी कपड़ों को अपना रहीं हैं। प्रवासी कामगारों के बहुसांस्कृतिक प्रभाव ने भी इस क्षेत्र के पहनावे पर काफी प्रभाव डाला है। परियोजना क्षेत्र की महिलाऐं अपने कपड़ों और आभूषणों के साथ और भी कई चीज़ें खरीदतीं हैं। उन्हें लगता है कि इनके बिना उनके आभूषण/वस्त्र अधूरे हैं। बांधा का इस्तेमाल – जो कि एक प्रकार का सिक्कों से बना हार है बेहद प्रचलित सजावटी आभूषण है। महिलाओं ने स्वयं को निम्नलिखित परंपरागत आभूषणों के साथ आभूषित कर लिया है :–

- ✓ चांदी का हार जैसे 'सुता', एक 'फुली' नामक नाक में पहनने वाली अंगूठी और कान में पहनने के लिए 'बाली' तथा "खुंटीस"।
- ✓ पट्टे के साथ बांह पर पहनने के लिए चांदी की ऐंठी का इस्तेमाल भी किया जाता है।
- ✓ चूड़ा और करधनी – एक बेल्ट जैसी चीज़ जो चांदी की बनी होती है और कमर पर पहनी जाती है।
- ✓ पाऊँनची, ऊपरी बांह पर पहनी जाने वाली अंगूठी।

✓ बिछिया – पंजे में पहनी जानी वाली परंपरागत अंगूठी, जो कि शादी का प्रतीक है।

केवल महिलाऐं ही कपड़ें पहनना और कपड़ों को संजाना–संवारना पसंद नहीं करती, बल्कि पुरुष भी विविध प्रकार के आभूषणों में रूचि दिखातें हैं। पुरुष कौंधी पहनतें हैं जो कि मनकों से बना हार है और कभी–कभार कड़ा पहनतें हैं जो कि एक चूड़ा है जिसे परंपरागत आयोजनों और त्यौहारों में पहना जाता है। ये आभूषण और गहने संस्कृति और परंपरा की निशानी हैं।

4.18 निष्कर्ष

नीति निर्माताओं, विकसन पेशेवरों, सरकारी, गैर–सरकारी तथा साथ–साथ दानकर्त्ता एजेंसियों के लिए उन लोगों की रहन–सहन परिस्थितियों को समझना जरुरी है, जिनकी बेहतरी के लिए वे विविध कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से कार्य करतें हैं। प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण दर्शाता है कि शैक्षणिक और अन्य विकासात्मक संदर्भों में इस क्षेत्र का बहुत कम विकास हुआ है। शिक्षा, कार्य प्रतिभागिता दर, सुविधाओं तक पहुँच इत्यादि संदर्भ में लक्षित जनसंख्या की संपूर्ण सामाजिक–आर्थिक स्थिति न्यून है। इन पर और ज्यादा ध्यान देने एवं देख–रेख करने की आवश्यकता है ताकि प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या के अधिकारहीन वर्गों की जरुरतों और मांगों को शिक्षा एवं विकास की आधुनिक सुविधाओं के पहुँच में लाया जा सके। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं और उनके पास आय के अन्य विकल्प बेहद कम हैं। वे भूमि के छोटे से टुकड़े पर पूर्णतः निर्भर हैं। अतः औद्योगिक विकास, इस क्षेत्र में आय के अपेक्षित वैकल्पिक स्त्रोत को ला सकता है।

सभी प्रभावित गाँवों में, अधिकतर परिवार हिंदू धर्म को मानतें हैं। अध्ययन क्षेत्र में मेले लगना आम है और यह पूरे साल लगतें रहतें हैं। कुछ मेले धार्मिक या आर्थिक स्त्रोत होतें हैं। इस प्रकार के त्यौहारी मौकों पर लोगों को खुशी जताने का तथा व्यापारियों से कई सारे सामान खरीदने का मौका मिलता है। इस प्रकार के कुछ मेलों में हम देख सकतें हैं कि आदिवासी और गैर–आदिवासी लोग मिलकर एक साथ आंनंद लेते हैं।

5. सामुदायिक सलाह

5.1 परिचय

प्रभावी पुनर्वास योजना के लिए परियोजना के विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित परामर्श करने की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक परामर्श किसी भी परियोजना के प्रभाव और इसके अपेक्षित लाभों के सम्बन्ध में जनता की अपेक्षाओं का प्रबंधन करने में सहायता करता है। उसके उपरान्त किये जाने वाले परामर्श प्रायोजक और परियोजना से प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति के पैकेज और पात्रता आवश्यकताओं, पुनर्वास सहायता और पुनर्वास गतिविधियों की अवधि पर बातचीत करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

5.2 सामुदायिक परामर्श

5.2.1 समुदायिक परामर्श के उद्देश्य

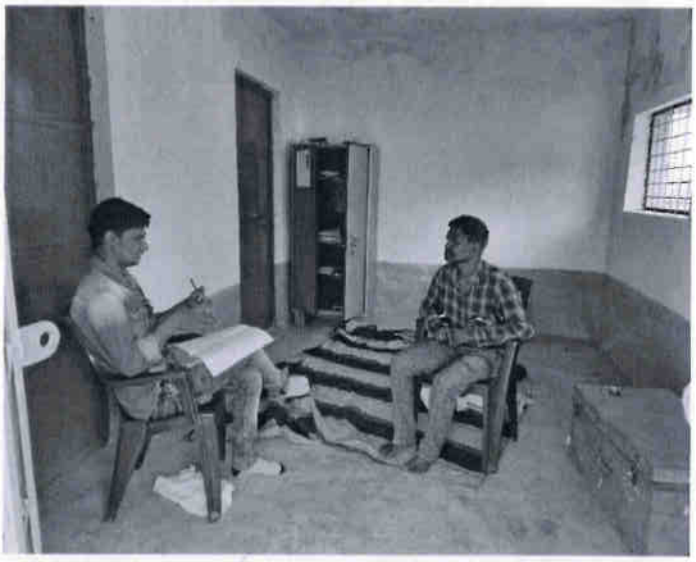

सामुदायिक परामर्श प्रक्रिया को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया है

- संभावित रूप से प्रभावित समुदायों/व्यक्तियों को निम्नलिखित के विषय में सूचित करना :
  - ✓ परियोजना शुरू होने का संभावित समय;
  - ✓ क्षतिपूर्ति के वितरण में कितना समय लगेगा
  - ✓ किस प्रकार की क्षतिपूर्ति है
  - ✓ विभिन्न प्रकार के नुकसानों के लिए कितनी संभावित क्षतिपूर्ति राशि होगी
- प्रभावित समुदायों/व्यक्तियों के विचार सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय घटकों पर जानने और प्रस्तावित परियोजना के कारण संभावित प्रभावों के महत्व का मूल्यांकन करना;
- प्राकृतिक और मानवीय परिवेश के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए, जिनमें से अधिकतर परम्परागत तरीके से कभी भी एकत्र नहीं हो सकती हैं;

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना के उद्देश्य और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करके जनता का सहयोग प्राप्त किया जाए।
- अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता की समझ विकसित करना
- अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता की समझ विकसित करना

- समुदाय के साथ सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) तकनीकों के माध्यम से चर्चा संपन्न हुई। पुनर्वास योजना के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु जनता के बीच प्रभावी परामर्श और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए यह बेहद जरूरी है कि परियोजना प्रायोजकों और हितधारकों के बीच सूचना का मुक्त प्रवाह होता रहे।

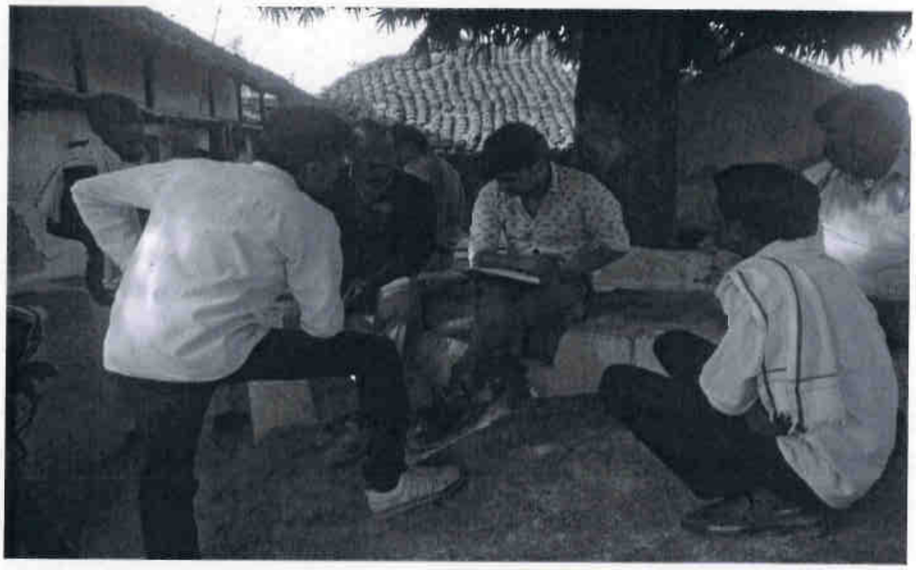

5.2.2 सामुदायिक परामर्श के लिए प्रयुक्त तकनीक

परियोजना से प्रभावित सभी 8 गांवों में लोगों के साथ प्राथमिक परामर्श किया गया। परामर्श के लिए तारीख को अंतिम रूप देने से पहले सरपंच और अन्य पंचायत सदस्यों से परामर्श किया गया। परामर्श के लिए सरपंच द्वारा परियोजना से प्रभावित लोगों को एक निश्चित स्थान पर एकत्र करने के लिए हर घर में सर्वे कराते हुए सूचित किया गया। सार्वजनिक परामर्श के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों की चर्चा नीचे की गई है :

- प्रश्नावली सर्वेक्षण : आमने सामने बैठकर परामर्श
- ट्रांज़ेक्टवॉक : बहु–विषयक टीम से पेशेवर के साथ परियोजना सीमा के साथ।
- समूह परामर्श : सामाजिक और लिंग समूह के अनुसार परामर्श;
- साइट पर त्वरित परामर्श : गांव के बुजुर्गों, सरपंच, समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत;
- पीआरए तकनीक : परियोजना के कारण समस्या और संभावित प्रभावों की पहचान के लिए मूल्यांकन की सहभागी तकनीक।
- सामुदायिक बैठक परामर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इस बैठक के कारण व्यक्तियों, हितधारकों और अन्य लोगों को परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है जिसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रभावित होंगे।

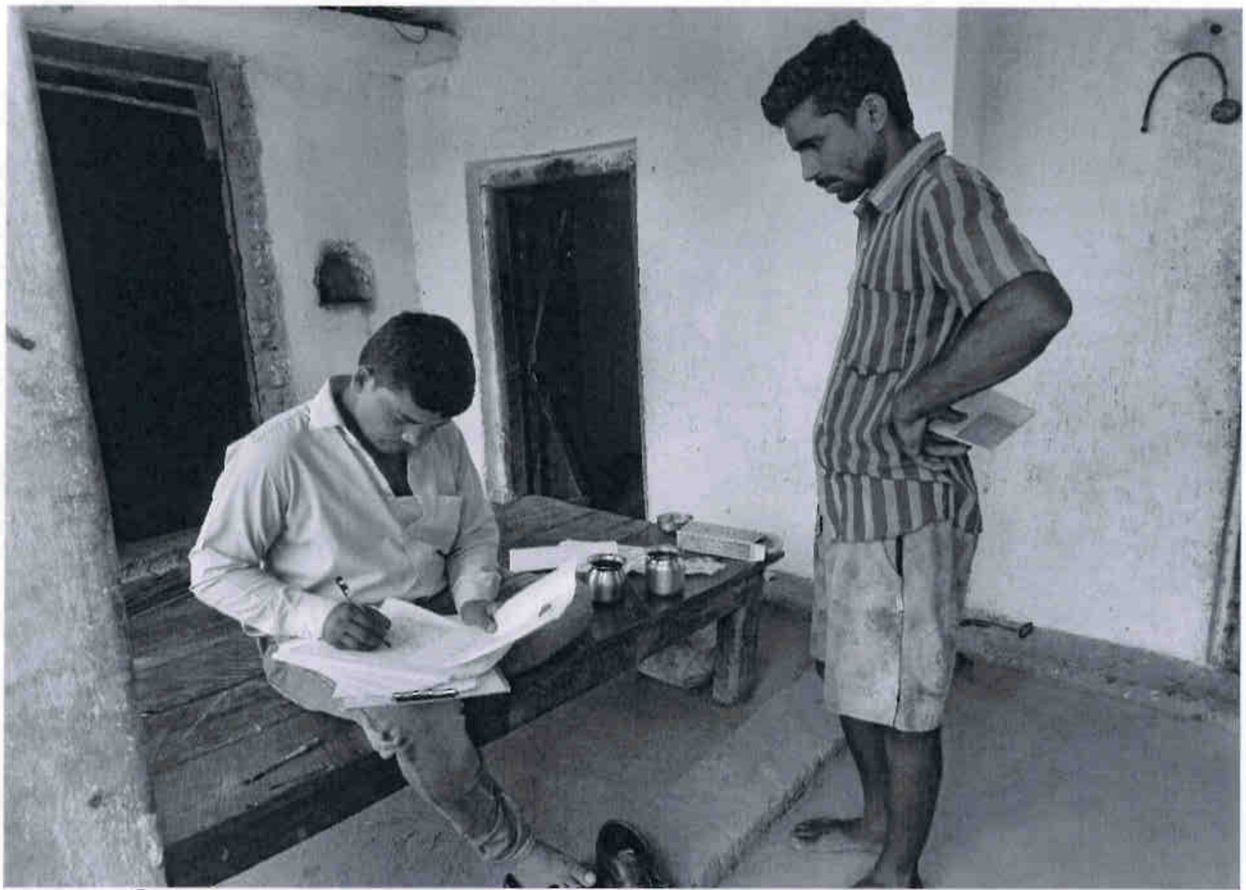

5.2.3 प्रक्रिया

परियोजना के संबंध में समुदाय के विचारों को सम्मिलित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सूचना को प्रकट करें और उनके व्यवहार विकल्पों पर चर्चा की गई। परामर्श का उद्देश्य, सूचना को जनता को बताना और फिर प्रस्तावित परियोजना पर जनता की राय प्राप्त करना। अधिकतम जनसँख्या और समाज के सभी समुदायों के विचारों को प्राप्त करने के लिए परामर्श की प्रक्रिया को निम्नलिखित खंडों में व्यक्त किया गया हैं ।

5.2.3.1 समूह परामर्श

समूह परामर्श का आयोजन आवासीय संपत्ति स्वामियों (पट्टा धारकों, बीपीएल (गरीबी स्तर से नीचे) के परिवारों, शीर्षक धारकों, महिला समूहों, युवा समूहों आदि के साथ–साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (दुकानों और छोटे घरेलू उद्योग), खेती करने वालों और खेतिहर मजदूरों के साथ किया गया था। समूह परामर्श दो स्तरों पर आयोजित किया गया था और निम्नलिखित अनुभागों में वर्णित है।

स्तर 1: सामुदायिक समूहों के साथ संवाद : स्तर 1–सामुदायिक समूहों के साथ बातचीत परियोजना स्थल के भीतर सभी 8 गांवों में सामुदायिक समूहों के साथ बातचीत की गई। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य गांवों में सामाजिक गतिशीलता, गांव से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को समझना,

जरूरतों की पहचान करना और परियोजना से ग्रामीणों की क्या अपेक्षाएं हैं, उन्हें समझना है। गावों के अनुसार आयोजित किए गए परामर्श तालिका 5.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 5-1: स्थानानुसार सामुदायिक परामर्श

क.सं.	गॉव का नाम	परामर्श दिनांक	समूह परामर्श
1	अमरईखोह	20/07/2021	सरपंच, कृषि मजदूर, पीडीपी, महिलाएं एवं युवा
2	आमडाड़	14/07/2021	सरपंच, स्कूल शिक्षक, पंचायत सदस्य एवं आम ग्रामीण श्रमिक, महिलाएं एवं वृद्ध
3	बासी बेरदाह	19/07/2021	कृषि मजदूर, पीडीपी, ग्रामीण, महिलाएं एवं वृद्ध
4	बेलवार	18/07/2021	स्कूल शिक्षक, सरपंच, दुकानदार, श्रमिक, महिलाएं
5	सिरसवाह	16/07/2021	सरपंच, पंचायत सदस्य, श्रमिक युवा और दुकानदार
6	झलरी	12/07/2021	सरपंच, पीडीपी, ग्रामीण, श्रमिक, महिलाएं एवं वृद्धि
7	धिरौली	10/07/2021	सरपंच, पीडीपी, श्रमिक, महिलाऐं, स्कूल टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
8	फाटपानी	11/07/2021	सरपंच, पंचायत सदस्य, महिलाएं, स्कूल टीचर, श्रमिक

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण एवं परामर्श 2021

स्तर 2 – साइट पर त्वरित परामर्श : इस पूरी परियोजना में गावों में 21 स्थानों पर साइट पर त्वरित परामर्श का भी आयोजन किया गया था। इस परामर्श में अनौपचारिक तरीके से सामुदायिक समूहों (महिलाओं और कमजोर समूहों) के साथ चर्चा की गई थी। सामान्य बातचीत और चर्चा को उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के आसपास बुना गया था। इस प्रकार की बातचीत का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनकी सामान्य परम्पराओं पर एक दृष्टिकोण का निर्माण करना था।

5.3 परामर्श के दौरान उठाये गए मुख्य मुद्दे :

चर्चा के मुख्य विषयों में जीवनयापन की सामान्य स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं, सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क के बुनियादी ढांचे और कृषि और सिंचाई सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे सम्मिलित थे, जिन पर चर्चा की गयी। परामर्श में अनचाहे विस्थापन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जिन मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की गयी उन्हें संक्षेप में नीचे प्रदर्शित किया गया है।

5.3.1 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में जो परिदृश्य है वह काफी निराशाजनक है और इसमें छोटी बीमारियों और प्रसव का क्षेत्र अत्यंत ही चिंताजनक है। गाँव के भीतरी हिस्सों में डॉक्टर, नर्स और दवा के साथ स्थायी चिकित्सा औषधालयों की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण उपचार के लिए महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं और खर्च करते हैं। यह स्वास्थ्य सुविधा छोटी बीमारियों के इलाज, प्रसव,

टीकाकरण और बड़ी बीमारियों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों में भेजने में सक्षम होनी चाहिए। सरकारी योजनाओं के विषय में भी लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। लोगों

को छोटी–छोटी बीमारियों के लिए भी निजी अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य होना होता है और फिर वह उस पर भारी मात्रा में खर्च करते हैं और विशेष रूप से मातृत्व स्वास्थ्य और प्रसव के लिए संस्थागत सुविधाओं की आवश्यकता होती है ताकि प्रसव काल में होने वाली मृत्यु को नियंत्रित किया जा सके और माता एवं शिशु पर ध्यान दिया जा सके।

5.3.2 स्वच्छता

स्वच्छता एक और ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि लोग अभी भी खुले में शौच जाते हैं। इसके कारण कई प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है और एक स्वास्थ्य समस्या बन जाता है। आधारभूत संरचना एवं पानी बहाने वाली सुविधा वाले शौचालयों के निर्माण से इस आदत को बदला जा सकता है। इस व्यवहार में परिवर्तन की भी आवश्यकता है जिसके कारण लोग खुले में शौच से शौचालय में जाने की आदत का विकास करेंगे और इनमें बेहतर स्वच्छता आदतों का विकास होगा। यह पाया गया कि लोग अपने घरों में शौचालय नहीं चाहते हैं और उन्होंने कहा कि जब तक घर में पानी की आपूर्ति नहीं होगी तब तक शौचालय का उपयोग करना संभव नहीं है। उनके अनुसार शौचालय के लिए पानी लाने में उनका समय बर्बाद होगा।

5.3.3 जीवन यापन विकल्प

इस क्षेत्र के अधिकाँश लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन सिंचाई के लिए सुविधाओं की कमी के कारण खेती और उत्पादन अधिकतम नहीं हो सकता है। इसलिए स्थिति को सुधारने के लिए चेक डैम, वाटरशेड प्रबंधन, उपकरणों के लिए ऋण सुविधा आदि इस क्षेत्र में आवश्यक हैं। जो लोग मजदूरी का कार्य कर रहे है, उनके लिए आजीविका के विकल्पों की आवश्यकता है। कई ऐसे विकल्प हैं जिन पर कार्य किया जा सकता है जैसे स्वयं सहायता समूहों का गठन और उन्हें मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन, महिला समूह प्रदान करना आदि। कार चलाने का प्रशिक्षण, आई.टी.आई., हैंडपंपों की मरम्मत, सोलर लैम्प आदि से ग्रामीणों को दी जाने वाली संपत्ति के रख–रखाव में मदद मिल सकती है।

5.3.4 शिक्षा

अभी भी सुदूर क्षेत्रों में बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने और उनकी अनुपस्थिति की गंभीर समस्या है क्योंकि बच्चे दूरी, सड़कों/पुलों की कमी, आर्थिक समस्याओं के कारण स्कूलों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इन टोलो के सभी बच्चों को साइकिल, छात्रवृत्ति भी दिया जाना अत्यावश्यक है। जरूरतमंद और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं आवास एवं अन्य व्यय का प्रबंधन जिला प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। ऐसी कोई भी समस्या स्कूल के पास गाँव के लोगों के साथ नहीं है। बच्चों के लिए बस सेवा भी ऐसा विकल्प है, जिस पर कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में जो स्कूल की आधारभूत संरचना है, उसे बेहतर करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षा में रूचि का ह्रास हो रहा है।

5.3.5 सम्पर्क सुविधा

गांव में भीतरी टोलों के लिए संपर्क प्रबंधन के लिए और पहुँच के लिए सड़कों की आवश्यकता है क्योंकि गाँव के भीतर केवल कच्ची सड़कें हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के अभाव के कारण उन्हें सिंगरौली में आने–जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. प्रस्तावित परियोजना के बारे में प्रतिक्रिया

लोग अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर कहीं और बसने में सहज नहीं थे। उन्हें इस बारे में चिंता थी कि उन्हें पूरे परिवार के एक साथ रहने के लिए पर्याप्त जगह के साथ घर नहीं मिल सकेगा, और उनके परिवार में वर्तमान में पांच सदस्य है। कुछ गांवों के नागरिक प्रस्तावित परियोजना का विरोध करते हुए कह रहे थे कि वे अपनी कृषि भूमि नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका मत था कि चूंकि यह क्षेत्र कोयला खदानों से घिरा हुआ है, जिनका या तो परिचालन हो रहा है या फिर वह प्रस्तावित है,

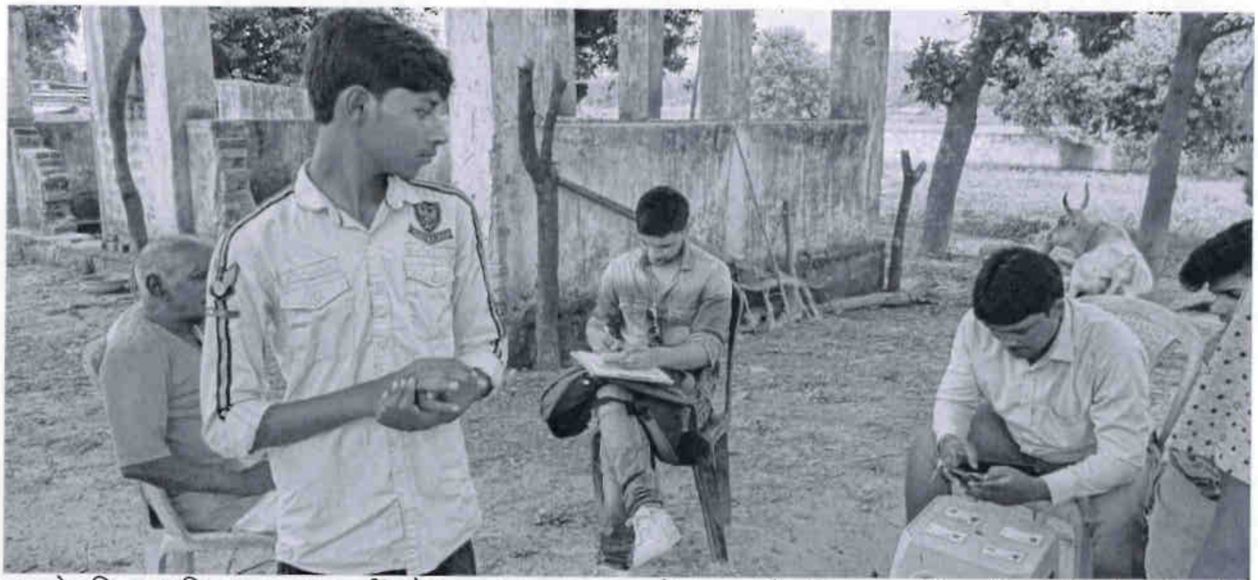

उनके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उनके पास वैकल्पिक कृषि भूमि खरीदने की कोई संभावना नहीं होगी एवं उन्हें कृषि के अपने व्यवसाय को छोड़ने और किसी अन्य व्यवसाय को करने के लिए विवश होना पड़ेगा क्योंकि वह इसमें प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए अगर उनका घर नहीं भी जाता है तो भी वह पलायन करने को मजबूर होंगे।

इस पूरी वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि ग्रामीणों के साथ परियोजना विकासकर्ता की अधिक से अधिक बातचीत होनी चाहिए। ग्रामीणों का मत था कि उनके गांवों के संबंध में निर्णय उनकी भागीदारी के बिना लिए जाते हैं। यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी उन्हें कुछ बातें नहीं बताते हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग तनाव में रहते हैं।

5.3.6 पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन

ग्रामीणों को अपनी जमीन के बदले में मिलने वाले दामों की चिंता थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीनतम दरों के अनुसार नहीं, बाजार दर से चार गुना (बाजार दर का 2 गुना और साथ में 100% सोलेसियम) भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यह वचन दिया जाता है तो वह अपनी जमीन देने के बारे में सोच सकते हैं। ग्रामीणों के अनुसार सभी ग्रामीणों के लिए एक समान मुआवजा दिया जाना चाहिए।

5.3.7 जीवन यापन

यह पाया गया कि मिट्टी के क्षरण, पानी की लगातार कमी और बाज़ार की खराब सुविधाओं के कारण कृषि के माध्यम से आम ग्रामीण का रोजीरोटी चलाना कठिन होता जा रहा है जिसके कारण अब लोग गैर–कृषि गतिविधियों की ओर मुड़ रहे हैं। इस प्रकार, स्थानीय रोजगार बाजार पर दबाव है जिससे बेरोजगारी में दिनों दिन वृद्धि हो रही है।

5.3.8 पर्यावरण सम्बंधी चिंताएं

खानों के संचालन और परिवहन से होने वाला प्रदूषण एक बेहद ही गंभीर चिंता का विषय है। हितधारकों को समझाया गया कि कोयले का परिवहन सड़कों के माध्यम से बहुत कम होगा और कोयले को बंद कंटेनर से और रेलवे के द्वारा भेजा जाएगा। उनका यही विचार था कि सभी खदानों को ही प्रदूषण कम करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए नहीं तो सारे गाँव वालों को ही गाँव छोड़कर जाना होगा।

5.4 सुझाव

ग्रामीणों के साथ निरंतर संवाद के साथ निम्नलिखित सुझाव सामने आए:

- पेयजल सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अध्ययन क्षेत्र के गांवों में पानी के बहुत कम स्रोत हैं। यह भी आवश्यक है कि गांवों में वर्षा जल एकत्र करने वाली संरचनाओं एवं भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि पानी की उपलब्धता और पानी को रीचार्ज करने वाली प्रणाली में सुधार हो सके।
- ग्रामीणों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए सभी खदान विकासकर्ताओं द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। जैसी पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि इस क्षेत्र में कृषि भूमि की बहुत हानि हुई है जिससे व्यावसायिक संरचना तो बदल ही चुकी है और साथ ही गैर–कृषि आधारित व्यवसायों में वृद्धि होगी। वर्तमान में स्थानीय जनसँख्या को कृषि के अतिरिक्त किसी भी अन्य गतिविधि के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर एक ऐसा कौशल विकास कार्यक्रम का विकास करना चाहिए जिसकी अवधारणा सही से बनी हो और साथ ही वह विस्तृत हो।
- उन सभी ग्रामीणों को वर्तमान सरकारी योजनाओं से जोड़कर आजीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, जिनका जीवन इस परियोजना के कारण प्रभावित होने जा रहा है।
- वर्तमान सुविधाओं में और सुविधाएं जोड़ने के द्वारा बेहतर शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। डेवलपर की सीएसआर टीम को यह पता लगाना चाहिए कि सुविधाओं और मानव श्रम में अंतर कितना है और फिर उसके बाद ही अपनी हस्तक्षेप रणनीतियों पर कार्य करना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कॉलोनी मे RFCTLARR 2013 में बताई गयी शर्तों के अनुसार सभी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- जब भी ऐसी परियोजनाओं के लिए ईआईए/ईएमपी को निर्णायक रूप प्रदान किया जाता है तो उस समय वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, राख प्रबंधन, जल प्रबंधन और शोध एवं विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परियोजना के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विचार किया जाएगा।

- सामुदायिक शिकायतों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया के गुण और दोषों के विषय में पर्याप्त बताया जाना चाहिए। ग्रामीणों की शिकायतों पर कदम उठाने के लिए एक शिकायत तंत्र प्रकोष्ठ होना चाहिए।

5.5 निष्कर्ष

सभी गांवों के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक आम समस्या है क्योंकि उनके लिए रियायती दरों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोई अन्य सुविधा नहीं है। वहां पर कार्य करने वाले चिकित्सा शिविर, साप्ताहिक चिकित्सक, औषधि वितरण सहायक नहीं है क्योंकि उन्हें नियमित आधार पर सुविधा की आवश्यकता होती है। डॉक्टर, नर्स और दवा के साथ गावों के भीतरी भागों में स्थायी चिकित्सा औषधालयों की आवश्यकता होती है। सरकारी योजनाओं के साथ–साथ पंचायत द्वारा उठाए गए क़दमों के विषय में भी बताया जाना चाहिए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, लगभग हर गांव में आजीविका के विकल्पों की आवश्यकता है। निम्नलिखित तीन श्रेणियों के लिए विकल्प तैयार करने की आवश्यकता होती है (1) जो साक्षर और शिक्षित हैं; (2) जिनके पास कृषि भूमि है और; (3) जो निरक्षर और भूमिहीन हैं। कई ऐसे विकल्प हैं, जिन्हें पर्याप्त परिवर्तन लाने के लिए अच्छी तरह से और तलाशे जाने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है जैसे स्व–सहायता समूह का व्यवस्थित कार्यान्वयन और निगरानी; तकनीकी शिक्षा; सिंचाई तकनीक और जल प्रबंधन; उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और परामर्श आदि।

शिक्षा में आवश्यकतानुसार अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जब शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है या फिर वह उपलब्ध ही नहीं हैं तो ऐसे में स्कूल भवन का निर्माण पर्याप्त नहीं है।

सड़कों जैसे आधारभूत ढाँचे को इस प्रकार निर्माण किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि उनका जीवन लंबा हो और सड़क, हैंडपंप, सोलर लैंप आदि जैसे आधारभूत ढांचे की मरम्मत और रखरखाव को परामर्श संबंधी प्रणाली के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है।

6. प्रत्याशित प्रभाव

6.1 परिचय

6.1.1 प्रभाव की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

एसआईए अर्थात सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट पहले से ही उन सामाजिक नतीजों का आकलन करना चाहता है जो विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं जैसे बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास, बिजली परियोजनाओं और हरित क्षेत्र निर्माण इकाइयों को स्थापित करने आदि के बाद होते हैं। यह एक ऐसा माध्यम या उपकरण है जो निर्णय लेने वालों को यह बता सकता है कि उनके कार्यों का क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिससे उन्हें रोकने या कम से कम उन्हें सीमित करने के लिए आवश्यक कदम समय पर उठाए जा सकें। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखा जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र के लोगों के जीवन पर असर डालता है।

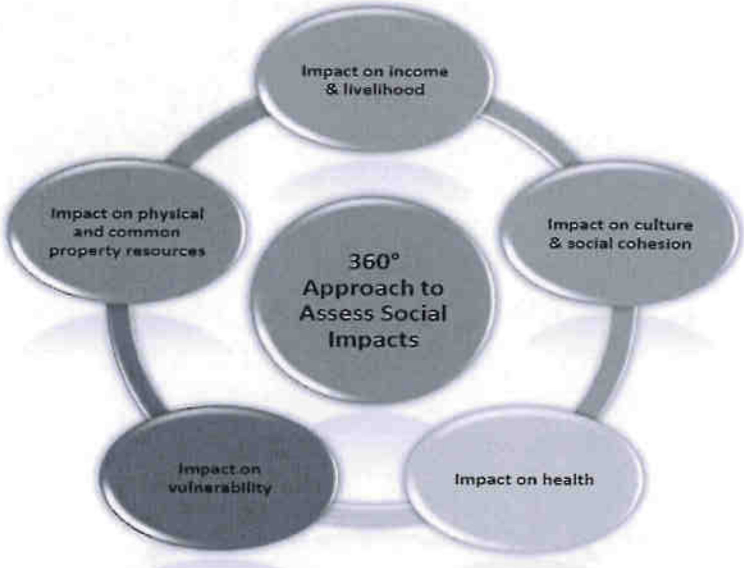

सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर अंतर–संगठनात्मक समिति (आईओसीपीजीएसआईए 2003) के अनुसार, सामाजिक प्रभावों की अवधारणा का एक पारंपरिक तरीका है कि निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तन लाए जाएं।

- लोगों की जीवन शैली – अर्थात वे कैसे रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और दिन–प्रतिदिन एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं;
- उनकी संस्कृति – अर्थात उनकी साझा मान्यताएं, रीति–रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली;
- उनका समुदाय – उसकी एकता, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं और सुविधाएं;
- उनकी राजनीतिक व्यवस्था – जिस हद तक लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम हैं, लोकतांत्रीकरण का स्तर जो हो रहा है, और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन।

- उनका पर्यावरण – लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली हवा और पानी की गुणवत्ता उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता, खतरे या जोखिम का स्तर, धूल और शोर, वह जिसका सामना करते हैं; स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी शारीरिक सुरक्षा, और संसाधनों तक उनकी पहुँच कितनी है और कितना नियंत्रण है
- उनका स्वास्थ्य और कल्याण – स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण का होना है न कि केवल बीमारियों या दुर्बलताओं का न होना
- उनके व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार–विशेष रूप से क्या लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हैं या व्यक्तिगत नुकसान हुआ है और जिसमें उनकी नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- उनके डर और उनकी आकांक्षाएं–अपनी सुरक्षा के विषय में उनकी क्या धारणाएं हैं, अपने समुदाय के भविष्य के बारे में उनके क्या डर हैं और अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएं।

सामाजिक समाघात आकलन करने की प्रक्रिया को इस तरह से बनाया गया था, जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था।

प्रभावों को पहचानने के लिए निम्नलिखित चरणों में रूपरेखा और दृष्टिकोण को दिखाया गया है।

चरण 1: एसआईए टीम का गठन

चरण 2: साहित्य समीक्षा

चरण 3: विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक

चरण 4: डेटा संग्रह (उपकरण प्रश्नावली, एफजीडी, कार्यक्रम)

चरण 5: डेटा प्रोसेसिंग

चरण 6: रिपोर्टिंग

6.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभाव का विवरण

परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है।

- निर्माण चरण के दौरान प्रभाव
- परिचालन चरण के दौरान प्रभाव

6.2.1 निर्माण चरण के दौरान प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र में गैर–श्रमिकों की संख्या लगभग 52.77% है। यह निर्माण गतिविधि के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता को बताती है। जहां तक संभव होगा, यह लोग स्थानीय जनसँख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। निर्माण चरण के दौरान अध्ययन क्षेत्र के बाहर से भी कई लोग कार्य करने एक लिए आएँगे, जिसके कारण स्थानीय बस्तियों और संसाधनों पर कुछ दबाव पैदा हो सकता है। इसलिए, जनसांख्यिकीय प्रभाव कम होंगे और प्रकृति में अस्थाई होंगे।

हालांकि ऐसा अवश्य होगा कि लोगों, धन और सामग्री का प्रवाह क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि अकुशल और अर्ध–कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। दुकानों, होटलों और अन्य संबद्ध सेवाओं में वृद्धि होने से भी रोजगार के मार्ग खुलेंगे। इसके कारण लोगों की स्थिति में सुधार होने से उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

अधिकांश निर्माण मजदूरों के साथ अनुबंध आधार पर होंगे। चूंकि निर्माण चरण के दौरान अधिकांश मजदूरों को स्थानीय रूप से भर्ती किया जाएगा, इसलिए मजदूरों का जो कैम्प होगा वह बहुत बड़ा नहीं होगा। इसलिए, निर्माण चरण के दौरान स्थानीय समुदाय के साथ प्रवासी श्रमिकों का संघर्ष नहीं होगा।

IMPACT NETWORK ON SOCIO-ECONOMIC AND CULTURE ENVIRONMENT

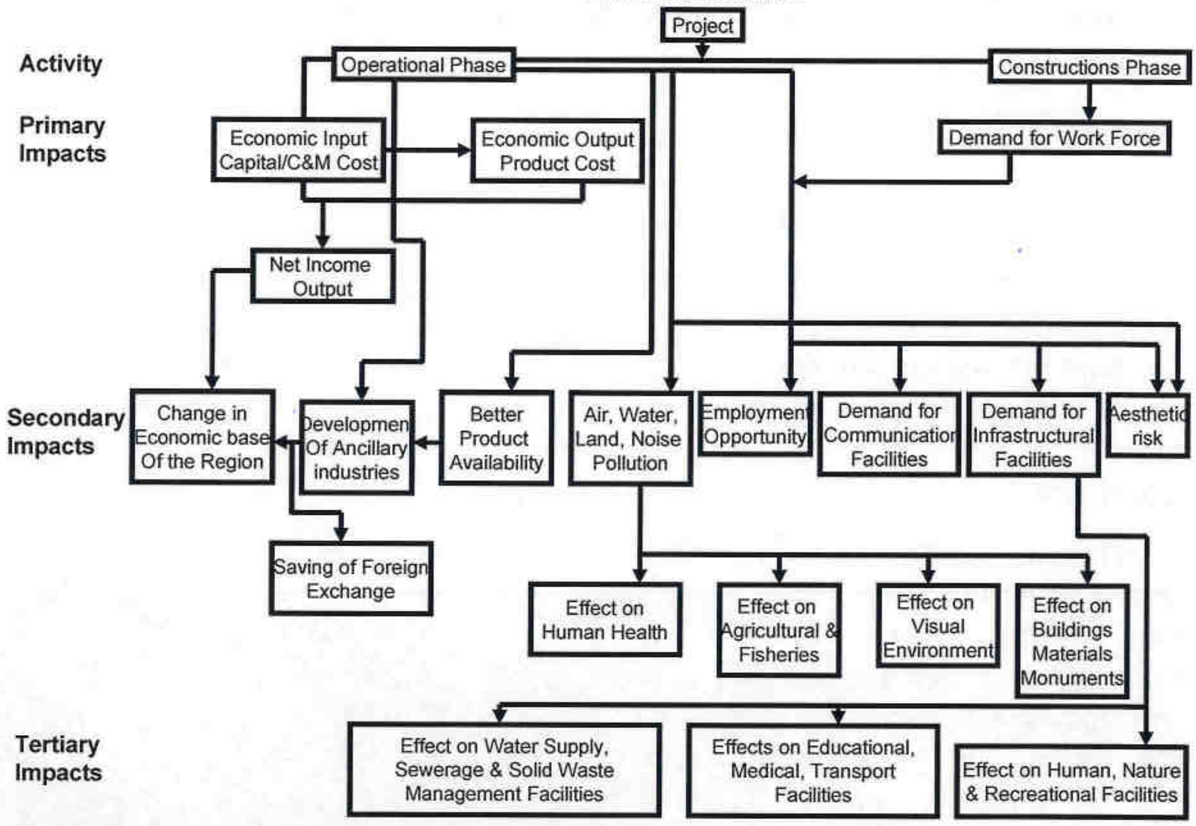

इस परियोजना सामारात्मक प्रभाव निम्नलिखित को जन्द दे सकते है :

- अध्ययन क्षेत्र में गैर–कुशल और अर्ध–कुशल मजदूरों से लेकर ठेकेदार/उपठेकेदारों के रूप में लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि
- सेवाओं की वृद्धि (जैसे खुदरा दुकानें, ऑटोमोबाइल कार्यशालाएं, आदि) और सेवा क्षेत्र में रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि।
- जब व्यय करने की क्षमता में विस्तार होगा और विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का आगमन होगा तो क्षेत्र के सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण में सुधार होगा। चूंकि क्षेत्र में औद्योगीकरण हो चुका है तो प्रस्तावित परियोजना के कारण सामाजिक–सांस्कृतिक संघर्ष नहीं हो सकते हैं।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और क्षेत्र का समग्र आर्थिक उत्थान और परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं में सुधार।

नकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया जा सकता है :

- अस्थायी जनसंख्या में वृद्धि के कारण नागरिक सुविधाओं (जैसे सड़क, परिवहन, संचार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजक सुविधाओं) पर दबाव पड़ना।

- लोगों और गांवों के पुनर्वास के कारण क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता में बदलाव होगा जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष हो सकते हैं।
- जमीन, मकान और अन्य संपत्ति गंवाने वाले लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। इससे गरीब होने और सीमांत पर जाने का खतरा बढ़ जाएगा।
- जो प्रभावित जनसँख्या है, उसे जो मुआवजा मिलेगा उसके कारण क्षेत्र में अचानक से ही धन का उछाल आएगा और इसके कारण बातचीत का पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि लोगों के एक निश्चित समूह के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी होगी और दूसरा समूह पहले की तरह ही गरीब रहेगा। इससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है।
- स्थानीय सेवाओं और उत्पादों जैसे अंडा, मछली, सब्जियां, दूध आदि के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि ।

6.2.2 परिचालन चरण के दौरान प्रभाव

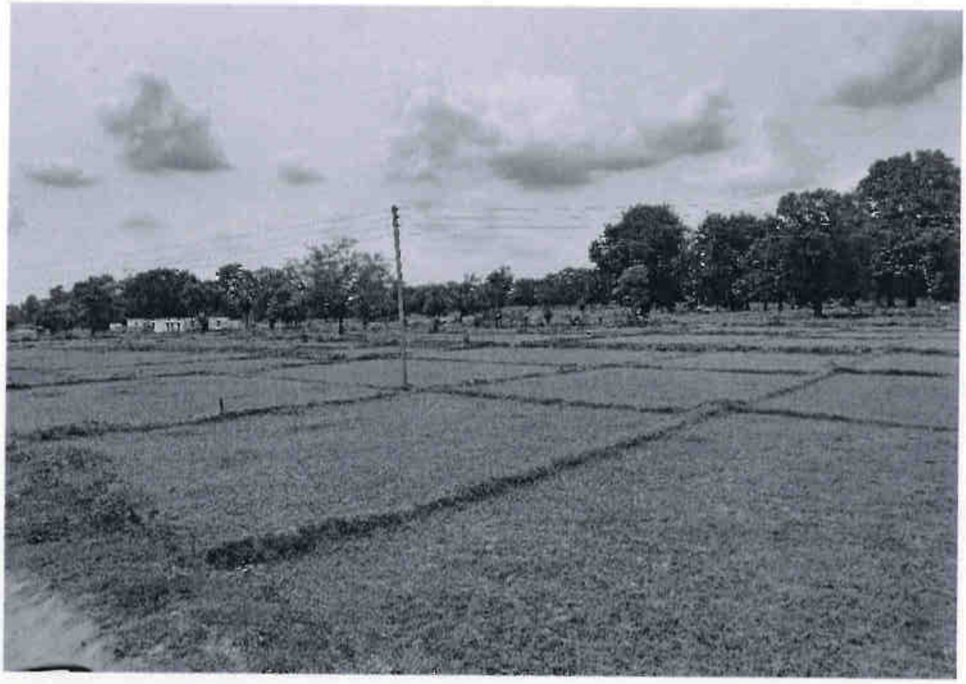

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बातचीत की पद्धति और सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन होगा, जिससे सामाजिक तनाव और सामाजिक अव्यवस्था हो सकती है। साथ ही खनन कार्यों से वायु और जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए। विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ–साथ वातावरण में जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनके साथ साथ नियामक मानकों को लागू करने से ही स्वास्थ्य की स्थिति पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित होगा।

6.3 भूमि पर प्रभाव

धिरौली कोल ब्लॉक का क्षेत्रफल 2672 हेक्टेयर है और यह 8 गांवों , **आमडाड़, अमरईखोह , बासी बेरदाह , बेलवार , सिरसवाह, झलरी , धिरौली** और **फाटपानी** में फैला हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन किया गया। इन श्रेणियों के हैं (i) निजी भूमि, (ii) सरकारी भूमि (iii) वन भूमि। अध्ययन के लिए आयोजित की गई पहली गतिविधि में भू–राजस्व

विवरण से यह पता करना था कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है। इस प्रक्रिया में जमीन से सम्बन्धित स्थलों को भूमि से सम्बन्धित मानचित्रों पर वर्णित किया गया और फिर बाद में विशिष्ट प्रभावित खसरों को पहचाना गया।

क्रम संख्या	गाँव का नाम	निजी भूमि (हेक्टेयर)	सरकार भूमि (हेक्टेयर)		गाँव का कुल राजस्व क्षेत्र (हेक्टेयर)
			गैर-वन	जंगल-झारी	
1	आमडाड़	25.75	17.98	7.49	51.22
2	अमरईखोह	45.78	64.74	2.63	113.15
3	बासी बेरदाह	147.67	23.30	29.83	200.80
4	बेलवार	30.83	10.66	nil	41.49
5	सिरसवाह	4.90	3.82	nil	8.72
6	झलरी	72.47	25.88	Nil	98.35
7	धिरौली	195.01	504.14	60.89	760.04
8	फाटपानी	31.60	31.28	nil	62.88
		504.01	**681.80**	**100.84**	**1336.65**
कुल राजस्व भूमि (ए)					**1336.65**
कुल आरक्षित वन भूमि (बी)					**1335.35**
कुल भूमि (ए + बी)					**2672.00**

6.4 आजीविका और आय पर प्रभाव

स्थानीय लोग आजीविका के लिए अधिकतर कृषि पर ही निर्भर हैं। हालांकि, कम कृषि उत्पादकता के कारण लोगों के लिए केवल कृषि से ही अपना जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन कार्य है। सभी प्रभावित परिवारों के सामने यह आशंका है कि उनकी आजीविकता उनके हाथ से निकल जाएगी क्योंकि उनके आजीविका मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से ही प्राप्त होती है। अधिकतर लोग एक सामान्य और बस जीवन निर्वाह करने वाली ही अर्थव्यवस्था में रहते हैं, जहाँ उनका गुजारा ही मुश्किल से पूरा हो पाता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें उचित क्षतिपूर्ति दी जाए और उनकी आजीविका बनी रहे इसलिए एक अच्छी तरह से तैयार योजना के माध्यम यह निर्देशित किया जाए कि उनकी क्षतिपूर्ति की राशि का उपयोग कैसे करना है।

6.5 स्वास्थ्य पर प्रभाव

स्वास्थ्य संकेतकों के साथ–साथ स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के मामले में स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब है। अध्ययन में पाया गया कि लोग अभी भी इलाज के लिए परम्परागत पद्धतियों का

ही उपयोग करते हैं। सरकारी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव और अधिकांश ग्रामीणों द्वारा निजी क्लीनिकों तक न पहुँच पाने की जो विवशता है वह उन्हें मजबूर करती है कि वह पारंपरिक चिकित्सकों (ओझा) और झोलाछाप डॉक्टरों से ही इलाज कराएं।

चूंकि यहाँ पर जल निकासी की सुविधा नहीं है इसलिए विभिन्न स्रोतों से गंदा पानी पोखरों में जमा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जल से होने वाले कई रोग हो जाते हैं। इस क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, पेचिश, गैस की समस्या, पीलिया और त्वचा रोग पाई जाने वाली कुछ सामान्य बीमारियाँ थीं। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती थी। पैथोलॉजिकल परीक्षण सुविधाओं के न होने और आसपास के क्षेत्र में चिकित्सक के न होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को बीमारियों के विषय में पता ही नहीं लग पाता है। अधिकांश प्रभावित परिवार इस बात से सहमत थे कि परियोजना से होने वाले प्रदूषण के चलते स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति प्रभावित होगी और परियोजना से इसके आसपास के लोगों के लिए अधिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होगा।

6.6 खतरों के सम्पर्क में आने की संभावना पर प्रभाव

प्रभावित परिवारों ने यह आशंका व्यक्त की कि वह इस परियोजना के परिणामस्वरुप कई प्रकार के खतरों का सामना करेंगे। वे इस बात से सहमत थे कि इस परियोजना से उनके परिवारों में कई संबंधित बीमारियों का संक्रमण होने के कारण यह आशंका है कि उनके परिवारों में शारीरिक और सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी और उन्हें चिंता है कि उनका स्वास्थ्य खराब होगा। विडंबना यह है कि अधिकांश प्रभावित परिवार इस बात से भी सहमत थे कि परियोजना के कारण जो आसान रूप से धन प्राप्त होगा उसके कारण यहाँ के युवा न केवल शराब बल्कि ड्रग्स का भी शिकार होंगे।

6.7 संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव

लगभग 10% प्रभावित जनसंख्या इस बात पर सहमत थी कि यह परियोजना उनके परस्पर संबंधों को तोड़ देगी और उनके सामुदायिक जीवन को प्रभावित करेगी। अधिकतर लोगों को इस बात का भय है कि इस परियोजना से अपराध में वृद्धि होगी। यह सामाजिक एकता के विघटन में वृद्धि करेगी और सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा पैदा करेगी। बाकी 90% आबादी परियोजना के पक्ष में है। उनका मानना है कि इससे प्रभावित जनसँख्या की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर में वृद्धि होगी।

6.8 परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अनुभव सामुदायिक धारणाएं

परियोजना से होने वाले संभावित सामाजिक प्रभावों को नीचे तालिका 6.1 में दिखाया गया है, जिन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात i) परियोजना के लाभ या सकारात्मक प्रभाव और ii) परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव। यहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नीचे प्रस्तुत सामुदायिक धारणाएं पूरी खनन संचालन परियोजना के सम्बन्ध में है।

तालिका 6.1 परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभाव

प्रमुख प्रभाव आकलन पैरामीटरर्स	परियोजना के कथित लाभ या साकारात्मक प्रभाव	परियोजना के कथित प्रतिकूल प्रभाव
आर्थिक	• परियोजना के परिणामस्वरूप हमारे पास युवाओं को प्रदान करने के लिए रोजगार के अधिक अवसर होंगे। • परियोजना के कारण बेरोजगारी में धीरे धीरे कमी आएगी। • इस परियोजना के परिणामस्वरूप हमारे पास कई तरह के नए रोजगार शुरू करने के अवसर होंगे और इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। • इस परियोजना के कारण हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। • हम नए घर बनाएंगे और किराए पर दें सकते हैं। • निर्माण कार्यों के लिए अवसर प्राप्त होंगे। • हम ब्याज का पैसा प्राप्त करने के लिए सारा पैसा बैंक में जमा कर देंगे। • हम परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए धन से नई जमीन खरीद सकते हैं • हम सभी आय के स्तर पर आत्मनिर्भर होंगे और यह हमारे आर्थिक स्तर को भी बदल सकता है। • लोगों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।	• परियोजना के कारण कृषि उत्पादन या भूमि आधारित आय में गिरावट आएगी। • लोग आसानी से मिले धन का दुरूपयोग कर सकते है। • सभी वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाएगी। • लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। • कृषि दिहाड़ी मजदूरों की अनुपलब्धता बढ़ेगी।
सामाजिक	• परियोजना के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि से हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। • परियोजना से हमें सड़क, पानी, जल निकासी और बिजली आदि की उपलब्धता जैसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। • हमारे पास करने के लिए कई कार्य होंगे	• बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश से हमारी एकता में कमी आएगी। • लोगों के बीच गलतफहमी भी पैदा होगी। • पेय जल दूषित हाने का खतरा बढेगा। • क्षतिपूर्ति की राशि से युवा बिगड़

प्रमुख प्रभाव आकलन पैरामीटरर्स	परियोजना के कथित लाभ या साकारात्मक प्रभाव	परियोजना के कथित प्रतिकूल प्रभाव
	• पानी की कमी नहीं होगी। • हम अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। • हमारे क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि होगी। • हमारे क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा या फिर अच्छे स्कूल या कॉलेजों की उपलब्धता में वृद्धि होगी • इस परियोजना के कारण अब महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय करके आत्मनिर्भर हो सकती हैं। • हम विकसित क्षेत्र मे अपने घर का निर्माण कर सकते है।	सकता है। • क्षेत्र में अपराध बढने की भी आशंका है। • हमारे क्षेत्र में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग बढ़ेंगे • गांव में असामाजिक तत्वों की बढने की भी आशंका है।
शिक्षात्मक	• क्षतिपूर्ती वाली राशि से हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। • बेहतर सड़क और संचार सुविधा की उपलब्धता से हमारे बच्चों के लिए भी यह सुविधा होगी कि वह आसपास के बड़े कॉलेज आदि में क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए जा सकते हैं • बेहतर शैक्षणिक संस्थान खोली जा सकती हैं।	

सांस्कृतिक	• परियोजना मे विभिन्न क्षेत्रों के लोंगों से जुड़ने के कारण एक–दुसरे के परंपरा एवं संस्कृति से परिचित हो सकेंगे।	• सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग शामिल नहीं होंगे • हमारी परम्पराओं से हमारे लोग दूर होंगे। • बाहरी लोगों से हमारी संस्कृति प्रभावित होगी। • हमारे गांव की कला और संस्कृति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।
पर्यावरण	• वर्षा जल संरक्षण (Rain Water Harvesting) के द्वारा भूगर्भीय जल के स्तर का संरक्षण	• अधिक वाहनों की आवाजाही से गांव का वातावरण प्रदूषित होगा।

	किया जायेगा। • तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोंतो को गहरा किया जायेगा जिससे भूगर्भीय जल के स्तर मे वृद्धि होगी।	• कोयले के परिवहन से गांव का वातावरण प्रदूषित होगा। प्रदूषण के कारण अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ेंगे। • तापमान में भी वृद्धि होगी। • लोग तरह–तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे। • ध्वनि प्रदूषण भी होगा। • भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएगी। • नदी और तालाब का पानी प्रदूषित होगा।

6.9 जोखिम विश्लेषण

इस क्षेत्र के लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर हैं और इनके जीवन में भूमि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मायने रखती है। उनके हाथ से भूमि जाने का अर्थ यह होगा कि उनकी आजीविका के साधन चले जाएंगे और इस प्रक्रिया में वह लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहां तक कि कई बार पैसे का मुआवजा भी मदद नहीं करता है क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि इस धन का प्रयोग कैसे करना है और फिर वह बहक कर वह लोग गलत चीजों में खर्च करते हैं और अंत में उनके पास न ही पैसा शेष रहता है और न ही आजीविका के साधन। यह उनके लिए दोहरा बोझ बन जाता है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ से उसकी भूमि जाती है तो उसके कारण कृषि में मजदूरों की आय भी प्रभावित होगी क्योंकि गाँव में और कुछ कार्य करने के लिए है ही नहीं।

यह भी पता चला कि खदान परियोजनाओं की स्थापना से क्षेत्र का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि फेफड़ों की बीमारी और सांस की अन्य समस्याओं की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

खाद्य असुरक्षा एक और ऐसी समस्या है जो लोगों के सामने आ सकती है। भूमि के हाथ से चले जाने के कारण कृषि उत्पादन में तो काफी कमी आती ही है तो ऐसे में स्थानीय बाजार में खाद्यान्न की कमी का खतरा हो जाएगा। ऐसे में लोगों को बाजार से खरीदारी करने के लिए नकद कमाना पड़ता है। जीवित रहने के लिए लोगों को साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया जाएगा और इस प्रकार लोगों के कर्ज के चक्र में फंसने की भी आशंका है।

6.10 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की आय को वापस लाना

- परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों को अपनी आय कमाने की क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम होने के लिए आर्थिक पुनर्वास अनुदान के रूप में अतिरिक्त समर्थन प्राप्त होगा। प्राथमिक रूप से यह गैर–नकद सहायता होगी, जो उन लोगों द्वारा प्रशिक्षण मांगे जाने पर व्यय की जाएगी जो इसके हकदार हैं और साथ ही वैकल्पिक आय– सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए गैर–नकद सहायता के लिए खर्च की जाएगी (लेकिन इसमें उपकरण, उपकरण, आदि खरीदने में सब्सिडी शामिल है)।

- वह सभी परिवार उत्पादक संपत्ति अनुदान के पात्र हैं जिनकी भूमि इस परियोजना के लिए ली जा रही हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि इस अनुदान का प्रयोग आजीविका को पुनः स्थापित करने के लिए संपत्ति बनाने, प्रशिक्षण और अन्य सहायता के लिए किया जाएगा।

  कम भूमि जोत रखने वाले कृषि परिवार भी पात्रता रूपरेखा के लिए परिवर्तन भत्ते के पात्र होंगे।

- परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों को अपनी आय कमाने की क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम होने के लिए आर्थिक पुनर्वास अनुदान के रूप में अतिरिक्त समर्थन प्राप्त होगा। प्राथमिक रूप से यह गैर–नकद सहायता होगी, जो उन लोगों द्वारा प्रशिक्षण मांगे जाने पर व्यय की जाएगी जो इसके हकदार हैं और साथ ही वैकल्पिक आय– सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए गैर–नकद सहायता के लिए खर्च की जाएगी (लेकिन इसमें उपकरण, उपकरण, आदि खरीदने में सब्सिडी शामिल है)।

- वह सभी परिवार उत्पादक संपत्ति अनुदान के पात्र हैं जिनकी भूमि इस परियोजना के लिए ली जा रही हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि इस अनुदान का प्रयोग आजीविका को पुनः स्थापित करने के लिए संपत्ति बनाने, प्रशिक्षण और अन्य सहायता के लिए किया जाएगा।

6.11 निष्कर्ष

हितधारकों के पास अपना जीवन स्तर बढ़ाने और उसे बनाए रखने और के लिए आय के किसी भी स्रोत की कमी है। इस तरह की सुविधा के लगने से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे जिसके कारण आजीविका के नए माध्यम भी प्राप्त होंगे जिसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। एसएमआरपीएल स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए कई प्रकार की सुविधाओं का निर्माण करके लोगों के लाभों में वृद्धि करेगा।

7. क्रियान्वयन प्रबंधन

7.1 संक्षिप्त जानकारी

सामाजिक सामाघात अध्ययन (SIA) एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (R & R) योजना का क्रियान्वयन उन प्रमुख कार्यों में से एक है जिसे परियोजना क्रियान्वयन के दौरान किया जाना अपेक्षित है। पीएपी, संपत्तियों को सौंपने से पहले पर्याप्त मात्रा में सूचनाऐं, परामर्श एवं मदद प्राप्त करेगा। एसआईए एवं आर एण्ड आर योजना का क्रियान्वयन प्रभावित लोगों से विचार–विमर्श करने के बाद भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा भुगतान, पुनर्वास स्थलों को पहचानना तथा पुनर्वास के प्रत्येक चरण में उनकी मदद करना तथा मेज़बान समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्वास करना है। आर एण्ड आर गतिविधियाँ, एसआईए एवं आर एण्ड आर योजना के भाग हैं।

7.2 संस्थागत प्रबंधन

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड (एसएमआरपीएल) उन सभी हितग्राहियों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन पर इस परियोजना का प्रभाव पड़ेगा। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के क्रियान्वयन हेतु स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड (एसएमआरपीएल) इन मुख्य पहलूओं पर ध्यान दिया जायेगा।

- जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) बनाना तथा
- राजकीय पुनर्वासन प्रावधान के तहत एक शिकायत निपटान समिति (जीआरसी) बनाना।

7.2.1 पुनर्वास एवं उपनगर विकास परामर्शक समिति (आरपीडीएसी)

आरपीडीएसी के सौजन्य से आरएपी का क्रियान्वयन किया जाएगा। आरपीडीएसी एक तदर्थ समिति है और आर एण्ड आर के समापन पश्चात् इसे खत्म कर दिया जाएगा। इस समिति में एक उपायुक्त तथा आधिकारिक तौर पर नियुक्त भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ), प्रभावित तहसीलों के तहसीलदार, प्रभावित ब्लॉक के ब्लॉक विकसन अधिकारियों के प्रधान, प्रबंधक, गैर–सरकारी संस्थान (एनजीओ) के एसएसआरपीएस प्रतिनिधि के आरआरओ तथा पीएफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरपीडीएसी, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा, समर्थन एवं अग्रिम कार्यों के लिए एक संयोजक की भूमिका निभाएगी।

7.2.2 राजकीय पुनर्वासन एवं स्थान–परिवर्तन स्तर समिति (एसएलसीआरआर)

राजकीय स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो पुनर्वास एवं स्थान–परिवर्तन नीति पर परामर्श, समीक्षा एवं निगरानी तथा सरकारी अधिकारियों, अपेक्षित समितियों के साथ–साथ पीएएफ के सर्वांगीण पुनर्वास एवं स्थान–परिवर्तन हेतु तथा समग्र सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय परिवेशीय क्षेत्रों में उचित निर्देश प्रदान करेगी।

7.2.3 मुआवजा परामर्श

सरकारी राजस्व विभाग, जिलाधीश की अध्यक्षता में तय कीमतों के निर्धारण हेतु एक जिला मुआवजा परामर्श समिति (डीसीएसी) गठित कर सकती है। समिति द्वारा महिलाओं तथा देशीय समुदायों (जहाँ मान्य है) को पर्याप्त प्रस्तुतिकरण प्रदान किया जाएगा। अगर डीसीएसी के सुझावों पर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को राजकीय स्तर मुआवजा परामर्श समिति (एससीएसी) के पास भेजा जाएगा जिसकी अध्यक्षता सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा की जाती है और जिसका निर्णय सभी के लिए अंतिम एवं बाध्य माना जाएगा। इस राजकीय स्तर मुआवजा परामर्श समिति का संयोजन सरकार द्वारा सूचित किया जाएगा।

7.2.4 शिकायत निपटान

शिकायत निपटान समिति (जीआरसी) को सिंगरौली जिले में गठित किया जाएगा। जीआरसी से अपेक्षा है कि वह तय समय–सीमा के अंदर पात्र व्यक्तियों की शिकायतों का निपटान करे। जीआरसी का निर्णय बाध्य है, बशर्ते न्यायालय द्वारा रद्द ना किया गया हो, तथा आर एण्ड आर से संबंधित मामलों के लिए लोगों को न्यायालय जाने से रोका ना गया हो। हालांकि, यह अपेक्षित है कि जीआरसी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, तथा तय समय पर परियोजना को क्रियान्वित करने में मदद करेगा। सिंगरौली स्थित जीआरसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- जिला–जिलाधीश
- प्रबंधक,एसएमआरपीएल
- स्थानीय स्व–सरकारी समितियों के प्रतिनिधि (ग्राम/ब्लॉक पंचायक या नगर निगम)

- आर एण्ड आर योजना के क्रियान्वयन में शामिल एनजीओ के प्रतिनिधि तथा
- पीएपी का प्रतिनिधि

जीआरसी, परियोजना के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान (खराबी आने पर जिम्मेवारी अवधि समेत), पीएपी के फायदे हेतु, कार्य करती रहेगी। जीआरसी के लिए तय प्रतिक्रिया समय 15 दिन है। चूंकि, परियोजना के संपूर्ण पुनर्वासन अंशों को वास्तविक निर्माण कार्य शुरु होने से पहले पूरा करना है, अतरू जीआरसी 15 दिन में कम से कम एक बार जरुर मिलेगा, ताकि लंबित शिकायतों का निपटान हो सके। अगर शिकायतों की संख्या इन बैठकों को आयोजित करने की अनिवार्यता के लिए पर्याप्त है, तो समितियों को नियमित रूप से मिलना होगा।

7.3 क्रियान्वयन प्रक्रिया

एसआईए एवं आर एण्ड आर योजना को निम्नलिखित पाँच चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।

- भूमि अधिग्रहण एवं निर्दिष्ट तिथि के लिए कानूनी सूचना जारी करना
- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का सत्यापन करना तथा उनके नुकसान का श्रेणी एवं किस्म अनुसार आंकलन करना
- पुनर्वास के लिए पीएपी को तैयार करना
- पीएपी का पुनर्वास एवं स्थान–परिवर्तन तथा
- पीएपी के पुनर्वास एवं स्थान–परिवर्तन की निगरानी करना।

7.3.1 सामान्य गतिविधियाँ

उपरोक्त गतिविधियों को संपादित करने के मद्देनजर, एसएमआरपीएल को निम्नलिखित शर्तों के तहत संस्थागत सुदृढ़ता को अंजाम देना होगा तथा विशिष्ट प्रबंधन जिम्मेवारियाँ उठानी होगी।

- एनजीओ का अनुबंधन
- जिला स्तरीय समितियों को गठित करना – शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी)
- अन्य विभागों (मृदा, राजस्व, भू–विज्ञान, नागरिक शास्त्र इत्यादि) में परियोजना के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए – जिला स्तरीय बैठक आयोजित करना।
- स्थानीय भाषा में योजना का अनुवाद एवं छपाई करना तथा स्थानीय भाषा में आर एण्ड आर योजना के लिए पर्चे तैयार करना।
- पीएपी को मिलने वाले आर एण्ड आर पैकेज तथा फायदों की जानकारी देने के लिए आर एण्ड आर योजना का प्रसार करना।

- पीएपी की सूची में शामिल करने योग्य विवादास्पद मामलों या छूटे हुए मामलों हेतु जनगणना आंकडों में संशोधन करना।
- पहचान पत्रों का वितरण करना (सफल बोली–लगाने वाले द्वारा)
- एनजीओ तथा आरआरओ के प्रतिनिधियों तथा पीएपी के नाम से संयुक्त खाते खोलना।
- पीएपी के बीच परियोजना की विशेषताओं एवं मुख्य चीज़ों के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- आय उपार्जन के संदर्भ में परियोजना में मौजूदा एवं संभावित अवसरों के बारे में जागरुकता पैदा करना तथा उपलब्ध सहायक सेवाऐं, रियायतें तथा अंततः पीएपी के लिए लाभ उठाने योग्य उपलब्ध क्रेडिट एवं मार्केटिंग संयोजन करना।
- कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना तथा स्व–सेवा समूहों का साथ–साथ गठन करना
- वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करना तथा
- निर्मित प्रगति की मासिक रिपोर्ट बनाना।

7.3.2 विशिष्ट गतिविधियाँ

7.3.2.1 स्थायी भूमि अधिग्रहण

एसएमआरपीएल, ग्रामीणों से प्रत्यक्षतः निजी भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 मे निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

7.3.2.2 मुआवजा भुगतान

- यह सुनिश्चित करें कि पीएपी के लिए मुआवजे की रकम उचित एवं गैर–विवादास्पद है।
- मुआवजे के लिए पीएपी का सत्यापन करना।
- यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित ईकाई के मालिक ने चेक प्राप्त कर लिए हैं।
- यह सुनिश्चित करें कि बैठकों के दौरान सार्वजनिक तौर पर चेक वितरित किए गए हैं।
- जो ज़मीन (वन रक्षा इत्यादि) ली गई है, उसके संदर्भ में अन्य प्राधिकरणों को अधिग्रहण या स्थानांतरण के बारे में सूचित करना; तथा
- महिला–प्रधान घरों (डब्लूएचएच) को मुआवज़ा प्रदान करने के प्रावधान पर विशेष बल देना।

7.4 शिकायत निपटान प्रणाली

इस प्रणाली का उद्देश्य प्रभावित लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो सार्थक समाधानों से तलाशा जाता है। अतः, बनावट,आर्थिक प्रतिदान तथा स्वयं पीएपी

द्वारा निरंतर प्रतिभागिता एवं पक्ष समर्थन पर विचार प्रस्तुत किए जातें हैं। शिकायतों पर सामुदायिक स्वीकृति के अनुसार ध्यान दिया जाता है तथा साझेदार की भागीदारी के माध्यम से समाधान का प्रयोग किया जाता है। अतः, इस प्रयोजन हेतु गठित समिति परियोजना के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान पीएपी के फायदे हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी ताकि पीएपी की शिकायतों का सही समय पर समाधान हो सके।

7.4.1 शिकायत निपटान समिति

जीआरसी को प्रत्येक जिला मुख्यालय में गठित करना होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

- प्रबंधक
- एलएओ/आरआरओ
- जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट
- पीएपी

प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारियों को **तालिका 7.1** तथा **चित्र 7.1** में दर्शाया गया है।

सदस्य	भूमिकाऐं एवं जिम्मेवारियाँ
प्रबंधक	संबोधित एवं निपटाई गई शिकायतों के अनुसार तकनीकी/बनावट संबंधी बदलावों का उत्तरदायित्व लेना। • आर एण्ड आर गतिविधियों तथा मुआवजे के लिए बजट कार्य में संशोधन करना; तथा • भूमि अधिग्रहण प्रशासनिक क्रियान्वयन एवं मुआवजा तथा पीएपी के बीच पारदर्शिता निर्मित करना।
एलएओ/आरआरओ एसएसआरपीएल	जिला स्तरीय समितियों के बीच शिकायतों के निपटान हेतु सामंजस्य निर्मित करना • पीएपी, 100 प्रतिशत सत्यापन एवं मुआवजे के लिए उत्तरदायी है। यहाँ जो लोग जनगणना के दौरान अनुपलब्धता की वजह से गिने नहीं गए थे उनके द्वारा परियोजना स्थल पर मौजूदगी के कानूनी साक्ष्य देने पर उनकी देख–रेख करना। • चेक वितरण के प्रावधान को सुगमित करना • पुनर्वास स्थलों के विकास पर नज़र रखना तथा दर्ज शिकायतों एवं समाधान की प्रतिक्रिया में तकनीकी बदलावों के अनुसार प्लॉट का आवंटन करना।

सदस्य	भूमिकाऐं एवं जिम्मेवारियाँ
	• वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा भूमि अधिग्रहण, आर एण्ड आर क्रियान्वयन तथा लोगों के स्थानांतरण की निगरानी एवं सुधार करना।
जिलाधीश / जिला मजिस्ट्रेट	भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण देना • पीएपी द्वारा उठाई गई समस्याओं को समझना तथा उन पर उचित कार्यवाही करना; • कोर्ट में जाने वाले और वही पर निपटारा होने वाले मामलों की संख्या को घटाने का प्रयास करना; तथा • विविध साझेदारों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
पीएपी	यह सुनिश्चित करना कि उसे गिना गया है • परियोजना के फायदों एवं नुकसान को समझना; • अपनी समस्याओं को सही माध्यम से उठाना; तथा • आर एण्ड आर प्रक्रिया, बनावट एवं भू–अर्जन मुआवजा तथा अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के लिए उचित निविर्दिष्ट प्रदान करना।

7.4.2 प्रतिक्रिया अवधि

शिकायत निपटान प्रकोष्ठ के लिए तय अवधि 15 दिन है। चूंकि, संपूर्ण पुनर्वास प्रक्रिया को खनन निर्माण कार्य शुरु होने से पहले पूरा करना है, अतः शिकायत निपटान प्रकोष्ठ प्रत्येक 15 दिन में एक से ज्यादा बार मिलेगा, जो कि इस प्रकार के मामलों की संख्या पर निर्भर करता है। जीआरसी, समस्याओं को सुनने के 15 दिन के भीतर संबंधित व्यक्तियों को अपने निर्णयों के बारे में सूचित कर देगा।

जीआरसी का समयोचित एवं प्रभावी प्रदर्शन ना केवल पीएपी की समस्याओं का निपटान करने में सहायता करेगा, बल्कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की गति को भी बढ़ाएगा। इस प्रकार, यह खनन कार्य शुरु करने में मददगार साबित होगा।

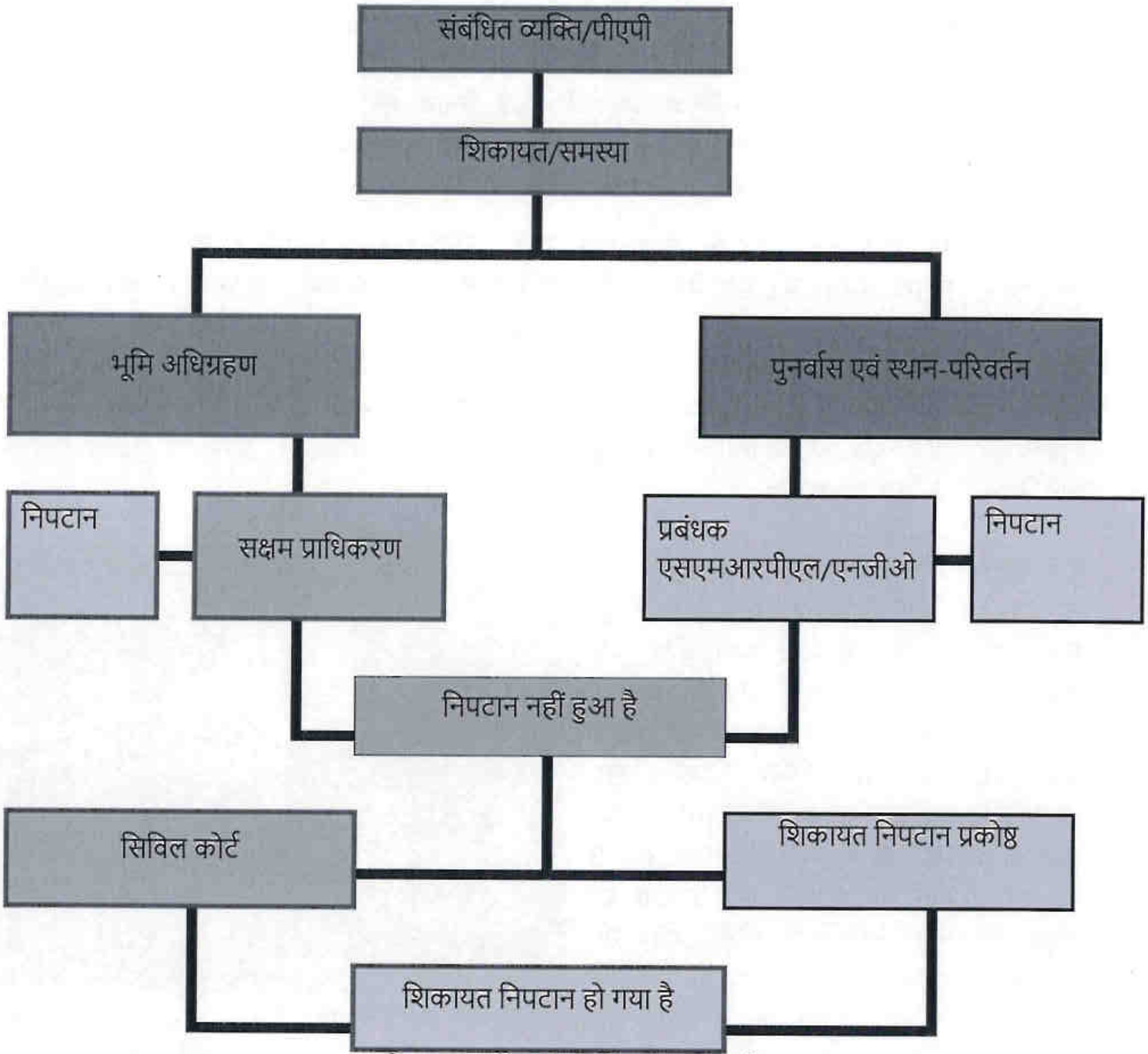

चित्र 7.1 : शिकायत निपटान प्रणाली

7.5 अंतर्वाह प्रबंधन

आमतौर पर नवागंतुको तथा पुनर्वास की अंतर्वाह समस्याऐं एक दूसरे से संबंधित होती हैं और मेज़बान समुदायों पर इनके समान प्रभाव पड़तें हैं। पुनर्वास स्थलों को प्रायः परियोजना के निकटवर्ती

क्षेत्रों में बसाया जाता है और इस प्रकार यह नौकरी ढूँढ़ने वालों के लिए एक प्रत्यक्षतः संग्रहण बिंदु को प्रदर्शित करता है। बड़े पारिवारिक सदस्यों को आवास एवं सहायता प्रदान करने वाली कई सोसाईटियाँ एक महत्वपूर्ण सामाजिक बंधन है। बड़े पैमाने की परियोजनाऐं (खासतौर पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला खनन) प्रायः नौकरी ढूँढ़ने वाले नवागंतुकों की बड़ी संख्या या परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य एवं संचालन अवसरों को आकर्षित करती है।

नवागुंतकों का परियोजना क्षेत्र के आस–पास तथा परियोजना के संदर्भ में मेज़बान समुदायों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए, परियोजना योजनाकारों को एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा संपूर्ण परियोजना पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के अंश के तौर पर आरएपी कदमों समेत अंतर्वाह प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए। आरएपी दल की दक्षता तथा आरएपी प्रक्रिया की कार्य–प्रणाली को जनसंख्या अंतर्वाहन प्रबंधन पर अमल किया जा सकता है ताकि एक परियोजना के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में एकल संयोजित प्रतिक्रिया विकसित हो सके।

7.6 सांस्कृतिक धरोहन की देख–रेख

आरएपी को सभी प्रभावित लोगों की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित,स्थानांतरित एवं पुनःनिर्माण करने हेतु सभी अपेक्षित प्रयासों का लिखित प्रमाण देना चाहिए। इसके प्रभाव की जटिलता पर निर्भर करते हुए, परियोजना को एक खास सांस्कृतिक धरोहर प्रबंधन योजना की आवश्यकता पड़ सकती है। इस स्थिति में, आरएपी को समस्या पर ध्यान देने की जरुरत नहीं पड़ेगी। फिर भी, सांस्कृतिक शिल्पकृतियों के स्थानांतरण का कार्य समुदायों से विचार–विमर्श करके तथा प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों के संयोजन से करना चाहिए। धार्मिक आस्था से जुड़ी शिल्पकृतियों तथा धरोहरों का स्थानांतरण धर्मिक पेशेवरों (पुजारी तथा भावार्थ माध्यमों) से विचार–विमर्श पश्चात् ही हो सकता है तथा इसमें संबंधित अनुष्ठानों के लिए मुआवजा भी शामिल होना चाहिए।

7.7 महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान

गरीब लोगों की संख्या में अनुपातीय रूप से महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लिंग भेदभाव से महिलाओं की उन स्त्रोतों, अवसरों तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है जो उनके एवं उनके परिवार की जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए जरुरी है।

परियोजना से प्रभावित समुदायों की सामाजिक निरंतरता को बरकरार रखने के प्रयासों के तहत चाहे नये स्थलों की वास्तविक बनावट के माध्यम से, समुदायों के बीच विघटन को रोकने संबंधी उपायों या उन स्थलों पर विशिष्ट सामाजिक सेवाओं का प्रावधान जरुरी है। महिलाओं की पुनर्वास स्थल से सामंजस्य क्षमता को सुधारने के तहत कुछ तात्कालिक एवं प्रायोगिक कदमों को सुविचारित किया जा सकता है, जिसमें शामिल है :

- यह सुनिश्चित करना कि भूमि एवं मुआवजा अधिकारों दोनों को पत्नियों के नाम पर जारी किया गया है;
- निम्नलिखित को प्रदान करते हुए महिलाओं का कार्यभार घटाना, उदाहरणार्थ, खड़ा पाइप, हैण्डपम्प, पिसाई मिल, लकड़ी का घर, ईंधन चलित चूल्हे, स्टोव, बैलगाड़ियाँ, तथा हल

- गाँव की दाईयों, प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों, बच्चों के बीच अंतर/परिवार नियोजन परामर्श, स्वच्छ जल आपूर्ति, तथा स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।
- टीकाकरण, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देख–रेख करना, प्राथमिक विद्यालय, खाद्य–फसल उत्पादन पर निविर्दिष्ट देना, तथा आवास प्रदान करते हुए पारिवारिक सुविधाओं को बेहतर बनाना
- क्रेडिट समूहों, कौशल प्रशिक्षण को निर्मित करना तथा बाजारों तक पहुँच बढ़ाते हुए आय बढ़ाना।

हालांकि, महिलाओं की सामाजिक या कानूनी स्थिति के सीमित रहने की संभावना है अतः लिंग भेदभाव की मानसिकता को बदलने हेतु दीर्घावधि "रणनीतिक" प्रयासों के बिना उनकी और उनके परिवारों की आजीविका को सुधारने की क्षमता से समझौता होता रहेगा। निम्नलिखित कुछ रणनीतिक कदम हैं जो महिलाओं की उनके नये विन्यासों को सुधारने में मदद कर सकतें हैं।

- शैक्षणिक अवसरों को बेहतर बनाना (साक्षरता एवं संख्यात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना)
- उपयोगी संपत्तियों तक बेहतर पहुँच बनाना (क्रेडिट, कानूनी सुधार)
- निर्णय लेने में बेहतर भागीदारिता बनाना (महिलाओं के रूचिकर समूहों की सहायता करना) तथा
- महिला रोज़गार के समान अवसरों को बढ़ावा देना।

इन कदमों से महिलाओं की पुनर्वास स्थल के अनुसार ढलने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, महिलाओं की सामाजिक या कानूनी स्थिति के सीमित रहने की संभावना है अतः, लिंग भेदभाव की मानसिकता को बदलने हेतु दीर्घावधि "रणनीतिक" प्रयासों के बिना उनकी और उनके परिवारों की आजीविका को सुधारने की क्षमता से समझौता होता रहेगा। कमज़ोर वर्गों में महिला प्रधान परिवार, एचआईवी/एड्स से पीड़ित बाल्य प्रधान परिवार, उम्रदराज या विकलांग प्रधान परिवार, वे परिवार जिनके सदस्य कंगाल हो गए हैं, या सामाजिक और आर्थिक तौर पर क्रमशः निन्दित (परंपरागत या सांस्कृतिक भेदभाव के कारण) एवं हाशिये पर रहने वाले पारिवारिक सदस्य शामिल हो सकतें हैं। कमज़ोर वर्गों को दी जाने वाली विशिष्ट सहायता में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हो सकतीं हैं।

- गोपनीय एवं पृथक परामर्श देने का प्रावधान होना
- मेज़बान क्षेत्र में स्थल चुनाव में वरीयता देना
- उनके नये घरों को बनाने के लिए, जरुरतानुसार, ठेकेदार का प्रावधान होना
- उनके वास्तविक घर से रक्षित सामग्रियों के विखंडन में सहायता करना
- पुनः बसाये गए समुदाय के सफलतापूर्वक समाकलन को सुनिश्चित करने हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखना।

आरएपी कागजात पुनर्वास उपाय, जिन्हें प्रायोजक द्वारा प्रभावित समुदायों के पुनर्वास एवं पुनर्निवेशन के दौरान सभी कमज़ोर वर्गों के लिए अमल में लाया जाएगा।

7.8 स्थानीय नागरिक प्रबंधन

निजी भूमि मालिक तथा जमीन के मालिकाना अधिकारियों के साथ–साथ आवास, व्यवसायिक प्रयोजनों, या आजीविका के अन्य स्त्रोतों हेतु (रखवाली करने वाला, अवैध निवासी, सड़क का कूड़ा हटाने वाला) निजी या सार्वजनिक भूमि को अधिग्रहित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जनगणना में शामिल करना चाहिए। हालांकि, भूमिरहित लोग या अवैध निवासी भूमि मुआवजे के लिए पात्र ना हो, मगर वे पुनर्वास सहायता, संपत्ति मुआवजा (जैसे शरणस्थान और खड़ी फसलें, बगीचे, या लकड़ी के घर), और, जहाँ भी मुमकिन हो, वहाँ विकसन मध्यवर्तनों के फायदें दिए जा सकतें हैं, जिसमें भूमि प्रावधान भी शामिल हो सकता है। पुनर्वास योजनाकारों को परियोजना क्षेत्र में निवास कर रहे

कमज़ोर वर्गों पर विशेषतः ध्यान देना चाहिए। इन वर्गों में महिला या बाल्य प्रधान परिवार,दिव्यांग लोग, अत्यधिक निर्धन, तथा वृद्ध, और वे वर्ग जो सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव झेलतें हैं, जिसमें देशीय लोग एवं अल्पसंख्यक शामिल है। कमज़ोर वर्गों के सदस्यों को विशिष्ट या पूरक पुनर्वास सहायता की जरुरत पड़ सकती है क्योंकि वे सामान्य प्रभावित जनसंख्या के मुकाबले वास्तविक तथा/या आर्थिक विस्थापन के साथ सामंजस्य बिठाने में कम दक्ष होतें हैं। एक देशीय जनसंख्या, उदाहरणार्थ, को अन्य प्रभावित लोगों के मुकाबले वास्तविक विस्थापन के समय भूमि से अत्यधिक लगाव होने, प्राकृतिक स्त्रोतों, या परियोजना के लिए अपेक्षित स्थल की वास्तविक विशिष्टताओं के कारणवश ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता हैं।

परियोजना के प्रायोजकों को देशीय लोगों के बारे में विश्व बैंक समूह संचालन निदेशक ओडी 4.20 से विचार–विमर्श करना चाहिए। इसी प्रकार, पुनर्वास योजनाकारों को उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने गिनती के समय परियोजना के लिए अपेक्षित स्थल पर शायद कब्जा नहीं किया हुआ था। शरणार्थी या आंतरिक कलह के कारणवश निर्वासित लोग, जो वापिस अपनी जगह पर जाकर कमज़ोर भूमि वर्गों के अधिकार को एक तय जोखिम पर इस्तेमाल करने में अक्षम या अनिच्छुक हों, वे देशीय लोग होतें हैं, भूमिहीन और अर्ध–भूमिहीन, तथा महिला प्रधान परिवार जो, हालांकि निर्वासित हैं, उन्हें राष्ट्रीय भूमि मुआवजा कानून के तहत संभवतः सुरक्षा ना प्रदान की जाए। पुनर्वास योजना में भूमि आवंटन या सांस्कृतिक तौर पर मान्य वैकल्पिक आय–उपार्जन रणनीतियों को शामिल करना चाहिए ताकि इन लोगों, पट्टेदारियों, अधिग्रहण तथा स्थानांतरण को सुरक्षित किया जा सके।

7.9 क्रियान्वयन अनुसूची

आमतौर पर परियोजना प्रायोजक, पुनर्वास योजना एवं क्रियान्वयन की वास्तविक लागत को कम आंकलित करतें हैं। यह जरुरी है कि सभी लागतों का ध्यानपूर्वक अनुमान लगाया जाए तथा एक विस्तृत आरएपी बजट में समाहित किया जाए। भूमि अधिग्रहण की वास्तविक लागत मूल्यांकन, गुम संपत्तियों का मुआवज़ा, तथा वास्तविक विस्थापन का सटीक आंकलन किए बगैर परियोजना योजनाकार, परियोजना बनावट विकल्पों की वास्तविक लागत जैसे बिजली प्रवाह लाईन्स के वैकल्पिक मार्ग या हरित क्षेत्र परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक स्थलों का निर्धारण नहीं कर सकतें हैं। प्रायोजक को प्रशिक्षण,परियोजना प्रबंधन तथा निगरानी समेत अन्य पुनर्वास व्ययों,प्रभाव,हकदारी की श्रेणियों के अनुसार पुनर्वास लागतों की गणना करनी चाहिए। परिणामों को तालिका रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए जो परियोजना अवधि के एवज में व्ययों की व्याख्या करे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दुष्प्रभावों पर ध्यान दिया जा चुका है, बजट संरेखित सामग्रियों को दुष्प्रभाव एवं हकदारी श्रेणियों के एवज में जांचना चाहिए। आरएपी बजट को उन सभी पूवानुमानों के स्पष्टीकरण में शामिल करना चाहिए जिन्हें मुआवजा दरों तथा अन्य लागत अनुमानों की गणना करते समय बनाया गया था तथा वास्तविक एवं आकस्मिक लागत व्ययों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रायोजक, मौद्रिक उतार–चढ़ाव को आकस्मिक व्यय के तौर पर समायोजित करने हेतु वैकल्पिक तौर पर भत्तों के पैसे बचा सकता है। यह कार्यप्रणाली खासतौर पर तब बेहद जरुरी हो जाती है जब पुनर्वास को दूरस्थ भविष्य में या लंबी अवधि तक चलने वाले चरणों में कार्यान्वित

किया जाएगा। प्रायोजक को आरएपी बजट के पूंजी स्त्रोत के प्रति स्पष्टता होना चाहिए। उन स्थितियों में, जहाँ मेज़बान सरकार ने मुआवजा एवं पुनर्वास सहायता भत्तों के भुगतान हेतु जिम्मेवारी उठायी है, प्रायोजक को जिम्मेवार सरकारी एजेंसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तय समय पर भुगतान किया गया है। अगर प्रायोजक सरकारी पुनर्वास प्रयासों को फाइनेंस कर रहा है, तो उसे किश्तों तथा पूंजी लिंक भुगतान से लेकर प्रदर्शन–आधारित मील–पत्थर में ऐसा करना चाहिए। उन स्थितियों में, जहाँ प्रायोजक पुनर्वास निधीयन की संपूर्ण जिम्मेवारी लेता है, वहाँ उसे पैसों के समय पर संवितरण करने हेतु व्यवस्थाओं को विस्तारपूर्वक बताना चाहिए। आरएपी बजट को सभी प्रमुख पुनर्वास एवं स्थानांतरण गतिविधियों हेतु विस्तृत क्रियान्वयन अनुसूची के साथ जोड़ना चाहिए। इस अनुसूची को, बदले में, सिविल निर्माण कार्य की परियोजना अनुसूची के साथ संकलित करना चाहिए। आरएपी स्थलीय गतिविधियों का समय चयन (परामर्श,जनगणना तथा सर्वेक्षण क्रियान्वयन) बेहद महत्वपूर्ण पहलू है; परियोजना शुरु होने से बहुत पहले स्थलीय गतिविधियों को शुरु करने से स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं में इजाफ़ा तथा नवागुंतक आकर्षित हो सकतें हैं; परियोजना प्रारंभन के काफी समय बाद गतिविधियों को शुरु करने से परियोजना क्रियान्वयन में बाधाऐं उत्पन्न हो सकतीं हैं। योजनाकारों को प्रभावित लोगों के कृषि एवं रोज़गार चक्रों पर ध्यान देना चाहिए तथा मुख्य पुनर्वास गतिविधियों को नियत करने से बचना चाहिए जो कभी–कभार इन चक्रों में व्यवधान पैदा कर सकतें हैं। पुनर्वास एवं निर्माण अनुसूचियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि परियोजना प्रबंधकों ने मुख्य परियोजना निर्माण गतिविधियों के प्रमुख मार्ग पर ही मुख्य पुनर्वास गतिविधियों को रखा है। अनुसूचियों को इस प्रकार जोड़ने से परियोजना प्रबंधन की संपूर्ण श्रृंखला में अन्य परियोजना गतिविधियों के साथ पुनर्वास समायोजन के लिए एक अनिवार्यता निर्मित करती है। (तालिका 7.2)

तालिका 7.2 – आरएपी क्रियान्वयन अनुसूची का नमूना

कार्य	महीने								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
मसौदा आरएपी के कार्य का पूरा होना									
मसौदा आरएपी को स्वीकृति मिलना									
सामुदायिक परामर्श कार्यक्रम (अविरत)									
पुनर्वास स्थलों के लिए सौदोबाजी									
ठेकेदार द्वारा प्राप्त की गई स्वीकृति									
पुनर्वास स्थलों का पुष्टिकरण									
समुदाय–आधारित संस्थानों का गठन									
हकदारियों की अधिसूचना									
ठेकेदार द्वारा टॉवर की पहचान करना / जांचना									

कार्य	महीने								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अधिूचनाओं का करारनामा			▒						
तोड़–फोड़ की अधिूचना			▒						
पीएपी को भुगतान किया गया मुआवजा				▒					
सरकारी कार्यक्रमों के साथ संपर्क स्थापित करना			▒	▒					
ठेकेदार का खुदाई कार्य			█	█	█				
शिकायत प्रणाली एवं प्रक्रिया		▒	▒	▒					
स्थल योजना एवं स्थल की तैयारी करना		▒	▒						
नये ढ़ाँचें का निर्माण करना			▒	▒					
पुराने ढ़ाँचों का ढ़हना				▒					
पीएपी को नये स्थलों पर भेजना					░				
ठेकेदार द्वारा लगाये गये टॉवर				█	█	█	█		
ठेकेदार स्ट्रिन्गिंग लाईनस						█	█	█	
प्रशिक्षण कार्यक्रम			▒	▒					
प्रदर्शन जांच		▒	▒	▒	▒	▒			
बाह्म्य मूल्यांकन (दो वर्षों तक तिमाही आधार पर)		▒				▒			▒

संकेतिका

░ पीएपी पुनर्वास

█ निर्माण गतिविधि

▒ परियोजना नियोजन एवं क्रियान्वयन

8. सामाजिक सामाघात प्रबंधन योजना

8.1 समाधान प्रदान करने वाले उपायों के लिए दृष्टिकोण

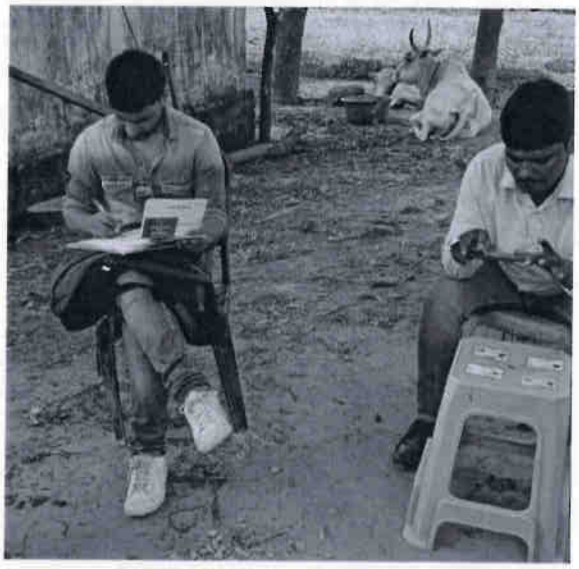

भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए तैयार की गई है। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसएमआईपी) में समाधान, निगरानी और संस्थागत उपाय सम्मिलित हैं, जिन्हें इस परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान किया जाना है, जिससे प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को हटाया जा सके या फिर उस स्तर तक कम किया जा सके कि जिसमें उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जाए। इस योजना को परियोजना के विभिन्न चरणों अर्थात निर्माण पूर्व चरण, निर्माण चरण और परिचालन चरण के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा।

8.2 प्रभाव से बचने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

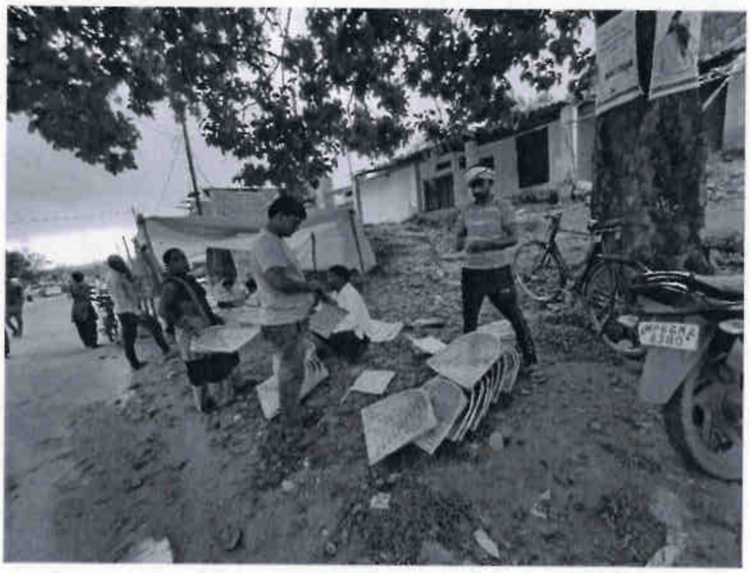

8.2.1 सामाजिक उपाय

- यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो पहले इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी रूप से स्वामी को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी गयी है।
- ग्रामीण जीवन में पंचायत को अपने कार्यक्रम में बुजुर्गों को शामिल कर उनकी सार्थक और उत्पादक प्रतिभागिता का योगदान लेना चाहिए, ताकि वे पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा न महसूस करें कि उनकी सलाह नहीं ली जा रही है।

- ग्रामीणों को डर है कि क्षतिपूर्ति का पैसा आने से युवाओं में नशीले पदार्थों और शराब आदि का सेवन बढेगा और उनमें इसकी लत बढ़ेगी। इस बुराई से बचने के लिए सामाजिक परामर्श जैसे कुछ निवारक उपाय और नशामुक्ति जैसे कुछ सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।
- निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके और उनके पारंपरिक कौशल को बढ़ाकर और नए कौशल विकसित कर समाज के उपेक्षित वर्ग जैसे महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए बाजार मूल्य से 4 गुना क्षतिपूर्ति एवं नौकरी का अनुरोध किया है।

अध्ययन क्षेत्र के मुद्दे और उनके समाधान के लिए रणनीतियां नीचे तालिका में प्रस्तुत की गई हैं।

क्रम संख्या	पहचाने गए मुद्दे	रणनीतियाँ	गतिविधियां
1	शराब	शराब के दुष्परिणामों के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करना	• शराब के दुष्परिणामों पर कार्यशाला • शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नुक्कड़ नाटक • एसएचजी के रूप में सहायता समूहों का गठन
2	घरेलू हिंसा	घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करना	• घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के संरक्षण अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक • विपरीत लिंग के प्रति संवेदनशील होने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाना • घरेलू हिंसा के लक्षणों की पहचान करने और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण
3	बाल श्रम	बाल श्रम की घटनाओं को कम करना और स्कूलों में नामांकन और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करना	• स्कूल नामांकन अभियान • सभी वर्गों के लिए मध्याह्न भोजन का प्रावधान • सहायक शिक्षा कक्षाएं • नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम पर दीवार लेखन

8.2.2 पुनर्वास उपाय

- भूमि अधिग्रहण के बाद परियोजना से प्रभावित आजीविका खो रहें लोगों को कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें।
- इस परियोजना के संचालन और अन्य चरणों के दौरान गाँव के ही स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8.2.3 आर्थिक उपाय

- परियोजना प्रभावित लोगों को उचित एवं नियत समयावधि में क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।
- परियोजना प्रभावित लोगों को तकनीकी और वित्तीय परामर्श दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग उत्पादक और सुरक्षित निवेश में कर सकें।

- परियोजना के दौरान फसलों को हुए नुकसान के लिए उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए।
- अधिग्रहण करने वाले निकाय को परियोजना के निर्माण चरण के दौरान आसपास के खेतों/घरों में फैलने वाले कच्चे माल को हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसरों जैसे परियोजना निर्माण और रखरखाव ठेकेदारों के लिए पीएपी की उपलब्धता का प्रचार प्रसार करना।

8.2.4 पर्यावरणीय उपाय

- पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति से संबंधित नीति को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए और इसके लिए अधिकतम क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए।
- परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन के दौरान होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए क्योंकि परियोजना संचालन के कारण ध्वनि स्तर में वृद्धि होगी।
- वृक्षारोपण के लिए विदेशी सजावटी वृक्षों के स्थान पर स्थानीय वृक्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8.3 परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक निकाय द्वारा बताए गए उपाय

तालिका 8.1: प्रबंधन के उपाय

क्रम संख्या	समस्या	कारण	क्षमताएं	सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान	एसएमआरपीएल द्वारा सीएसआर सहायता
A.	**शिक्षा**				
ए-1	कम साक्षरता	• कम नामांकन, ज्यादा संख्या में बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ना और कम बच्चों द्वारा स्कूल में बने रहना • लिंग भेदी समाज • अशिक्षित और अनजान माता–पिता • मध्याह्न भोजन योजना का खराब संचालन	• आरटीई अधिनियम के बारे में वीईसी (Village Education Committee) को जागरूक करना। जिससे उसका पालन हो सके। • जागरूकता कार्यक्रम और लिंग के प्रति समानता • हस्तक्षेप कर अपराह्न भोजन कार्यक्रम में सुधार करना • गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के साथ नेटवर्किंग	• आदर्श 1:30 शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्र की नियुक्ति • बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए लिंग समानता	• शिक्षा मित्र के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करना ताकि वे योग्य बन सकें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्रायोजित कर सकें • लिंग के प्रति समानता के लिए कार्यस्थान पर गठित स्वयं सहायता समूहों का समर्थन किया जाएगा • कक्षा 8 से 10 तक के मध्याह्न भोजन का प्रावधान
ए -2	खराब आधारभूत ढांचा जैसे भवन,	• सामुदायिक भागीदारी का अभाव • सुरक्षा	• वीईसी को सशक्त और जवाबदेह बनाना।	सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा।	• उस विशिष्ट क्षेत्र को चुनें, जिसमें चरण प्रयोग करने

	चारदीवारी, कारपेंटर बेंच शौचालय, पीने का पानी	• सरकारी पहल की कमी	• आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए पीपीपी मॉडल • बच्चों के अनुकूल आधारभूत ढाँचे को बनाने की सलाह	• विशेष रूप से लड़कियों के लिए उचित शौचालय उपलब्ध कराना • ग्रामीण विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराना • स्कूलों को बिजली उपलब्ध कराना (सौर ऊर्जा)	से सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदत्त आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में सुधार होगा।
ए-3	गुणवत्ता शिक्षा	• प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात • शिक्षकों में प्रेरणा की कमी • लिंग पक्षपाती दृष्टिकोण	• अधिक संख्या में शिक्षकों को शामिल कर अनुपात में सुधार • नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण (आवश्यकता –आधारित और विषय आधारित) • लिंग के प्रति संवेदनशील शिक्षण • बच्चों के अनुकूल शिक्षा शास्त्र को अपनाना		• स्वयं सेवकों की पहचान करना और सहायक शिक्षा का आयोजन करना • वीईसी को मजबूत करना
ए-4	गरीबी और कम आय	• कम साक्षरता और अकुशलता	• व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण और	-	-

		• मौसमी रोजगार • कृषि पर निर्भरता	अन्य आय सृजन कार्यक्रम • आय सृजन के लिए स्वयं सफलता समूह का गठन करना		
बी–स्वास्थ्य क्षेत्र					
बी 1	लोग पारंपरिक और अवैज्ञानिक प्रथाओं और प्रणाली पर विश्वास करते हैं	• अशिक्षित तथा जागरूकता की कमी • स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी • झोलाछाप डॉक्टर और ओझा का आसानी से उपलब्ध होना।	• स्वास्थ्य चिंता का प्रमुख विषय है • जो लोग सही उपाय अपना रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जा सकता है • गैर सरकारी संगठनों और अन्य सीएसओ के साथ नेटवर्किंग	-	• एसएचजी के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम • पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और जागरूकता
बी-2	अव्यवस्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं	• एएनएम के कार्य में कुशलता की कमी • अव्यवस्थित स्वास्थ्य केंद्र • अपर्याप्त आधारभूत संरचना • विशाल भौगोलिक	• ग्राम स्तरीय समिति को जवाबदेह और शक्तिशाली बनाना। • पहले से मौजूद सेवाओं द्वारा आउटरीच गतिविधि में	-	स्वास्थ्य केंद्र को सुव्यवस्थित करना

		फैलाव और दुर्गम क्षेत्र जहाँ पहुंचा न जा सके	वृद्धि करना • आउट–रीच और जागरूकता कार्यक्रमों में जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग करना		
बी 3	सेवाओं की गुणवत्ता	• स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी • अनियमित एएनएम व आशा कार्यकर्ता • स्वयं सहायता केंद्र स्तर पर समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना • योग्य और अच्छी तरह से प्रशिक्षित फील्ड वर्कर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की कमी	• अच्छे काम के लिए प्रेरक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन • वीएलसी को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के विषय में जागरूक करना • फील्ड स्टाफ के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना • पारंपरिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे दाई आदि के लिए प्रशिक्षण • निगरानी के	पंचायत स्तर पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	-

		होना • स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति कम होना	लिए एसएचजी और युवा समूह।		
बी 4	बच्चों और महिलाओं में कुपोषण	• जागरूकता का कम होना और परम्परागत विश्वासों का होना • निम्न आय और गरीबी के लिए लिंग संबंधी कारण • अनियमित तरीके से कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केंद्र	-	• आंगनबाडी केंद्रों को व्यवस्थित करना और उचित मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करना • प्रत्येक 40 बच्चों के लिए आईसीडीएस केंद्र खोलना • सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	• हर घर में रसोई बगीचा • स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से संपूरक पोषक तत्व का निर्माण करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना
सी. पानी और स्वच्छता					
सी-1	जल संसाधन का सीमित और असमान वितरण	• ग्राम स्तर की जाति और गतिकी और शक्ति समीकरण • अपर्याप्त वीएलसी और पंचायत निगरानी • बंद पड़े हैंडपंप और खोदे गए कुएं	• वर्तमान वीएलसी और ग्राम स्तर के एसएचजी को सशक्त और कुशल बनाया जाये। • आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए पीपीपी दृष्टिकोण • हैंडपंपों और खोदे गए	• कार्यक्रमों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में हैंडपंप या पाइप जलापूर्ति योजनाएँ उपलब्ध कराने के लिए पेयजल आपूर्ति	-

			कुओं और तालाबों की नियमित सफाई, ब्लीचिंग, मरम्मत और रखरखाव करना		
सी 3	स्वच्छता की समस्या	साफ–सफाई की सुविधा नहीं	.	• शौचालय निर्माण और गाँवों के स्वच्छता के लिए सरकारी योजनाओं का सही दिशा में क्रियान्वयन	• सरकार द्वारा सीएसआर राशि में से अतिरिक्त संपूरक राशि • शौचालय और पानी के समुचित उपयोग के बारे में जागरूकता
डी–आजीविका					
डी-1	कृषि आजीविका	• अनुत्पादक मिट्टी • वर्षा आधारित कृषि • कम पोषक तत्व वाली फसलें • छोटी जोत	• जैविक खाद का प्रयोग • बीज बैंक	• उचित सिंचाई सुविधाओं का विकास करना • क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीज उपलब्ध कराना • मनरेगा के माध्यम से भूमि विकास गतिविधियां करना	• बीज बैंकों का विकास • जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम • बीज बैंकों का आयोजन
डी 2	आय की कोई वैकल्पि स्रोत नहीं	.	• मनरेगा के अंतर्गत आय के अवसरों की खोज करने में गैर	• एनआरएलपी के अंतर्गत प्रशिक्षण	• साख समितियों की स्थापना में सहायता • स्व–सहायता

			कृषि व्यापारों के लिए प्रशिक्षण • कृषि और गैर–कृषि ऋण समितियों का गठन		समूह को एसजीएसवाई, नाबार्ड से जोड़ना

8.4 संस्थागत संरचनाएं और प्रमुख व्यक्ति

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों मे उचित क्षतिपूर्ति प्रदान कर प्रबंधित किया जा सकता है, इसलिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण एवं उसे प्रदान करने के लिए कलेक्टर को उत्तरदायी बनाया गया है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 44 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा, उन जिलों में, जहाँ किसी परियोजना की बावत्, भू–अर्जन के कारण व्यक्तियों के गैर–स्वैच्छिक विस्थापन की संभावना, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्तय किया गया है।

पुनर्वास प्रशासक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सम्मिलित हैं।

- अधिग्रहित की गयी भूमि में जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होनी है, उसके संवितरण की जांच करना
- पुनर्वास योजनाओं को बनाना
- परियोजना अधिकारियों के परामर्श यह सुनिश्चित करना कि कम से कम लोगों का विस्थापन हो और उन विकल्पों की पहचान करना जिससे या तो विस्थापित न होना पड़े या फिर कम से कम लोग जाएं
- परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ परामर्श करना और अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों को सुनिश्चित करें
- विभिन्न पात्रताओं के लिए पात्र परियोजना से प्रभावित लोगों का सत्यापन और अनुमोदन

- भूमिहीन लोगों और उन लोगों को व्यक्तिगत प्रमाण पत्र जारी करना जिनके पास घर नहीं है तथा
- आरएपी और सामुदायिक विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना

राजेश मलिक
डीजीएम, (पर्यावरण निगरानी)
एनटीपीसी, विंध्याचल
पर्यावरण विशेषज्ञ

एस.के. सिंह
सीनियर मैनेजर (खनन)
भू–एवं राजस्व विभाग
पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन विशेषज्ञ

इभारानी सिंह पठानिया
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र (डिग्री कॉलेज)
शिक्षाविद

ए.सी. शुक्ला
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र (डिग्री कॉलेज)
शिक्षाविद

केशव पाठक
सिनियर मैनेजर एनसीएल
(रिटायर्ड)
परियोजना के सम्बंधित विषय
का तकनीकी विषेशज्ञ

तहसीलदार
तहसील, सरई,
जिला–सिंगरौली
(संयोजक)

बी.पी. पाण्डेय
संयुक्त कलेक्टर
जिला–सिंगरौली
(प्रशासनिक अधिकारी)